खण्ड-141, अंक-6
शुक्रवार, 2 आश्विन, शक संवत् 1876
(24 सितम्बर, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 141 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २४ सितम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३६८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मोईज खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
इरतजा हुसेन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशी प्रसाद पांडेय, श्री
किंदर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
खुशीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंग प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरु प्रसाद पांडेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट , श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुलहक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री

बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मित्तल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफ़िज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री

रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र शाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती

सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम , डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हक़ीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रेस ट्रस्ट आफ़ इंडिया को सरकारी सहायता तथा कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*१—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या उत्तर प्रदेश सरकार प्रेस ट्रेस्ट आफ इन्डिया को कोई आर्थिक सहायता देती है ? यदि हां, तो कितनी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—जी नहीं । सरकार प्रेस ट्रेस्ट आफ इडिया को कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है ।

*२—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार को इस बात का पता है कि P. T. I. के कर्मचारी अपने काम से स्ट्राइक करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो इसकी क्या वजूहात हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—पी० टी० आई० के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की सूचना सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर है ।

*३—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार P. T. I. के Management तथा कर्मचारियों के बीच में कोई सुलह कराने की बात पर विचार कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं ।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि पी० टी० आई० को और किसी तरह की कोई सहायता सरकार देती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—माननीय सदस्य का प्रश्न सहायता से यदि है तो कोई सहायता नहीं देती है । उनकी न्यूज सर्विस को गवर्नमेंट सब्स्क्राइब करती है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार ने पी० टी० आ.ई० कर्मचारियों तथा जर्नलिस्टों के बारे में कोई सिफारिश या कोई सुझाव प्रेस कमीशन के सामने भेजा था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं । ऐसी सिफ़ारिश भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ तथा फ़ीरोजाबाद (जिला आगरा) के अवक्रान्त म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार अलीगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड का, जिसको २ साल के लिये सुपरसीड किया गया था और जिसकी अवधि १६ सितम्बर को खत्म हो रही है, चुनाव करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहन लाल गौतम)--जी नहीं, शासकीय दृष्टि से अभी वहां चुनाव करना उचित नहीं समझा गया।

*५--श्री मलखान सिंह--क्या यह सही है कि फीरोजाबाद, जिला आगरा के म्युनिसिपल बोर्ड को भी सुपरसीड किया गया था और सरकार उसका चुनाव आगामी अक्तूबर में करा रही है?

श्री मोहनलाल गौतम--जी हां, परन्तु इस बोर्ड में चुनाव कराने के समय का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री मलखान सिंह--क्या मंत्री महोदय मेहरबानी कर के बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह शासकीय दृष्टि अलीगढ़ की चुंगी के चुनाव पर कब तक रहेगी?

श्री मोहन लाल गौतम--फिलहाल एक साल की मियाद और बढ़ा दी गयी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या मन्त्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे जो कि प्रशासकीय दृष्टि से एक साल की अवधि बढ़ाने के लिये आवश्यक समझे गये हैं?

श्री मोहन लाल गौतम--यहां कुछ सुधार के काम इतने जरूरी समझे जा रहे हैं, उनको पूरा करना आवश्यक है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि वह कौन-कौन से सुधार के कार्य हैं?

श्री मोहन लाल गौतम--सड़कें हैं, ड्रेनेज हैं और भी कई चीजें हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अलीगढ़ की म्युनिसिपैलिटी सुपरसीड क्यों की गयी थी?

श्री मोहन लाल गौतम--बदइंतजामी के कारण।

परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हरिजन विद्यार्थी और उनका शिक्षा शुल्क

*६--श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)--क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रादेशिक सरकार ने इस आशय का आदेश भेजा है कि प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हरिजन विद्यार्थियों की उक्त श्रेणियों में फिर से अध्ययन करने के लिये फीस माफ नहीं की जायेगी?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)--जी नहीं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--क्या इस संबंध में जो राज्य सरकार का पिछला आदेश है उसमें यह स्पष्ट है कि हरिजन विद्यार्थी अगर अपनी कक्षाओं में अनुत्तीर्ण हो जायंगे तब भी उन्हें फीस देनी नहीं पड़ेगी?

डाक्टर सीताराम---नहीं, ऐसा कोई आदेश सरकार के यहाँ से नहीं गया है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या कोई अवस्था है जिसमें शिक्षा अधिकारियों को यह हिदायत दी गई हो कि फलां-फलां अवस्था में हरिजन विद्यार्थियों को फीस देनी पड़ेगी और फ़लां-फलां अवस्था में उनकी फीस माफ रहेगी? इस विषय में मंत्री जी रोशनी डालेंगे ?

डाक्टर सीताराम---ऐजूकेशन कोड की ३५७ धारा के मुताबिक जिस भी वर्ग का विद्यार्थी क्यों न हो अगर वह कन्सेशन पाता है चाहे फीस के रूप में, चाहे स्कालरशिप के रूप में अगर वह फेल हो जाता है तो डिपार्टमेंट उसकी फीस लगा देता है या कुछ दिनों के लिये बन्द कर देता है। जब सन् १९५२ में शिक्षा मंत्री जी आये तो उन्होंने हरिजनों की दयनीय परिस्थिति पर विचार किया। इस भांति उन्होंने ७ नवम्बर, १९५२ को यह आदेश जारी किया है कि जो हरिजन विद्यार्थी फेल हो गये हों तो उनकी किन-किन अवस्थाओं में फीस माफ की जा सकती है। उन अवस्थाओं को मैं आप के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली तो यह कि उस विद्यार्थी के पेरेन्ट्स या गार्जियन इम्तहान के करीब मर गये हों, (२) या वह विद्यार्थी इम्तहान के करीब बीमार पड़ गया हो, (३) या वह विद्यार्थी बहुत ही गरीब विद्यार्थी हो, या (४) वह विद्यार्थी जो अपनी परीक्षाओं में हमेशा तो पास हो लेकिन वार्षिक परीक्षा में जा कर के थोड़े से मार्क्स से फ़ेल कर गया हो, या (५) उस इन्स्टीट्युशन के प्रिन्सिपल या वाइसचांसलर अगर सेटिस्फाइड हैं कि वह विद्यार्थी फीस माफ करने के योग्य है, तब उनकी फीस माफ की जा सकती है।

श्रीनारायण दत्त तिवारी---क्या सरकार सभी अनुत्तीर्ण हरिजन विद्यार्थियों के हेतु इस आदेश को लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---जी नहीं।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी इस नियम को लड़कियों पर से हटाने का विचार कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि फीस माफ रहती है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ट्यूशन फीस, मेडिकल फीस, लाइब्रेरी फीस और इस तरह की जो कई प्रकार की फीस हैं इनमें से कौन-कौन सी माफ रहती हैं ?

डाक्टर सीताराम---ट्यूशन फीस, हास्टेल फीस और मेडिकल फीस और साइंस फीस।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---क्या सरकार उन फेलियर विद्यार्थियों को जो फेल हो जाते हैं, उनको ३३ परसेंट में गरीब कैटेगरी में हरिजन समझ कर के माफ कराने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---प्रश्न कुछ स्पष्ट नहीं हुआ।

श्री शिवनारायण---जो लड़के फेल हो जाते हैं, अगर उनके रिजल्ट में दो चार नम्बर से गड़बड़ी रहती है तो ३३ परसेंट जो माफ किये जाते हैं उस कैटेगरी में इनको भी माफ किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्न उठता नहीं। जब शिक्षा मंत्री जी ने जवाब दे दिया कि ऐसे लड़कों को तो वैसे ही माफ कर दिया जाता है तो इस पूरक प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि अब भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस नोटीफिकेशन के जाने के बावजूद भी जो सहूलियतें सरकार ने बतलायी हैं, उनके होते हुये भी, उनको फीस से मुक्त नहीं किया गया है ?

श्री हरगोविंद सिंह---नहीं, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास तो नहीं आयी है।

बरेली जिले में चकबन्दी

*७---श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९५५ ई० से शुरू होने वाली चकबन्दी में बरेली जिले की कौन-सी तहसील ली जायेगी ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

श्री नत्थू सिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चकबन्दी में कौन तहसील ली जाय, इसका निर्णय सरकार करेगी या जिला अधिकारी ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो डी० एम० की सिफारिश ली जायगी और ऐसे डाइरेक्टर आफ कंसालिडेशन अन्तिम रूप से निर्णय करेगा।

श्री नत्थू सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मौजूदा अधिकारी उस जगह पर न रहें जहां चकबन्दी शुरू हो ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जो मौजूदा अधिकारी जहां हैं वही रहेंगे। जहां चकबन्दी शुरू होगी वहां चकबन्दी आफिसर और रखे जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली में चकबन्दी कब से प्रारम्भ होने वाली है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---यह तो जनवरी, १९५५ से इरादा है।

बदायूं जिले के कसौली ग्राम में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु

*८---श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)---क्या यह सच है कि तारीख ९-९-५४ को ग्राम कसौली, जिला बदायूं में पुलिस ने गोली चलायी जिससे एक आदमी मर गया ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---जी हां।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो आदमी मारा गया है वह कौन था और क्यों मारा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उनका नाम तो उमराव था। इसलिये यह मारा गया कि जिस समय ताजिया पर हमला हुआ उस समय यह भी वहां था।

श्री राम प्रसाद देशमुख---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जो आदमी मारा गया वह निर्दोष था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, मुझे ऐसा मालूम नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री इस गोली चलाने वाली घटना पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वहां एक गांव अहमदनगर कसौली नाम का है। वहां से ताजिया हर साल जाते हैं नैथुआ गांव से हो कर इस बार भी जा रहे थे। ताजिये के साथ १०-१२ आदमी थे। जब वह गांव में पहुंचे तो २५-३० आदमियों ने इनको घेर लिया और कहा कि हम इधर से ताजिया नहीं जाने देंगे। पहले तो उनको बहुत समझाया बुझाया गया और वह नहीं माने। उनके पास लाठियां और तलवारें थीं। एक पुलिस कांस्टेबिल की तलवार चलने पर उंगली कट गयी, दूसरे कांस्टेबिल के भी चोट आई, कई आदमी भाग गये और वहां पर उनमें से ३-४ आदमी ही रह गये। जब कोई तरीका नहीं रह गया झगड़े को खत्म करने का तो तहसीलदार और मजिस्ट्रेट ने फायरिंग का हुक्म दिया जिससे एक आदमी मर गया और कुछ जख्मी हुये जो अस्पताल पहुंचाये गये।

श्री राम प्रसाद देशमुख---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जिस सयम ताजिया निकल रहे थे और पुलिस ने गोली चलायी थी यह आदमी मौजूद नहीं था और जब वह आया तो गोली चलायी गयी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गोली चलाई गयी अगर वह भीड़ में नहीं होता तो उसके गोली कैसे लगती?

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह गोली किसके आदेश से चलायी गई?

श्री अध्यक्ष---इसका जवाब तो दे दिया गया है। माननीय मंत्री जी ने जो विवरण दिया है उसमें इसका जवाब दे दिया गया है।

मालगुजारी वसूल करने वाले विभाग को स्थायी करने का सुझाव

*९---श्री बद्री नारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मालगुजारी वसूली करने वाले Collection Department को सरकार permanent करने का विचार कर रही है?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अभी इस प्रश्न पर विचार करने का उपयुक्त समय नहीं है।

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में कत्लों की वारदातें

*३---श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के प्रत्येक थाने के अन्तर्गत कितने कत्ल, किन-किन झगड़ों के सम्बन्ध में १ मई, सन् १९५४ से १ जुलाई सन् ५४ तक हुए?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५३८ पर।)

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कत्ल वगैरह विवरण-पत्र में दिये गये हैं उनमें कितने कत्ल ऐसे हैं जिनकी सूचना पहले से थाने में हुयी थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां तक मुझे मालूम है किसी आदमी ने थाने में सूचना नहीं दी कि मैं कत्ल करने जा रहा हूं।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें आयी हैं कि बहुत से कत्ल ऐसे हुए हैं जिनको छिपाया गया है और उनकी रिपोर्ट और तहकीकात इत्यादि नहीं की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--शिकायतें इस किस्म की आया करती हैं, लेकिन कोई तहकीकी शिकायत हो तो उसकी बाबत कुछ कहा जा सकता है ।

श्री बाबू नन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ कत्ल ऐसे भी हुए हैं जिनकी लाशें अभी तक बरामद नहीं की गयी हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं सारे सूबे या जौनपुर की बाबत तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने कत्लों की बाबत मेरे पास सूचना है, उनमें ऐसी बात नहीं है ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में अधिकतर कत्ल भाला शस्त्र द्वारा किया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस वक्त तो इसकी सूचना मुझे है नहीं कि किस हथियार से लोग मारे गये ।

जिला नैनीताल में हरिजनों के सहायतार्थ दिये गये अनुदान का वितरण

*४--श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि विगत वर्ष में नैनीताल जिले में हरिजनों की सहायता हेतु कितना अनुदान दिया गया और उसका किस प्रकार वितरण हुआ ?

डाक्टर सीताराम--गत वर्ष नैनीताल जिले में हरिजनों की सहायता के लिये ६६,८०४ रु०१२ आना अनुदान के रूप में दिया गया । उसके वितरण का विवरण संलग्न पत्र में देखा जा सकता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५३९ पर।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इस अनुदान के अलावा क्या कोई विशेष अनुदान जल-कष्ट निवारणार्थ या मकान बनाने हेतु दी गयी हरिजनों के लिये ?

डाक्टर सीताराम---इस साल अभी एक लाख रुपया नल-कूपों के लिये दिया गया है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने नैनीताल में एक हरिजन सम्मेलन में इस बात की घोषणा की थी कि हरिजनों के मकान के सुधार और मरम्मत के लिये विशेष अनुदान दिया जायगा ?

डाक्टर सीताराम---उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने २५ हजार रुपये की घोषणा उसी समय कर दी थी कि ग्रांट हो चुकी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रश्न विगत वर्ष के लिये आया था । उसी की सूचना आयी है और यह प्रश्न चालू वर्ष के लिये है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अनुदान में १२,५०० रुपया कुएं बनाने के लिये लिखा गया है ये किस क्षेत्र में बनाये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नैनीताल तहसील में ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि नैनीताल तहसील के पर्वतीय क्षेत्र में कुएं किस प्रकार बनवाये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--नैनीताल तहसील में कितना पर्वतीय क्षेत्र है यह नहीं बता सकता और कितने कुएं बने यह भी नहीं बता सकता ।

*५-६-**श्री नारायणदत्त तिवारी**--[स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्त्ताओं, कम्युनिस्टों तथा अन्य किसानों के ऊपर हमले आदि की शिकायतें

*७--**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उनके पास उत्तर प्रदेश किसान सभा की ओर से, किसानों, कम्युनिस्ट और किसान सभा के कार्यकर्ताओं पर हमले जोर जबर्दस्ती और मारपीट की बाबत कोई शिकायत आयी है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कम्युनिस्ट पार्टी से सम्बद्ध संस्थायें ऐसी शिकायतें किया ही करती हैं परन्तु जांच करने पर उनके आरोप प्रायः निराधार निकलते हैं । हाल में ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है ।

बनारस जेल में छिछोर केस के कम्युनिस्ट बन्दी की मृत्यु

*८--**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)--क्या यह सही है कि छिछोर केस (बलिया) का एक कम्युनिस्ट बन्दी बनारस सेंट्रल जेल में मर गया ? अगर हां, तो क्या उसकी मृत्यु के कारणों पर सरकार कृपा कर के प्रकाश डालेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां, मार्च सन् १९५३ में सेंट्रल जेल, बनारस में गैस्ट्रोइन्ट्राइटिस (Gastroentritis) नामक बीमारी फैली थी। इसी बीमारी से छिछोर केस बलिया के एक बन्दी की मृत्यु उक्त जेल में हो गयी ।

उत्तर प्रदेश पुलिस के विरुद्ध नैपाल में गैरकानूनी तौर से घुस कर किसानों पर जुल्म करने की शिकायत

*९--**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)--क्या सरकार के पास कोई इस प्रकार की शिकायत आयी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नैपाल में गैरकानूनी तरीके से घुस कर वहां के किसानों पर जुल्म करती है । अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार के पास इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है ।

हरिजन सहायक विभाग द्वारा जौनपुर जिले में हरिजनों को चमड़े, मुर्गी तथा सुअर आदि के लिये अनुदान

*१०--**श्री बाबू नन्दन**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में कितने हरिजनों को चमड़े के व्यापार के लिये और मुर्गी तथा सुअर पालने के लिये हरिजन सहायक विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ है ?

डाक्टर सीताराम--वित्तीय वर्ष १९५३-५४ में ६ व्यक्तियों को चमड़े के व्यापार के लिये तथा सुअर पालने के लिये इस विभाग से अनुदान दिया गया था ।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ६ व्यक्तियों न और कुछ रुपये की मांग सरकार से की है ?

डाक्टर सीताराम---इसकी सूचना नहीं है ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन ६ व्यक्तियों को रुपया दिया गया है वह कार्य आरम्भ करने के पहले दिया गया है या बाद में ?

श्री हरगोविन्द सिंह---कल ही यह प्रश्न जब मेरे सामने आया तो मुझे शक हुआ और मैंने जांच करायी है कि उन्हें रुपया दिया गया, कब दिया गया, क्यों दिया गया और उन्होंने कुछ कार्य आरम्भ किया है या नहीं ? दो एक को मैं जानता हूं और मुझे शक है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया ।

जौनपुर जिले में बन्दूकों के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र

*११---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सन् १९५३-५४ में बन्दूक के लाइसेंस के लिये कितनी दरख्वास्तें पड़ीं और उसमें कितनी मंजूर हुयी और कितनी नामंजूर हुयीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५३ में १८४ नयी दरख्वास्तें आयी और पिछले साल की ४६ दरख्वास्तें मिलाकर कुल २३० में से ४७ मंजूर हुयीं तथा ६७ नामंजूर और ११६ साल के अन्त में बाकी रहीं ।

सन् १९५४ में १२ सितम्बर तक २०४ नयी दरख्वास्तें आयीं और ११६ पिछले साल की लेकर कुल ३२० हुयीं जिनमें से अब तक ९१ मंजूर हुयी हैं और ६१ नामंजूर, बाकी १६८ पर अभी जांच हो रही है ।

*१२---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---[स्थगित किया गया।]

*१३---श्री जोरावर वर्मा---[स्थगित किया गया।]

जिला देवरिया की सलेमपुर तहसील में डकैतियों आदि की घटनायें तथा उनकी रोकथाम

*१४---श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि सन् १९५३ के जनवरी माह से लेकर सन् १९५४ के २० अप्रैल तक कुल कितनी डकैतियां सलेमपुर (जिला देवरिया) तहसील के क्षेत्र में हुयीं और उन डकैतियों में से कितने में बन्दूकें चलीं ? इन डकैतियों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुल ९ डकैतियां हुयीं जिनमें से ३ में बन्दूकें चलीं प्रत्येक ग्राम में रक्षादल की स्थापना करदी गयी है । पुलिस के सिपाही और अफसरान भी रात में गश्त लगाते हैं । सारन गोरखपुर की सरहद पर स्थायी पुलिस चौकियां भी कायम की गयी हैं जहां से अस्त्रयुक्त सिपाही रात को गश्त लगाते हैं । उपद्रवियों के विरुद्ध धारा १०७,११७,१०९ और ११० द० वि० सं० के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

विद्यार्थियों के चरित्र की उन्नति के हेतु पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन

*१५---श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लड़के और लड़कियों के चरित्र को ऊंचा उठाने के लिये वह पाठ्य पुस्तकों में कुछ परिवर्तन करने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पाठ्यपुस्तकें इस वर्ष बदली जा रही हैं और उनमें विद्यार्थियों के चरित्र को ऊंचा उठाने के लिये पाठ रक्खे गये हैं और अधिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है ।

चित्रकूट रेलवे स्टेशन के पास की धर्मशाला

*१६--श्री बद्रीनारायण मिश्र (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि चित्रकूट रेलवे स्टेशन, जिला बांदा के पास की धर्मशाला को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और वे उस धर्मशाला में यात्रियों को नहीं ठहरने देते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुलिस ने किसी धर्मशाला को अपने कब्जे में नहीं लिया है ।

मुरादाबाद के पी० टी० सी० में गरीब ट्रेनीज की सहायतार्थ छूट

*१७--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या गृह मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पी० टी० सी० मुरादाबाद में गरीब ट्रेनीज की सहायतार्थ छात्रवृत्ति के रूप में वार्षिक कितना धन दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--गरीब प्रशिक्षार्थियों की सहायतार्थ उनको मासिक भत्ते के लिये रुपया जमा करने से आवश्यकतानुसार छूट दी जाती है । लेकिन इसके लिये कोई रकम नियत नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी० टी० सी० मुरादाबाद में जो छूट दी जाती है वह वार्षिक कितने रुपए की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--कितने रुपए की है, वह तो मैंने कह दिया कि निश्चित नहीं है। नियम यह है कि वहां पर ६०० रुपये साल शिक्षार्थियों को देना पड़ता है दो मर्तबा । मगर इन्स्ट्रक्शन वहां पर यह गये हैं कि जो लोग परिगणित जातियों के हैं या पोलिटिकल सफरर्स हैं या डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, वैसे गरीबी को देखते हुए तो सभी को दी जा सकती है लेकिन इन लोगों को प्राथमिकता दी जाय । अब किस को कितनी दी जाय यह उसकी आर्थिक अवस्था देख कर तय किया जाता है ।

द्वाबा हिंडन, जिला बुलन्दशहर की सुरक्षा के लिये पुलिस चौकी का निर्माण

*१८--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि द्वाबा हिंडन व जमुना जिला बुलन्दशहर की सुरक्षा के लिये वह एक पुलिस चौकी बनवाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--अभी इस समय ऐसा विचार नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हिंडन दोआबा, जिला बुलन्दशहर में पुलिस चौकी स्थापित करने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस प्रकार के कई आयोजन हैं लेकिन आर्थिक अवस्थाओं को देखते हुए उनमें से कई जरूरी हैं जिसकी वजह से उसे स्थगित करना पड़ा है ।

श्री रामचन्द्र विकल --क्या यह सत्य है कि दोआबा के अन्दर पहले सदर सराय नामक स्थान पर एक थाना था वह सरकार ने हटा दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय इसकी ठीक सूचना मुझको नहीं है।

प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में हथियारों के लाइसेन्स

*१९--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश की किस किस शिक्षण संस्था में राइफलों व अन्य हथियारों के कितने कितने लाइसेंस दिये हुए हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सूचना संलग्न सूची में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४० पर।)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मानगीय गृह मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में इन शिक्षण सस्थाओं के अतिरिक्त कितनी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जहां राइफल चलाने की ट्रेनिंग विद्यार्थियों को दी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जिनको हमारे यहां से लाइसेंस दिया गया है उनकी सूची तो मेरे पास है। बाकी उनके अलावा कोई बगैर लाइसेंस के अगर शिक्षा देती हों तो उनकी सूची मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन स्कूल और कालेजों में राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है उनको लाइसेंस कहां से ईशू होते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उसमें बहुत से तो ऐसे होंगे जोकि प्रादेशिक सरकार की ओर से दी जाती है जैसे जो पी०ई०सी० की योजना है उसमें तो अलग-अलग लाइसेंस का सवाल ही नहीं होता या जो लड़के एन०सी०सी० में हैं उनके लिये भी अलग-अलग लाइसेंस का सवाल नहीं होता।

*२०--श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)--[स्थगित किया गया।]

मिर्जापुर जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का अभाव

*२१--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को विदित है कि मिर्जापुर जिले के पहाड़ी भाग में विशेषतः थाना हलिया, लालगंज, अहरौरा, राबर्टसगंज, चोपत दुद्धी व खेरबा के हलकों में वहां के निवासियों को घोर जलकष्ट रहता है जिससे मनुष्यों को तीन-तीन, चार-चार मील तथा पशुओं को छः-छः, आठ-आठ मील दूर से पानी मिलता है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां।

*२२--श्री व्रज भूषण मिश्र--यदि हां, तो इस जलकष्ट को दूर करने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनायी है या बनाने का विचार रखती है ?

डाक्टर सीताराम--कोई विशेष योजना नहीं बनायी गयी। किन्तु कूपों तथा नल-कूपों के निर्माण द्वारा जलकष्ट दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री व्रज भूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा आदेश जारी करेंगे कि हर तहसील में जल कष्ट से पीड़ित गांवों की एक सूची बनायी जाय ?

डाक्टर सीताराम--इस पर विचार किया जायगा।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या जल-कष्ट को दूर करने के लिये सरकार कोई विशेष ग्रांट मंजूर करेगी ?

डाक्टर सीताराम---इस सम्बन्ध में करीब १ लाख रुपया दुद्धी तहसील के लिये फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दिया गया है और सेक्रेटरी हेल्थ बोर्ड के द्वारा १५ हजार रुपया दिया गया है। साथ ही साथ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फंड से १८ हजार रुपया दिया गया है। इसके बाद हरिजन सहायक विभाग से भी ९ हजार रुपया दिया गया है।

उत्तर प्रदेश जेल विभाग का सामान बेचने की दूकानें

*२३---श्री भगवान सहाय (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश जेल विभाग की ओर से कहां-कहां जेल के सामान बेचने की दूकानें हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी केवल एक ही दूकान है जो अमीनाबाद, लखनऊ में है और जिसका नाम उत्तर प्रदेश जेल डिपो है।

शिक्षा संचालक की ओर से पाठ्य पुस्तकों के छापने के लिए टेन्डर का विज्ञापन

*२४---श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ने अप्रैल ५४ में स्कूलों की कुछ पाठ्यपुस्तकों के छापने के लिये प्रकाशकों से टेन्डर देने के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन निकलवाया था? यदि हां, तो किन-किन श्रेणियों की पुस्तकों के सम्बन्ध में यह विज्ञापन किया था तथा ये पुस्तकें कितनी संख्या में छापी जायंगी ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, विज्ञापन कक्षा १ से ५ तक की पुस्तकों के लिये था और लगभग ५६ लाख पुस्तकें छापी गयी हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि पुस्तकें जो छपने वाली हैं उनकी संख्या ८० लाख से ज्यादा है और अब तक केवल ५६ लाख पुस्तकें छापी गयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं। यह सही नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि इस टेंडर के उचित सूचना पर न खुलने के सम्बन्ध में दो प्रिंटिंग प्रेसेज ने हाईकोर्ट में कोई प्रार्थना-पत्र दिया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां। रिट अप्लीकेशन एक हाईकोर्ट में पड़ी थी।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि हाईकोर्ट ने विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध उस सम्बन्ध में कुछ स्ट्रिक्चर पास किया है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री हरगोविन्द सिंह---नहीं, कोई ऐसा स्ट्रिक्चर तो नहीं पास किया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि पुस्तकें जुलाई के अंतिम सप्ताह तक न छपने के कारण इस वर्ष विद्यार्थियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं। जुलाई के पहले सप्ताह तक सब किताबें छप गयी थीं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने छापाखाने वालों ने टेंडर दिया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी सूचना चाहिये, लेकिन बहुत छापाखाने वालों ने टेंडर दिये थे।

श्री गेंदासिंह---कितने छापाखाने वालों को यह काम दिया गया ?

डाक्टर सीताराम---८९ को ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---क्या यह सही है कि इस छपाई का पहला आधा भाग केवल १३ छापाखाने वालों को दिया गया था और हाई कोर्ट में रिट के बाद ७० आदमियों को आधा भाग दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह सही है कि छपाई का पहला भाग सिर्फ १३ प्रेसेज को दिया गया था ।

उन्नाव जिला बोर्ड के मातहत अध्यापकों को वेतन मिलने में अनियमितता

*२५---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या सरकार के पास यह शिकायत आयी कि उन्नाव जिला बोर्ड के मातहत अध्यापकों को वेतन नियमित रूप से प्रतिमास नहीं मिलता है ? यदि हां, तो इन अध्यापकों को नियमित रूप से मासिक वेतन दिलाने के लिये सरकार क्या कर रही है?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री इस बात की जांच करने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड के अध्यापकों को तीन-तीन चार-चार महीने से वेतन नहीं मिला है ?

डाक्टर सीताराम---जहां तक सरकार के पास रिपोर्ट है जुलाई तक का वेतन मिल गया है तो जांच कराने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि जिला बोर्ड को जो सरकारी शिक्षा सम्बन्धी सहायता मिली है वह अपेक्षाकृत अन्य जिलों से बहुत कम है, यही कारण है कि अध्यापकों का वेतन समय पर नहीं दे सकते ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जिला बोर्ड को जो सरकारी अनुदान मिलता है वह एक नियम के अनुकल मिलता है । उसी नियम के अनुकूल उनको भी मिलता होगा ।

श्री शिवनारायण---क्या यह अनुदान बोर्डों को साल के भिन्न-भिन्न हिस्सों में दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्दसिंह---तीन-तीन चार-चार महीने में देते हैं। एक ही दफा नहीं देते।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार भविष्य में वेतन मिलने में दिक्कत समझ कर पूरा अनुदान एक साथ दे देने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं । ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी उन्नाव जिले में शिक्षा के अनुपात से आर्थिक सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह---उसी अनुपात से अनुदान दिया ही जा रहा है ।

रुड़की में एक सब-जेल का निर्माण

*२६---श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)---क्या यह सच है कि रुड़की सब-डिवीजन के हवालातियों की सुविधा के लिये वहां एक सब-जेल का निर्माण किया गय है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

*२७--श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रुड़की की इस सबजेल का उद्घाटन कब होगा और उसमें कैदी कब तक रखे जायेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जेल की इमारतें जो अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायंगी। इमारतों के बन जाने पर जेल का उद्घाटन तथा उनमें कैदियों के रक्खे जाने का प्रश्न उठेगा ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अलमोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस जेल का उद्घाटन किन के हाथों होगा ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

हरिद्वार के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न संस्थाओं की शिकायतें

*२८---श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या सरकार को हरिद्वार के पुलिस अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध वहां की विभिन्न संस्थाओं से शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो सरकार इन शिकायतों के निवारण के लिये क्या कदम उठाने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, कुछ कांस्टेबुलों और हेड कांस्टेबुलों के विरुद्ध शिकायतें आयी थीं। उन लोगों का हरिद्वार से तबादला कर दिया गया।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सही है कि मुख्य शिकायतें वहां के सब इंस्पेक्टरों के खिलाफ थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मेरी सूचना तो यही है जो मैंने अभी निवेदन किया।

श्री दीनदयालु शास्त्री---क्या यह सही है कि छोटे अमले के ट्रांसफर के बावजूद भी सब इंस्पेक्टर का रुख वैसा ही है ?

श्री अध्यक्ष---यह गोल सवाल है और स्पष्ट नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री के पास हरिद्वार में किसी बाल्मीकि महिला के पुलिस ट्रक द्वारा कुचल जाने की शिकायत भी आयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिकायत तो केवल जुवा खेलने और नाजायज शराब बनाने के बारे में ही थी ।

आजमगढ़ जिले के राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं

*२९---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस साल सन् १९५४-५५ में आजमगढ़ में कितने राजनितिक-पीड़ितों के बच्चों को राजनीतिक-पीड़ित से संबंधित छात्रवृत्ति दी जाने वाली है ?

डाक्टर सीताराम---इस वर्ष अभी तक आजमगढ़ जिले के सात विद्यार्थियों को राजनीतिक-पीड़ितों वाली छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। शेष आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है और उन पर जल्द ही निर्णय किया जायेगा ।

*३०—श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उक्त प्रकार के कितने प्रार्थना-पत्र उक्त जिले से आये हैं ? क्या अभी तक उन पर विचार हुआ है ? यदि हां, तो फल कब तक घोषित किया जायगा ?

डाक्टर सीताराम—आजमगढ़ से २१ राजनीतिक-पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र आये हैं। शेष प्रश्न का उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

*३१—श्री उमाशंकर—क्या सरकार का कोई ऐसा सरकुलर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पास गया है जिसमें यह स्पष्ट है कि उक्त बच्चों की शिक्षा निःशुल्क हो ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि सरकार ने जो आदेश भेजे हैं उनका शिक्षा संस्थायें प्रतिपालन नहीं कर रही हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—मेरा ख्याल है कि इसका पालन हो रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह बात सही है कि अधिकतर राजनैतिक-पीड़ित इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं और सरकार के पास और जिला अधिकारियों के पास लिखित शिकायतें भेजी गयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—नहीं ऐसी कोई इत्तिला हमारे पास तो नहीं आयी।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या माननीय शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक-पीड़ित छात्रवृत्ति पाने के नियम क्या हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वे नियम छपे हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार की इस प्रकार की नीति है कि जितने राजनैतिक-पीड़ित हैं सबको यह छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाय ?

डाक्टर सीताराम—ऐसी कोई नीति नहीं है बल्कि जितनी एप्लिकेशंस आती हैं उन पर मैरिट्स के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है।

जिला हमीरपुर के बरगढ़ ग्राम में कत्ल की घटनाएं

*३२—श्री जोरावर वर्मा—क्या पुलिस मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम बरगढ़, थाना मझगवां (जिला हमीरपुर) में १८,१९ मार्च को कुछ लोगों ने गांव पर हमला किया और २-३ आदमियों को कत्ल करके कार से भाग गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१८-१९ मार्च को नहीं बल्कि १७-१८ मार्च को एक ऐसी घटना हुयी जिसमें २ आदमी कत्ल किये गये।

*३३—श्री जोरावर वर्मा—क्या पुलिस मंत्री को मालूम है कि आक्रमणकारियों ने गांव को लूटने की भी कोशिश की ? यदि हां, तो कितना धन लूट में गया तथा इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, कुछ नहीं लूटा गया। मामले की जांच की गयी। अभी तक अभियुक्तों का पता नहीं लगा है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कत्ल करने वाले कार से आये या किसी पिक अप से आये थे और उसी से वे भाग गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उस जगह जहां का यह वाकया है साढ़े तीन मील पर एक गांव में मोटर के पहिये के निशान पाये गये। साढ़े तीन मील तक कोई निशान नहीं है। इससे मालूम होता है कि वहां तक तो वे लोग मोटर पर आये और वहां से पैदल आये। ऐसा मानना चाहिये कि कत्ल करके वे लोग मोटर पर ही चले गये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि दो आदमी जो कत्ल हुए थे इन लोगों के अलावा और भी कुछ लोगों के चोट आयी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इस कत्ल का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जिस गांव में उनकी मोटर रुकी उस गांव वालों का कहना यह है कि वे १०,१२ आदमी थे जो देखने में सिख मालूम होते थे। इसके अलावा और कुछ पता नहीं लग सका है। वे दो आदमियों को कत्ल करके चले गये। इससे मालूम होता है कि उनकी पहले से कोई दुश्मनी रही होगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किसके द्वारा करायी गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुलिस की जो साधारण मशीनरी होती है उसी के द्वारा यह जांच करायी गयी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री इस केस की जांच सी० आई० डी० के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अगर साधारण पुलिस इस जांच में असफल रही तो उसकी बात भी सोची जायगी।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरन, जिला जालौन में जो कत्ल हुए थे ६,७ महीने पहले, तो क्या इस घटना से उसका भी कुछ सम्बन्ध है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस कत्ल का पता लग जाय तभी सम्बन्ध की बात बतलायी जा सकती है।

नयी शिक्षा योजना के अन्तर्गत परिगणित व पिछड़ी जाति के अध्यापकों की नियुक्तियां

*३४—श्री बाबूनन्दन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा की नयी योजना के अनुसार जो ३,२०० अध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है उनमें से वह कितने पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को तथा परिगणित जाति के उम्मीदवारों को जगह देने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सीताराम—शिक्षा की नयी योजना के अन्तर्गत ३२०० अध्यापकों में से जो २४९३ अध्यापक की नियुक्ति हुई है उनमें पिछड़ी जाति के २०३ और परिगणित जाति के १२६ अध्यापक चुने गये हैं।

श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बतलायेगी कि जो अध्यापक चुन लिये गये हैं वह सब अपने स्थान पर कार्य करते हैं या नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां ।

सैदपुर तहसील के प्राइमरी तथा मिडिल स्कूल

*३५---श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गाजीपुर जिले की सैदपुर तहसील में कितने राजकीय प्राइमरी और मिडिल स्कूल हैं ? उनमें कितने अध्यापक और विद्यार्थी हैं ?

डाक्टर सीताराम---कोई नहीं ।

*३६---श्री कमला सिंह---क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले में अध्यापकों की तनख्वाहें ६ माह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने नहीं दी हैं ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं ।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार यह बतलायेगी कि राजकीय पाठशालायें कितनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयीं ।

श्री कमला सिंह---इधर राजकीय पाठशालायें जितनी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयीं वह सब प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी गयीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---जो राजकीय पाठशालायें सरकार ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दी हैं उनका जो अनुदान एक एक हजार का था वह सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---एक एक हजार रुपये का कोई अनुदान नहीं था । यह माननीय सदस्य की इत्तिला गलत है ।

सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ के एम० आई० कालेज की इन्टर तथा हाई स्कूल परीक्षाएं

*३७---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि अभी तक एम० आई० कालिज सिकन्दराराऊ (अलीगढ) का इन्टर तथा हाई स्कूल की परीक्षाफल क्यों नहीं प्रकाशित किया गया है ?

डाक्टर सीताराम---परीक्षा फल प्रकाशित हो चुका है ।

*३८---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस केन्द्र से कितने लड़के दोनों परीक्षाओं में बैठे थे ?

डाक्टर सीताराम---इंटरमीडियट २२, हाई स्कूल २०४ ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस तारीख को और किस महीने में यह रिजल्ट प्रकाशित किया गया ?

डाक्टर सीताराम—इंटरमीडियट का जून में और हांई स्कूल का रिजल्ट उस समय प्रकाशित किया गया जब कि बोर्ड द्वारा बैठायी गयी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी ।

श्री नेकराम शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पूछा था कि किस महीने में और किस तारीख को ?

श्री हरगोविन्द सिंह—तारीख तो नहीं मालूम लेकिन अगस्त के आखिर में अथवा सितम्बर शुरू में हाईस्कूल का रिजल्ट प्रकाशित किया गया ।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सितम्बर में रिजल्ट प्रकाशित किये जाने के क्या कारण थे ?

श्री हरगोविन्द सिंह—आरोप यह लगाया गया था कि वहां बहुत जोरों से नकल हुयी है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कमेटी नियुक्त की ?

श्री हरगोविन्द सिंह—बोर्ड ने स्वतः ही एक कमेटी नियुक्त की थी।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि देर से रिजल्ट आउट होने के कारण बहुत से लड़कों को स्कूलों और कालेजों में दाखला नहीं मिल पाया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—संभव है, लेकिन ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कमेटी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह गुप्त है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि जिन लड़कों ने नकल की थी उनका प्रवेश रोक दिया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, बोर्ड ने कुछ लड़कों के लिये यह किया था कि वे १–२ या ३ साल के लिये इम्तहान में न बैठ पायें।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बोर्ड की परीक्षाओं में गड़बड़ी को देखते हुए बोर्ड में कुछ परिवर्तन करने का विचार करती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, ऐसा एक विधेयक शीघ्र ही आने वाला है।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो विद्यार्थी देर से रिजल्ट प्रकाशित होने के कारण दाखला नहीं पा सके हैं, तो क्या उनके लिये सरकार ने उनको दाखिल करने के आदेश दे दिये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे हाईस्कूल और इंटरमीडियट के विद्यार्थी कितने हैं जिनको रोक लिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—क्या माननीय मंत्री जी उन विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करेंगे जिनके परीक्षाफल देर से प्रकाशित हुए हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—एक भी शिकायत मेरे पास इस किस्म की नहीं आयी, इसलिये इसके बारे में आदेश देने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

मख्य मंत्री के शिक्षा फंड में एकत्रित धन

*३९—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि मुख्य मंत्री के शिक्षा फंड में किस-किस जिले से कितना-कितना धन अब तक जमा किया जा चुका है ?

डाक्टर सीताराम—१५अगस्त, १९५४ तक जो धन प्रत्येक जिले में इकट्ठा किया गया उसकी तालिका प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४१-५४२ पर।)

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह धन किन-किन एजेंसियों द्वारा इकट्ठा कराया गया ?

डाक्टर सीताराम—शिक्षा के जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने इकट्ठा किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इसमें हेल्प रही तथा डिस्ट्रिक्ट प्लांनिग आफिसर की भी इसमें सहायता रही।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या यह सत्य है कि उस धन का अधिकांश भाग प्रदेश के अध्यापकों ने वसूल किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसा कोई आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है कि कितना उनसे वसूल हुआ और कितना दूसरों से वसूल हुआ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि कहीं के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने कुछ शिकायत भी की है कि इसकी वसूली में उनके साथ ज्यादती की गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—ऐसी कोई शिकायत तो नहीं की गयी है। हां, कुछ राजनैतिक दलों ने शिकायत की है और उनकी भी जांच की गयी लेकिन वह गलत पाया गया।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह धन किस कार्य में व्यय किया जायेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह शिक्षा पुनर्योजना जो है उसी में व्यय किया जायगा ।

श्री गेंदा सिंह—क्या इसके खर्च करने में इस बात का भी ध्यान रखा जायगा कि कहां से कितना वसूल हुआ है ?

श्री हरगोबिन्द सिंह—वह तो जिले में हर जगह एक कमेटी बनायी गयी है और उसी के द्वारा इस धन का व्यय होगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्राइमरी और मिडल स्कूलों के गरीब और हरिजन विद्यार्थियों से भी एक रुपया प्रति विद्यार्थी वसूल किया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं, यह बिलकुल गलत है ।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस धन के लिये प्रत्येक जिले के वास्ते कोई धनराशि नियत की गयी थी कि विशेष रूप से इतना-इतना धन प्रत्येक जिले से वसूल करके दिया जाय ।

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, एक अनुमान लगा लिया गया था और उस अनुमान को अगर आप समझें कि वह निश्चित रकम के लिये था। तो इस सेंस में रकम निश्चित की गयी थी लेकिन खास तौर से किसी जिले के लिये कोई रकम निश्चित नहीं थी। हां, यह था कि इसके जरिये जहां तक हो सके ज्यादा रुपया वसूल होना चाहिये।

श्री देवदत्त मिश्र---क्या जिन गरीब जिलों से कम धन संग्रह हुआ है उनके अवशिष्ट भाग को सरकार की ओर से शिक्षा पुनर्योजना के लिये देने पर कोई विचार हो रहा है ?

श्री हरगोविंद सिंह---सरकार तो उसमें जो खर्च लगेगा वह तो देगी ही लेकिन कोई अवशिष्ट भाग किसी जिले के लिये नहीं ह। कोई निश्चित रकम जिले के लिये नहीं बांधी गयी है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि कई स्कूलों से गरीब और हरिजन छात्रों का नाम इस शिक्षा फंड में रुपया न देने पर काट दिया गया है ?

श्री हरगोविंद सिंह---जी नहीं, यह बिलकुल गलत है ऐसी सूचना मेरे पास नहीं आयी है और न ऐसी कोई रिपोर्ट आयी है इसलिये मैं कहता हूं कि यह बिलकुल गलत है।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस रुपये को खर्च करने के लिये जिले में किन-किन लोगों की कमेटी बनायी गयी है ?

डाक्टर सीताराम---इसमें हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, चैयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, वाइस चेयरमन, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग आफिसर, एम०एल०एज०, एम०एल०सीज०, रिप्रेजेंटेटिव्ज आफ रूरल एरियाज व्हेयर स्कूल्स इज लोकेटेड, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल उसके सेक्रेटरी हैं।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस फंड में कुल कितना रुपया वसूल हुआ है ?

श्री हरगोविंदसिंह---वह तो तालिका में दिया हुआ है और जिस दिन तक का हमारे पास हिसाब है वह है २३,९२,३७३ रु० १ आ० ९ पाई०।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने भी इस रुपये के वसूल करने में सहायता दी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, उनको सहायता देनी चाहिये और माननीय सदस्यों ने सहायता दी है सिवा इसके कि किसी विशेष राजनैतिक दल के लोग थे।

देहाती क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा योजना

*४०---श्री रामचन्द्र विकल---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के लिये क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है

डाक्टर सीताराम---कोई नवीन योजना नहीं है ?

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा को फैलाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जितने प्राइमरी स्कूल हैं उन सब में एक निश्चित उम्र की ही लड़कियां पढ़ती हैं इसलिये कोई अलग जरूरत नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की पाठशालाओं में लड़कियों के पढ़ने जाने में कुछ कठिनाई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---गांवों में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, ऐसी कठिनाइयां तो शहरों में ही होती हैं ?

श्री जोरावर वर्मा---क्या मंत्री जी शिक्षा योजना में इस प्रकार की सुविधा देने का विचार करेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैंने बताया कि गांवों में आवश्यकता इस वास्ते नहीं है कि सभी लड़कियां प्राइमरी स्कूलों में जाकर पढ़ सकती हैं ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गांवों में बालिकाओं की तादाद पाठशालाओं में कितने प्रतिशत है ?

श्री हर गोविन्द सिंह---यह तो निश्चित नहीं कहा जा सकता लेकिन जहां लड़कियों के पढ़ने का रिवाज है वहां पर करीब-करीब ५० प्रतिशत तक लड़कियां पढ़ने जाती हैं ।

श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)---क्या यह सही है कि एक दरख्वास्त श्री विकल जी की सिफारिश के साथ सरकार के पास आयी थी जिसमें उन्होंने लड़कों के स्कूलों के बजाय लड़कियों के स्कूल अधिक खोलने की प्रार्थना की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी मेरे पास तो कोई सूचना नहीं है लेकिन दरख्वास्त आई । होगी तो उस का जवाब दिया गया होगा कि वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है ।

श्री राम दास आर्य---हमारे प्रदेश के देहाती क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा का अभाव है उसको दूर करने के लिये शिक्षा मंत्री जी लड़कों के मुकाबिले में लड़कियों को शिक्षा देने के लिये कोई सुविधा देने का विचार रखते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सुविधा तो सब प्राप्त है और अगर उनका किसी विशेष सुविधा की ओर संकेत हो तो बताया जाय, यहां तो जितनी सुविधायें हो सकती हैं वह सब प्राप्त हैं ।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---जिस प्रकार से हरिजनों को शिक्षा की सुविधा दी जाती है क्या उसी प्रकार की सुविधाएं सरकार बालिकाओं के स्कूलों को भी देना चाहती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---होना तो चाहिये लेकिन आज की परिस्थिति में जहां सम्भव होगा और जहां आवश्यक होगा, किया जायगा ।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बालकों की शिक्षा के लिये जो नवीन शिक्षा प्रणाली लायी जा रही है उसी तरह से बालिकाओं की शिक्षा में भी परिवर्तन करने का विचार किया जायगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, गृह उद्योग आदि उनके लिये अनिवार्य कर दिया गया है ।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार लड़कियों की शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य करने का विचार रखती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---मुफ्त तो इस वक्त भी है लेकिन अनिवार्य नहीं है ।

नागरी लिपि सुधार के हेतु किये गये अखिल भारतीय सम्मेलन पर व्यय

*४१---श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नागरी लिपि सुधार के निमित्त जो अखिल भारतीय सम्मेलन गवर्नर हाउस में इस प्रदेश द्वारा किया गया उसमें कुल कितना व्यय हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---लगभग २९,५०० रु० ।

*४२-४४---श्री नवल किशोर (जिला बरेली)---[स्थगित किये गये ।]

ग्राम सुरक्षा समितियां

*४५---श्री वीरेंद्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)---क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के प्रत्येक जिले में इस समय तक ग्राम सुरक्षा समितियां बन चुकी हैं । यदि नहीं, तो कौन-कौन जिले में अभी तक उनका संचालन नहीं हो पाया है और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*४६---श्री वीरेंद्र वर्मा (अनुपस्थित)---क्या पुलिस मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन जिलों में ग्राम सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं वहां उक्त समितियों को प्रोत्साहित करने के लिये वह किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय किसी नयी योजना पर विचार नहीं हो रहा है । ऐसी आशा की जाती है कि वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत यथेष्ट प्रोत्साहन मिल सकता है परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई और सुझाव दें तो मैं उनका कृतज्ञ हूंगा ।

रामपुर जिले में विभिन्न वारदातों से सम्बद्ध हथियारों की बरामदगी

*४७---श्री कृष्ण शरण आर्य (जिला रामपुर)---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ के पूरे बजट वर्ष में पुलिस ने नर हत्या, जुये, डकैती, राहजनी, अफीम तथा कोकीन् की खुफिया फरोशी और नयम विरुद्ध शराब तोड़ने, हथियार बनाने व रखने तथा गऊ बध करने के कितने-कितने मामले रामपुर जिले में पकड़े तथा उनमें क्या-क्या बरामद किया ?

*४८---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त में से कितने मामलों के चालान किये गये तथा कितने दंडित हुए ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गयी सूचना संलग्न नकशे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५४३ पर।)

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि जो संख्या अपराधों की दी गयी है वह किस तारीख तक की है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस में जो ५३-५४ का पूरा बजट वर्ष है उसके बारे में पूछा गया था और उसी की यह सूचना है ।

श्री कृष्ण शरण आर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अपराधों पर अभी तक दंड दिये जा चुके हैं उनके अलावा कितने विचाराधीन हैं और कितने खारिज हो चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका पूरा विवरण मेरे पास नहीं है ।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि कौन-कौन हथियार बनाये गये थे जिन्हें पकड़ा गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---हथियार बनाये गये यह तो कहना जरा मुश्किल है लेकिन जो सामान बरामद हुआ वह तो मैं बतला सकता हूं और उसी से अन्दाज हो सकता है। १ डी०बी०बी० एल० बन्दूक, ६ सी० एम० पिस्तौलें, १ विलायती पिस्तौल, ८ तमन्चे, २ रिवाल्वर, ५४८ कारतूसें, ३८ खाली कारतूस तथा २ छटांक ३ तोला बारूद ।

श्री कृष्णशरण आर्य---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामपुर जिले में एक वर्ष में सबसे अधिक अपराध शराब तोड़ने, गोबध और अनुचित हथियार बनाने के पकड़े जाने का कारण क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लोगों ने अनुचित तरीके से शराब तोड़ी होगी और गोबध किया होगा ।

श्री कमला सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जितने मुल्जिमान इस मामले में पकड़े गये हैं उनमें कितने ऐसे हैं जो प्रीवियस कन्विक्ट हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह सवाल नहीं पूछा गया था इसलिये इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह बात सही है कि रामपुर में एक विधान सभा के सदस्य के खिलाफ कत्ल का मुकदमा है और उनका नाम क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न ५३-५४ के वित्तीय वर्ष का है। इसके बाद किसी बाबत जो पूछा जाय उसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष---वह इस वर्ष के अन्दर नहीं है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां ।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्री झारखंडे राय के प्रश्न को अब ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है ।

हरिजन संरक्षण विधेयक को कार्यसूची में न रखने का कारण

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक सूचना जानना चाहता हूं। श्रीमन्, श्रीमती आशालता व्यास, श्री जयपाल सिंह तथा श्री गंगाधर जाटव के नाम से एक हरिजन संरक्षण विधेयक इसमें आया था लेकिन आज वह कार्यक्रम में नहीं रखा गया है। श्रीमन्, यह विधेयक तीन बार आ चुका है लेकिन एजेन्डा में नहीं आया है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि किस कारण से ऐसा हुआ।

श्री अध्यक्ष—उस पर कानूनी विचार हो रहा है कि वह कानूनन इस शक्ल में लाया भी जा सकता है या नहीं। अभी तक मेरे पास उस संबंध में राय नहीं आई । मैंने उसके ऊपर यह निश्चय किया है कि अब बैलट करने की जरूरत नहीं रहेगी बल्कि जैसी ही राय मेरे पास आ जायगी उस पर निश्चय करके अगले सरकारी दिन अगर उसके विरुद्ध राय न आयी और यह राय प्राप्त हुई कि कानून के अनुसार वह उपस्थित किया जा सकता है और अगर मैं भी ऐसी राय से सहमत हुआ तो बगैर बैलट ही वह कार्य-क्रम में रख दिया जायगा।

नेता विरोधी दल को सुविधाएं देने के विधेयक के संबंध में परिप्रश्न

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय मैंने, नेता विरोधी दल की सुविधाओं का एक विधेयक भेजा था। वह बैलट में भी आ गया था लेकिन आज तक मालूम नहीं हुआ कि उसके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में आपके डी० ओ० के जवाब में कि जिसमें गवर्नर महोदय से इस विधेयक को उपस्थित करने की आज्ञा मांगी गई थी, मुझे यह सदन को इत्तला देने की सूचना मिली है कि गवर्नर महोदय ने इस की मंजूरी नहीं दी कि यह विधेयक असेम्बली में पेश किया जाय। यह इत्तला मेरे पास आ चुकी है कि श्री राज्यपाल से अनुज्ञा नहीं मिली, इस कारण यह सदन में पेश नहीं हुआ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—इसमें वह कारण नहीं है कि किस कारण अनुज्ञा नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—कारण उक्त सूचना में नहीं दिया गया है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कार्यक्रम जानना चाहता हूं।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, आज लंच के बाद मैं कार्यक्रम बतलाऊंगा।

जोतों की नयी पड़ताल संबंधी आदेश की प्रतिलिपि न मिलने की शिकायत

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय झारखंडेराय जी का एक सवाल था कि जोतों की नयी पड़ताल करने के लिए सरकार की ओर से कोई आदेश गये हैं। उसे राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया था कि गये हैं, तो माननीय नेता विरोधी दल ने पूछा था कि क्या उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को दी जा सकती है? राजस्व मंत्री ने स्वीकार किया था कि दी जा सकती है। फिर दुबारा एक दिन पूछा गया था तो माल मंत्री ने कहा था कि वह दी जायगी। इस बात को २० दिन हो गये हैं, लेकिन प्रतिलिपि हम लोगों को नहीं मिली। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कब तक हम लोगों को मिल सकेगी?

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक सूचना आई है, मेरे सचिव बता रहे हैं, कि उसकी एक प्रति माननीय राजनारायण जी को दी जा चुकी है। मैं जानना चाहता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी से कि और सदस्यों को भी उसकी प्रति भेजने को जो उन्होंने कहा था, तो वह कब तक भेजेंगे?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—हां, वह दे दी जायगी। अगर वह छप जायगी तो जल्दी ही दे दी जायगी।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों के संबंध में परिप्रश्न

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं यह जानना हूं चाहता अध्यक्ष महोदय, कि यह जो प्रिविलेज कमेटी थी उसकी रिपोर्ट आज तक छपी कि नहीं ? और छपी तो कब तक मेज पर रख दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—इसके छपने में देर हो रही है। उसका ड्राफ्ट आ गया है मेरे सचिवालय में और वह दुरुस्त करके फिर छापने के लिये भेजा जायगा और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही छप जाने पर वह रिपोर्ट सदन में उपस्थित की जायगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी सूचना देना चाहता हूं कि पब्लिक सरविस कमीशन की रिपोर्ट और पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट भी शीघ्र कार्यक्रम में शामिल कर ली जायंगी और भी रिपोर्टों के विषय में जिनके विषय में चर्चा यहां पर हो चुकी है या वह रूल्स जिनके संबंध में सदन में विचार किया जाना है इन सब के संबंध में मुख्य मंत्री जी से परामर्श करके यह तय हो चुका है कि वे भी सदन के कार्यक्रम में शीघ्र शामिल कर दी जायंगी।

अब इनमें कोई देर होने की संभावना मुझे दिखाई नहीं देती। जैसे-जैसे कार्यक्रम समाप्त होता जायगा उसके साथ-साथ वे भी विचारार्थ उपस्थित हो जायेंगी। तो इसी निश्चय के अनुसार कार्य होगा।

अनुपूरक अनुदानों पर भाषणों की सीमा के संबंध में तथा किसी विषय के न्यायालय के अधीन होने के संबंध में प्रश्न

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री बजट पर भाषणों की नीति के संबंध में मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मैं जानना चाहता हूं कि उस पर कब तक व्यवस्था होगी आपकी।

श्री अध्यक्ष—उसके सिलसिले में और भी एक प्रश्न उठा था कि जब कोई माननीय सदस्य अपने भाषण में उस मामले के संबंध में जो मामला अदालत के सुपुर्द है जिक्र नहीं ला सकता तो ऐसे मामलों को किस स्टेज पर अदालत के सुपुर्द समझा जायगा, इस संबंध में भी मुझे निर्णय देना था। दोनों निर्णय सोमवार को दूंगा। आज मैं इतनी सूचना देना चाहता हूं कि इस संबंध में जिन सदस्यों को मुझे सुझाव देना है वे आज मुझे दे दें और आज के बाद मैं समझता हूं कि कोई और मौका उन्हें सुझाव देने का नहीं मिलेगा। मैं अपना फैसला सोमवार को दे दूंगा।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—इस संबंध में एक निवेदन करना है कि सोमवार को शायद जब आप फैसला दें तो हममें से बहुत से लोग इस सदन में न हों। क्योंकि हम लोग बदायूं जायेंगे और ट्रेन का समय मालूम नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप बुध को दें।

श्री अध्यक्ष—मंगल को देने में क्या आपत्ति है ?

श्री राजनारायण—मंगल को भी कोई आपत्ति नहीं है। मगर मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं कि सब-जुडिस का मैटर कब समझा जाय, इस पर हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लर्नेड ऐडवोकेट्स को खत लिखे हैं और मैं समझता हूं कि ऐडवोकेट जनरल को पत्र लिख करके उनकी सम्मति मंगा लें। श्रीमन्, हो सकता है कि उसमें देर हो। हम एक अथारिटेटिव रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहते हैं। इसलिये मैंने कहा।

श्री अध्यक्ष—एक के बारे में मैं मंगल को निर्णय दे दूंगा और सब-जुडिस के संबंध के प्रश्न में निर्णय बुध को दे दूंगा।

प्रदेश में बेकारी दूर करने के हेतु गृह उद्योगों के पुनःसंगठन के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—आपने (श्री देवकी नन्दन विभव) इस प्रस्ताव को उपस्थित कर दिया था। आपका भाषण होना बाकी था। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय विभव जी द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है मैं समझता हूं कि यह अनियमित है। इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियम ७९ की तरफ आकर्षित करूंगा। वह इस प्रकार से है—

Conditions of Admissibility of Resolutions—In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditins, namely:

(1) it shall be clearly and preceisely expressed.

(2) it shall raise substantially one definite issue ;

जहां तक कि स्पष्ट इश्यू का संबंध है, मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव विभव जी द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वह प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव में जो शब्द हैं वह गृह उद्योग के संबंध में है, और इस प्रस्ताव के जो उपखंड ११ हैं उनमें जो विषय दिए हुये हैं, मैं समझता हूं कि बिल्कुल भिन्न-भिन्न हैं और उनमें से बहुत से विषय ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार की सीमा के अन्तर्गत आते हैं और उस पर विचार मैं समझता हूं इस विधान सभा में नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर नम्बर ५ इस तरह से है :—

"गृह उद्योगों से उत्पादित माल के वितरण और विक्रय के लिये मारकेटिंग बोर्ड बनाया जाय और उसके लिये भीतरी और बाहरी बाजारों को संगठित किया जाय।"

जहां तक बाहरी बाजारों का संबंध है यह फारेन मारकेट की नीति मैं समझता हूं केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। दूसरे संख्या ६ में यह है—

"विदेशों में गृह उद्योगों की वस्तुओं के प्रचार और मांग को संगठित किया जाय . . ."

यह भी मैं समझता हूं ऐसा विषय है जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित है। इसी तरह से सेक्शन ८ जो है—"विदेशों के मुख्य मुख्य शहरों में गृह उद्योगों की चीजों के लिये प्रदर्शनालय (शो रूम्स) खोले जायं"। यह भी विषय ऐसा है कि जिसका प्रत्यक्ष तौर से केन्द्रीय सरकार ही उपयोग कर सकती है। इस तरह से इसमें चार या पांच क्लाजेज हैं जिनके ऊपर अगर नीति निर्धारित की जा सकती है तो वह केन्द्रीय सरकार ही कर सकती है। तो इन कारणों से मैं आपके सामने यह सबमिट कर रहा हूं कि यह अनियमित है। पहला यह' . . .

श्री अध्यक्ष—आप दोहरायें नहीं, प्वाइन्ट आफ आर्डर में अपने तर्कों के दोहराने की जरूरत नहीं है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—तो ये विषय भिन्न-भिन्न हैं बल्कि जो ११ खंड है वह जो मूल प्रस्ताव है उससे कहीं व्यापक हैं और बिलकुल भिन्न-भिन्न हैं। इन कारणों से मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा इसके ऊपर कि यह नियमित है या अनियमित ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मुझे दुख है कि मैं अपने मित्र यादव जी से इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर नियम को देखें तो नियम ७७ में यह है कि संकल्प का रूप सभी की राय की घोषणा करना हो सकता है। तो माननीय विभव जी का जो

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

प्रस्ताव है वह एक राय को घोषित करता है, अपना मत व्यक्त करता है और जो ११ उपखंड हैं वह भी सब गृह उद्योगों से संबंध रखते हैं। नियम ७९ के अनुसार यह है कि "उससे सारतः एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा" तो इसमें एक ही प्रश्न उठाया गया है कि गृह उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय और इसमें उस पर मत व्यक्त किया गया है। तो एक तरह से सारतः एक ही प्रश्न है। इसके साथ ही साथ जहां विदेशों का प्रश्न है, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि यह सोचा जा सके कि कोई विदेश में सरकार के जरिये ही प्रदर्शनालय खोले जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि प्रदेशीय सरकार की तरफ से बम्बई में एक प्रदर्शनालय खोलने का निश्चय किया गया। लेकिन उसको सरकार ने नहीं खोला बल्कि कोआपरेटिव फेडरेशन ने उसको खोला। तो इस तरह से कोआपरेटिव फेडरेशन भी प्रदर्शनालय खोल सकता है। इसमें सरकार का प्रश्न उठता ही नहीं है। विदेशी आधार पर जो इसको संगठित करने की बात कही गई है वह भी कोई सरकार को मजबूर नहीं करती, बल्कि वह तो सहयोग समितियां भी खोल सकती हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार के लिये ही है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव नियमानुकूल है।

श्री अध्यक्ष—(श्री देवकीनन्दन विभव से) आप अगर नारायण दत्त जी के आरगमेंट्स को मानते हों तो उनको कृपया न दोहरायेंगे।

श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय नारायण दत्त जी ने जो मेरे प्रस्ताव के समर्थन में कहा है मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। यह विषय एक ही विषय से संबंधित है और इस प्रस्ताव में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इस सरकार के अधिकार के बाहर हो। इसलिये मैं समझता हूं कि जो हमारे माननीय यादव जी ने आब्जेक्शन उपस्थित किया है उसका कोई आधार नहीं है और इसलिये आप इस प्रस्ताव को जारी रखने की आज्ञा प्रदान करें।

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस के साथ यह इकबाल करना पड़ता है कि हमारे मित्र ने जो वैधानिक आपत्ति उठायी है वह मेरी समझ में किसी तरह से आयी नहीं। जहां तक इस प्रस्ताव का संबंध है, एक डेफिनिट इश्यू इसमें है कि गृह उद्योगों का विकास करके बेकारी मिटाई जाय। ११ प्वाइन्ट्स जो इसमें दिये गये हैं वह महज डीटेल्स की बातें हैं। उनमें भी कोई काबिले एतराज बात नहीं है। जहां तक विदेशों में बाजारों के प्रसार करने का संबंध है, वहां हमारी इम्बैसीज हैं, हाई कमिश्नर हैं, कमरशियल अटैचीज हैं, उनको हम अप्रोच कर सकते हैं और करते रहते हैं। इस तरह से यह सब बातें तो हमारे अख्तियार के अन्दर हैं। यह कहना कि केवल केन्द्रीय सरकार से इन बातों का संबंध है, ठीक नहीं प्रतीत होता, यह प्रस्ताव वैध है।

श्री अध्यक्ष—माननीय वीरेंद्रपति यादव जी ने कुछ एतराज इस प्रस्ताव के संबंध में पेश किये हैं जिनके आधार पर वह कहते हैं कि यह संकल्प अवैध है जो सदन के सामने उपस्थित है।

एक तो यह कि एक निश्चित विषय इसका नहीं है। इसके बारे में तो स्पष्ट यह बात है कि बेकारी दूर करना यह निश्चित विषय सामने है और बाकी जो ११ मदें इसमें दी हुई हैं वह एक कार्यक्रम इसके लिये निश्चित करता है और कुछ नीति भी निर्धारित करता है। तो यह आक्षेप बिलकुल स्पष्ट रीति से मैं समझता कि अनुचित सा है। यह आक्षेप संकल्प के वैधानिक होने के संबंध में बाधक नहीं प्रतीत होता।

दूसरे उन्होंने इन मदों के बारे में बतलाया है कि इसके कार्यान्वित करने में ऐसी १०, ११ मदें दी गई हैं कि अगर यह संकल्प स्वीकार हुआ तो उनका असर इस प्रकार के कार्यक्रम पर ही नहीं बल्कि केन्द्रीय सरकार के ऊपर जाकर पड़ता है और इस सदन के अधिकार यह नहीं

हो सकते कि केन्द्रीय सरकार को वह बाध्य कर सके। श्री नारायण दत्त जी ने इस आक्षेप के जवाब में यह कहा कि प्रस्ताव जो होगा वह केवल सिफारिश की तरह होगा। क्योंकि नियम ७७ में यह दिया हुआ है कि—

"A resolution may be in the form of a declaration of opinion by the Assembly."

यानी प्रस्ताव की शक्ल केवल अपनी राय की घोषणा करना मात्र है। पुराने गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार सदन की राय लेने का अर्थ केवल सिफारिश मात्र हुआ करता थी जिससे सरकार बाध्य नहीं थी। लेकिन अब सदन की राय की जो घोषणा होगी उससे सरकार बाध्य हो जाती है, क्योंकि सरकार इस सदन के लिये अब पूर्णरूपेण जिम्मेदार है। इस सदन की राय के ऊपर उसका चलना आवश्यक हो जाता है तो अगर कोई निश्चित राय सदन दे तो सरकार केवल सिफारिश समझ कर उसको ठुकरा नहीं सकती है। इसलिये यह कहना कि चूंकि यह राय जाहिर कर दी है इसलिये केन्द्रीय सरकार को भी कोई कार्यक्रम चलाने की सदन राय दे दे ऐसी बात प्रस्ताव में नहीं आनी चाहिये। अगर इस प्रस्ताव या संकल्प से केन्द्रीय सरकार पर इस प्रकार का कोई कार्यक्रम स्वीकार करने का असर पड़ता होता तो मैं इसको अवैधानिक करार दे देता। लेकिन जैसा कि उद्योग मंत्री जी ने कहा कि इस सरकार का यह काम होगा कि केन्द्रीय सरकार की जो संस्थायें अन्य देशों में मौजूद हैं, उनके द्वारा अपने यहां के उद्योग को वहां प्रोत्साहन दिलावे केन्द्रीय सरकार की सहायता लेकर। लेकिन यह काम इसी सरकार का होगा। इस प्रकार उद्योग मंत्री जी इस नीति पर अमल करने के लिये तैयार प्रतीत होते हैं। अगर सदन संकल्प को पसन्द करे और माननीय मंत्री जी उसे बरतने में असमर्थ होने के कारण उसका विरोध करें तो संकल्प को अस्वीकार करना ठीक हो सकता है परन्तु अगर वह स्वीकार कर लेते हैं और विरोध नहीं करते और सदन भी उसे मान लेत है तो उसको अमल में लाने की जिम्मेदारी उनकी होगी और जब उन्हें भी आपत्ति नहीं है तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि यह क्योंकर अवैधानिक हो सकता है।

अगर विवाद के बीच में मैं देखूंगा कि कोई कार्यक्रम जिसका संकल्प में निर्देश है सरकार के अधिकार सीमा के बाहर की चीज है और केन्द्रीय सरकार से संबंधित है तो उतना हिस्सा संकल्प में निकाल दिया जायगा। यह बहस के बीच में पता चलेगा लेकिन पूरे का पूरा संकल्प मैं अवैधानिक करार नहीं दे सकता हूं। कुछ थोड़े शब्दों का आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन हो सकता है। ऐसी हालत में यह हो सकता है कि जो कार्यक्रम का अंश केन्द्रीय सरकार से संबंधित हो उसके संबंध में संकल्प में सिफारिश की तौर पर वाक्यों को रख दें और इस प्रकार रखने में कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन अभी से यह तय करना इस समय मैं आवश्यक नहीं समझता हूं। मैं संकल्प को वैधानिक करार देता हूं।

श्री देवकी नन्दन विभव—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव उपस्थित करते हुये मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि जहां तक हो कम समय लूं और दूसरे सज्जनों को भी इस पर अपने विचार प्रकट करने का काफी मौका मिले।

देश के स्वतंत्र होने के बाद देश के सामने जो सबसे बड़ी एक समस्या थी और है, वह यह है कि देश के निवासियों का जीवन स्तर ऊंचा किया जाय। मुझे यहां वह आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है कि अन्य देशों के मुकाबिले में हमारे देश का जीवन स्तर कितना नीचा है। हमारे यहां प्लानिंग कमीशन का निर्माण हुआ, उसका मुख्य ध्येय यह था कि देश के वासियों के लिये ऐसी योजना बनायी जाय कि हम उनका जीवन स्तर कम से कम दूना ऊंचा कर दें, यानी पर कैपिटा इनकम दुगनी शीघ्र कर दी जाय। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये हमारे देश में और हमारे प्रदेश में भारी प्रयत्न हुये हैं। कई समस्यायें, खास तौर से अन्न की कमी की समस्या हमारे देश में भीषण रूप में थी और देश के लिये यह आवश्यक था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में हम अपनी भूमि और अन्न की व्यवस्था में सुधार करें जिससे हमारा देश सेल्फ सफिशेंट, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाय।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि देश जब आजाद हुआ तब हमारे दश में अन्न की कितनी कमी थी। बंगाल की घटनायें आपको याद होंगी कि जहां ४५ लाख आदमी इसीलिये तड़प तड़प कर मर गये, क्योंकि उनको भोजन प्राप्त नहीं हो सका तो किसी भी देश की सरकार के लिये सब से पहले यह अवश्यक था कि वह इस बात को देखे कि पहले खाने की समस्या हल हो। मैं आपसे इस संबंध में यह निवेदन करूंगा कि देश की बढ़ती हुई आबादी एक महान् समस्या है और प्रति वर्ष हमारे देश की आबादी १.३ प्रतिशत बढ़ जाती है। सन् १९२१ से लगा कर सन् १९५१ तक हमारे देश की आबादी १०,९०,००,००० बढ़ गयी है, जो कि ४४ प्रतिशत होती है। तो इस बढ़ती हुई आबादी से हमारे देश के सामने अनेक समस्याएं उपस्थित हो गई हैं और खास तौर से यह समस्या है कि इस बढ़ते हुये जनसमुदाय को कहां से काम प्राप्त कराया जाय। ५० लाख व्यक्ति इस देश में प्रति वर्ष बढ़ जाते हैं और न केवल इस बात की जरूरत है कि हमारे देश में जो तीन करोड़ आदमी अनएम्पलायड हैं और करीब-करीब २४ करोड़ आदमी जिनके अंडर एम्पलायड होने की वजह से उनको यदि ४ महीने भी काम नहीं मिलता है तो हमारी जन-बल की हानि की संख्या ११ करोड़ हो जाती है। इस ११ करोड़ जन-बल के साथ ५० लाख प्रतिवर्ष बढ़ते हुये जन-बल को हमें काम और भोजन की व्यवस्था करनी है।

यह महान् समस्या है। मैं इस बात को संक्षिप्त में आपके सामने उपस्थित करने का प्रयत्न करूंगा कि भूमि पर अब इस बढ़ते हुये जन समुदाय के भार को और नहीं बढ़ाया जा सकता। हमारे देश में करीब ८० करोड़ एकड़ भूमि है जिसमें से १० करोड़ भूमि ऐसी है जिसमें वन हैं, और १० करोड़ एकड़ भूमि ऐसी है जिसको हम कृषि के लिये प्राप्त नहीं कर सकते और १० करोड़ एकड़ भूमि के करीब ऐसी है जो कि कृषि के लिये सर्वथा अयोग्य है और केवल २६ करोड़ एकड़ भूमि ऐसी रह जाती है जहां कृषि हो सकती है, जो प्रति व्यक्ति, .६१ एकड़ आती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि जिस देश में इतनी कमी भूमि की है, जिस देश में भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा हो, जहां सन् १९२१ में हमारी भूमि पर १६ करोड़ व्यक्ति अवलम्बित थे वहां सन् १९५१ में उनकी संख्या २५ करोड़ हो गई और जन संख्या के करीब ७० प्रतिशत व्यक्ति का अनुपात रहा। तो अगर यही अनुपात जारी रहा तो सेन्सस कमिश्नर के अनुसार, जिनका अनुमान है कि सन् १९८१ में इस देश में जनसंख्या ५६ करोड़ हो जायगी, तो भूमि पर उसका दवाब ४० करोड़ व्यक्तियों का हो जायगा। किसी भी देश का जिसका जीवन स्तर ऊंचा करना है जैसा कि हमारा दावा है और जिस हेतु देश में महान् योजनायें संगठित की गयी हैं वहां भूमि पर इस प्रकार जन बल के बढ़ने से जीवन स्तर को ऊंचा करने की समस्या हल नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि हमारे देश में प्रति एकड़ उत्पत्ति बहुत कम है, उसको बढ़ाने के काफी हमारे पास साधन हैं और हम उसको बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम है कि जापान में चीन से दुगुनी उत्पति प्रति एकड़ है और चीन में हमारे देश से दुगुनी उत्पति होती है। तो इस अनुमान से हमें आशा है कि जो लोग कृषि के कार्य में लगे हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जायगा, लेकिन यदि भूमि पर इस तरह भार बढ़ता जाय तो हमारी वह आशा बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो जाती है। हमारे देश में कई प्लान्स बने। उनमें यह मांग की गयी थी कि कम भूमि पर दबाव किया जाय। लेकिन यदि हम यह भी मान लें कि जितने व्यक्ति भूमि पर अब अवलम्बित हैं उतने व्यक्ति भी रहें तब भी हमारे सामने यह समस्या है कि ११ करोड़ जो बेकार या अन्डर एम्पलाएड व्यक्ति हैं और जो ५० लाख प्रति वर्ष हमारी आबादी बढ़ती जाती है उसको हम कहां खपायेंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं थोड़ी सी बातों में कि बड़े-बड़े उद्योग धंधे इस संबंध में हमारी अधिक सहायता नहीं कर सकते। मैं यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं कि मैं बड़े उद्योग धंधों के विकास का विरोधी नहीं हूं। हमारे अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां कि आवश्यक

होगा कि हम उन क्षेत्रों में बड़े-बड़े उद्योग धंधों को बड़ी-बड़ी मशीनों से बड़े-बड़े औद्योगिक संगठनों को बल दें । लेकिन जहां तक हमारे अनइम्प्लायमेंट (बेकारी) का सवाल है वहां यह निश्चित है कि बड़े-बड़े उद्योग-धंधों में उस समस्या का हल नहीं हो सकता । यदि आप १०० वर्ष के इतिहास को देखें जबकि हमारे बड़े बड़े उद्योगों का संगठन हुआ और यदि हम उनमें यह देखें कि उनमें कितने व्यक्ति लगे हुये हैं, तो हम को यह स्पष्ट तरीके से प्रतीत हो जायगा कि आज भी सौ वर्ष के बाद केवल वहां २५ लाख अधिक से अधिक उन तमाम इंडस्ट्रीज पर जिस प्रकार से फैक्टरीज ऐक्ट लागू होता है, उनसे अधिक लोगों को उनमें नहीं लगाया जा सका । मुझे खेद होता है जब मैं देखता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह संख्या अब बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है । यदि मैं आपके सामने दस वर्ष के आंकड़े उपस्थित करूं तो मालूम होगा कि किस तरीके से हमारे देश में यह संख्या निरन्तर या तो स्थायी रही है या घटी है । हमारे प्रदेश में ही जहां सन ४५ में करीब ढाई लाख व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए थे इन मिलों में वहां उन लोगों की संख्या केवल दो लाख रह गयी है । इन आंकड़ों में मैं अधिक समय न लूंगा । लेकिन मैं आपसे एक बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि हमारे देश में अनइम्प्लायमेंट की समस्या हल करने के लिये जब हम भूमि पर अधिक लोगों को खपा नहीं सकते, बड़े उद्योग-धंधों में हम लोगों को लगा नहीं सकते तो निश्चित यह है कि हमको दूसरा रास्ता उसके लिये निकालना पड़ेगा और वह कौन सा रास्ता हो सकता है ? वह रास्ता हो सकता है काटेज इंडस्ट्रीज का । यहां मैं यह विवेदन कर दूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा था और उनका अंतिम विचार यह था कि यदि देश की सामाजिक व्यवस्था के लिये हम उद्योग-धंधों का बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करें तो उन्हें उसमें ऐतराज न हो । परन्तु उस देश में जिसमें मनुष्य की संख्या अधिक है, जनबल की संख्या अधिक है उस देश में मनुष्य का स्थान मशीन को देना निश्चय ही एक बड़ी बुरी बात है । प्लानिंग कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि जिस तरीके से देश की परिस्थिति को देखते हुए कि खाने पीने की चीजों की कठिनाई है, पहली योजना में यह आवश्यक था हम भूमि और खाद्य की समस्या को पहले प्राथमिकता दें, इसी तरह अब यह आवश्यक है कि हम पहले प्राथमिकता उद्योग-धंधों को और विशेष कर काटेज इंडस्ट्रीज को दें । प्लानिंग कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है कि--"The Central Government must now give the same attention to the village and small scale industries as it has undertaken in view of the shortage of food and raw-materials."

श्री अध्यक्ष--आप हिन्दी में समझा दीजिये ।

श्री देवकीनन्दन विभव--केन्द्रीय सरकार को अब ग्राम और छोटे उद्योग धंधों पर उसी प्रकार ध्यान देना चाहिये जिस प्रकार उसने पहले कृषि, फूड और रा-मैटिरियल को प्राथमिकता दी थी ।

आगे कमीशन ने यह भी कहा है--"Small industires," the Commission adds, "derive part of their" significance from their potential value for the employment of trained and educated persons."

अध्यक्ष महोदय, शिक्षित वर्ग में जो बेकारी अधिक से अधिक फैलती जा रही है उसके सम्बंध में मैं यह समझता हूं कि इस सदन में उल्लेख न करना इस विषय को अपूर्ण छोड़ना होगा । मुझे खेद है वह यह कि शिक्षित वर्ग की बेकारी के पूर्ण आंकड़े हमारे सामने नहीं हैं परन्तु बेरोजगारी के दफ्तरों में जो आदमी नाम लिखाने जाते हैं और उनकी जो संख्या प्रकाशित हुई है उससे हम इस बेरोजगारी का अन्दाज लगा सकते हैं । १९४७ में हमारे प्रदेश में ही इन लोगों की संख्या १,७१,६०४ थी, १९४८ में वह १,८१,८८० हो गई, १९४९ में वह बढ़ कर २,३१,३१० हो गई, १९५० में वह २,८७,८७६ हो गई, १९५१ में वह २,८८,९७१ हो गई, १९५२ में वह ३,११,०९५ हो गई और १९५३ में वह ४,३३,५३१ हो गई । मैं इस बात को मानता हूं कि बेरोजगारी के दफ्तरों में अब अधिक से अधिक लोग नाम लिखाने लगे हैं, यह भी

[श्री देवकी नन्दन विभव]

एक कारण है संख्या के बढ़ जाने का, लेकिन साथ ही इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो पृष्ठ-भूमि मैंने आपके सामने रक्खी है उससे यह निश्चित है कि देश की बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष—आपका वक्त खत्म हो रहा है।

श्री देवकीनन्दन विभव—मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि वह मुझे थोड़ा सा समय और दें क्योंकि मुझे यह मालूम नहीं था।

श्री अध्यक्ष—यह तो हमेशा का रिवाज रहा है कि २५ मिनट का वक्त पहले भाषण के लिये होता है। इससे अधिक आपको नहीं मिल सकता।

श्री देवकीनन्दन विभव—मुझे इस बात के कहने में तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारे उद्योग मंत्री जी प्रांत के उद्योग धंधों की उन्नति करने का काफी प्रयत्न कर रहे हैं और हमें उनसे आज जो देश की आवश्यकता है उसको महसूस करते हुये उसे वास्तव में किस पैराये पर हमको ले जाना है उसको भी सोचना है। हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट उस समय बना था जब कि हमारे देश की सरकार को उद्योग-धधों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि हमारा देश केवल कृषि प्रधान देश बना रहे। तो उस समय जो चीजें बनायी गयी वह केवल जनमत को दिखाने के लिये चीजें थीं। कांग्रेस सरकार ने आते ही उनमें उन्नति की और बहुत भारी उनके लिये काम किया, लेकिन साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि आज देश की काटेज इंडस्ट्रीज और देश के उद्योग-धंधे को उसी स्थिति पर हमको हल करना है जिस स्थिति पर जापान ने हल किया है। जापान की समस्या करीब करीब वही थी जो आज हमारी है। जब मैं यहां पर काटेज इंडस्ट्री की बात करता हूं तो उसका कारण केवल यही नहीं है कि जो हम पुराने ढंग से काम करते चले आये हैं वही करते रहें। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब जो हम अपनी योजनाओं से करने जा रहे हैं उससे गांव गांव में बिजली पहुंच जाने वाली है। तो हमको हर घर में यह प्रयत्न करना है कि जिससे छोटे घरों में भी छोटी-छोटी मशीनें लग सकें और उनसे वहां के जो घर हैं यूनिट हैं वह कार्य कर सकें, इससे हम अपने लाखों भाइयों को काम में लगा सकते हैं। गांवों में जो अन्डर इम्पलायड हैं जिसके लिये बराबर पूज्य बापू जी कहा करते थे कि यदि हमको अन्डर इम्पलायमेंट दूर करना है तो उसके लिये ग्राम उद्योग-धंधों को देश के सामने रखना है और यदि आज हमको ग्रामोद्योग को विकसित करना है तो हमको यह नहीं भूल जाना है कि जापान ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का मुकाबिला किया था उन अपने छोटे-छोटे उद्योग-धंधों से। क्या यह भूल जाने की बात है कि यूरोप के बाजारों में और उन देशों में जहां उद्योग-धंधे इतने विकसित हैं वहां पर उनको जापान से अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता पड़ी थी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने महान जनबल को मोबलाइज करें। हमारी योजनायें चीन से भी बड़ी हैं उनका महत्व हमें समझना चाहिये। लेकिन कम से कम चीन से एक बात हमको अवश्य सीखनी है और वह यह है कि हम जहां जहां भी जनबल का प्रयोग कर सकते हैं वहां पर जनबल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आज हमारा जो जनबल बेकार पड़ा हुआ है उसकी एक महान् समस्या है। अपने देश को उच्च स्तर पर इस जनबल के द्वारा ला सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव आपके सन्मुख रखता हूं और मुझे आशा है हमारे मंत्री जी इसके ऊपर उसी दृष्टि से विचार करेंगे जिस दृष्टि से यह रखा गया है।

श्री अध्यक्ष—इस पर २९ संशोधन हैं इसलिये मैं उन संशोधनों को नहीं लूंगा, जो संशोधन की दृष्टि से केवल शाब्दिक हैं, नहीं तो इन शाब्दिक संशोधनों के कारण माननीय सदस्य महत्वपूर्ण संशोधनों पर भाषण नहीं दे सकेंगे और इन संशोधनों में ही वक्त

निकल जायगा। माननीय नारायण दत्त तिवारी का जो संशोधन है वह निरर्थक सा मालूम होता है, उसका जो उद्देश्य है वह मूल प्रस्ताव में पूरी तरह से आ गया है। श्री प्रतिपाल सिंह जी का भी संशोधन इसी प्रकार का है।

श्री प्रतिपाल सिंह (जिला शाहजहांपुर)--मेरा एक ही संशोधन था वह तीन जगह बांट दिया गया है। न जाने किस परिपाटी के अन्दर ऐसा हो गया है। अगर आप उन तीनों को मिला कर पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि वह शाब्दिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--(संशोधन संख्या २, ३ और ८ के पढ़ने के पश्चात्) यह केवल साहित्यिक संशोधन हैं। मैं आपको आगे चल कर भाषण देने के लिये समय दे दूंगा।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी के प्रस्ताव में अपना संशोधन उपस्थित करता हूं? वह इस प्रकार है--

संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "बेकारी को दूर करने के लिये" के बाद के वाक्यांश के स्थान पर शब्द "प्रदेश के गृह उद्योगों तथा कृषि का पुनः संगठन कर एक व्यक्ति एक व्यवसाय के सिद्धान्तानुसार प्रदेश के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को काम में लगाया जाये" रख दिये जायं। तथा संकल्प का शेष भाग (१) से (११) तक निकाल दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मूल प्रस्ताव का प्रश्न है मेरे संशोधन के पश्चात् वह इस प्रकार हो जायगा--

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये प्रदेश के गृह-उद्योगों तथा कृषि का पुनः संगठन कर एक व्यक्ति एक व्यवसाय के सिद्धांतानुसार प्रदेश के प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को काम में लगाया जाय।"

इसका तात्पर्य यह है कि हमारे प्रदेश में जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं, जो अडल्ट हैं, चाहे किसी भी व्यवसाय में लगे हुये हों, किसी भी आक्यूपेशन में हों, किसी प्रकार की तिजारत करते हैं या कहीं खेती करते हैं, किसी इंडस्ट्रीज में हैं, काटेज इंडस्ट्रीज में हैं, चाहे वे कहीं भी काम करते हैं लेकिन आज हमारे सामाजिक संगठन की स्थिति ऐसी है कि एक-एक व्यक्ति के पास तीन-तीन साधन मौजूद हैं परन्तु तीन-तीन साधन के होने के बाद भी वे यहां पर अनइम्पलाइड और बेकार कहे जाते हैं। उदाहरण के लिये मैं आपके सामने उस स्थिति को रखना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत हमारे समाज के अन्दर इस तरह की असमानता पैदा हुई है।

मैं आपको पहले खेती की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां कि हमारे गांव के रहने वाले नौजवान किसान है जिनमें किसी के पास ढाई सौ बीघा जमीन है तो किसी के पास ५ सौ बीघा जमीन है, किसी के पास १०० बीघा जमीन है। उनके यहां के लड़के जब यूनिवर्सिटी से पढ़ कर निकलते हैं, इंटरमीडियेट पास कर निकलते हैं तो बावजूद इसके कि खेती उनकी इनहेरिटेड सम्पत्ति होगी, अपने वाल्दैन के बाद वे ही उस खेत के मालिक होंगे, लेकिन वे भी एक्सचेंज में जाकर अपना नाम अनइम्पलायड और बेकारों की श्रेणी में ही लिखाते हैं। तो इस देश की ऐसी स्थिति है कि उनकी जीविका उसी के ऊपर अवलम्बित है, उनकी जीविका के साधन मौजूद हैं लेकिन फिर भी वे अपने को यहां पर बेकार कहते हैं। अब आप शहरों की तरफ जायं तो वहां पर देखें कि बड़े-बड़े व्यवसायी हैं, बड़े-बड़े दूकानदार हैं जिनके पास लाखों रुपये की सम्पति है, जिनकी दूकानों में लाखों रुपये लगे हुये हैं उनके भी लड़के जब यूनिवर्सिटी से निकल कर आते हैं तो जब कि उनका इनहेरिटेड व्यवसाय है, इनहैरिटेड सम्पत्ति है फिर भी वे अपना नाम बेकारों की श्रेणी में लिखाते हैं। मैं नहीं समझता कि आखिर उनके मर जाने के बाद उनके वाल्दैन जब उन्हीं को अपनी सम्पत्ति सौंप कर जायेंगे, लाखों करोड़ों

[श्री शिवकुमार शर्मा]

रुपये व घर की तमाम सम्पत्ति के उत्तराधिकारी वे ही होंगे, लेकिन जब वे ही विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से पास होकर निकलते हैं तो अपना नाम एक्सचेंज में जाकर बेकारों की श्रेणी में लिखाते हैं। इसी तरह से नीचे तबके के जो लोग हैं यानी जिनको मिडिल क्लास कहा जाता है वे भी गाँव तथा शहरों में मौजूद हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और जो अपने लड़कों का अच्छा एजूकेशन भी देते हैं और जिनके पास लाखों करोड़ों रुपये की सम्पत्ति मौजूद है। बहुत से शहरों में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जेनरल मर्चेन्डाइज की दूकान है या और किसी तरह की दूकान है और उनके पास काफी सम्पत्ति है लेकिन उनके लड़के भी जब यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो अपना नाम एक्सचेंज में जाकर लिखा आते हैं कि हम बेकार हैं। अगर हम वस्तुस्थिति का विश्लेषण करें तो मालूम होता है कि जिनके पास जीविकोपार्जन के, गुजारा करने के लिये प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्थान में साधन मौजूद हैं फिर भी उनके पास यदि जायं तो वे यही कहते हैं कि हम बेकार हैं। उनके पास लाखों रुपये की सम्पत्ति है, जमीन भी है, बड़े-बड़े फार्म उनके चल रहे हैं, हजारों एकड़ का फार्म उनके पास हैं, ट्रैक्टर्स हैं, दूकानें हैं लेकिन फिर भी चूंकि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली इसलिये वे अपने को अनइम्पलाइड और बेकारों की श्रेणी में रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुये केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिये कोई मनुष्य बजाय इसके कि जिस क्षेत्र में वह लगा हुआ है उसमें लगा रहे, जो उसका पैत्रिक व्यवसाय है उसमें लगे, अपना नाम बेकारों की श्रेणी में दिखलाने की कोशिश करे तो यह उसके लिये अपमानजनक है। जिनके पास जो व्यापार हो, चाहे जमीन हो, चाहे दूकान हो, चाहे और कोई साधन हो वह भी अपने को बेकार कहे तो यह मुनासिब नहीं है। इसलिये इस परिस्थिति में हमारे देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिसमें एक व्यक्ति के लिये एक व्यवसाय मुकर्रर हो। अगर वह कहे कि मैं इस व्यवसाय में नहीं जाना चाहता हूं, किसी दूसरे व्यवसाय में जाना चाहता हूं और तब वह व्यक्ति अपने को बेकार कहे तब कुछ बात समझ में आ सकती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने पैत्रिक व्यवसाय को करने के साथ ही यह भी चाहे कि उसका नाम बेकारों की श्रेणी में लिखा जाना चाहिये तो मैं समझता हूं कि इस चीज को समाज को हल करना चाहिये। मैं खेती की तरफ ही आपको ले जाना चाहता हूं। एक व्यक्ति है जिसके पास ढाई सौ या तीन सौ बीघा जमीन है और जिससे एक परिवार ही नहीं बल्कि कई बड़े परिवारों की गुजर हो सकती है तो इस आर्थिक दृष्टिकोण से भी हमको विचार करना है कि जब उनको उसकी वसीयत मिलेगी ही तो फिर अपने को बेकारों की श्रेणी में नाम लिखाना उनका उचित नहीं कहा जा सकता है। आखिर जब उनके माता-पिता इतनी सम्पत्ति छोड़ कर मरेंगे तो उसके उत्तराधिकारी तो वे ही बनेंगे। तो देश में जो ऐसे बेकारों की संख्या है समझ में नहीं आता कि उसका किस प्रकार से निराकरण करें। जहां तक देश में बेकारों की संख्या है गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से जो आंकड़े मिले हैं उसमें है कि करीब ५ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो बेकार हैं लेकिन जो और राजनैतिक दल हैं या जो प्रख्यात व्यक्ति हैं जैसे डाक्टर राम मनोहर लोहिया का आंकड़ा है कि हमारे देश में ७ करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो बेकार होकर घूमते हैं। तो यदि हम उन संख्याओं में से किसी भी संख्या को ले लें तो जितने अर्थशास्त्रवेत्ता हैं और जितने एकनामिस्ट हैं उनका यह मत है कि किसी भी व्यक्ति को काम पर लगाने के लिये ५ हजार से १० हजार रुपये तक की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी वाशरमैन को या किसी ग्रेजुएट को काम में या किसी धंधे में लगाना चाहते हैं तो उसको ५ हजार से लेकर दस हजार के बीच किसी रकम की जरूरत होगी और अगर हम कोई निश्चित धन उसको दे दें तभी कायदे से वह किसी रोजगार में लग सकता है, लेकिन अगर हम मान लें कि ५ हजार से ७ हजार तक ही किसी को दे दें तब भी ७ करोड़ व्यक्तियों की समस्या को हल करने के लिये हमें ३५ हजार रुपये की जरूरत होगी और वह रुपया सरकार को लाना पड़ेगा। तो जहां तक इतनी बड़ी रकम जो ३५ हजार करोड़ की है उसकी जरूरत का सवाल है उतने रुपये से तो अगर हम दस पंचवर्षीय योजना भी चलायें तो भी हमें इतने रुपये की जरूरत न होगी

जितनी कि हमें एक साल में अपने अनएम्पलाइड लोगों को देनी होगी। फिर सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम आयेगी कहां से जिस से आप बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं। इससे मालूम होता है कि जरूर हमारे सामाजिक ढांचे में ही कोई गलती है और उसको हमें कहीं न कहीं ठीक करना पड़ेगा। इस तरह से समस्या हल नहीं हो सकती वह तो और बढ़ती ही जाती है। जब हम देखते हैं कि अपने यहां कितनी जन संख्या है जिसका यह प्रश्न है और जो रोज बढ़ती ही चली जाती है। जितना-जितना हम प्रगति की ओर बढ़ते जाते हैं और नये-नये साधन जुटाते जाते हैं और जितना हम स्टैंडर्ड आफ लिविंग उठाना चाहते हैं उतना ही हम बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण नीचे गिरते जाते हैं। ज्यों ज्यों हमारी जनसंख्या बढ़ेगी उसका निश्चित रूप से परिणाम यह होगा कि उसके फलस्वरूप अनएम्प्लायमेंट और बेकारी भी बढ़ेगी जैसा कि आप देखेंगे कि अगर आप सन् १८७० से १९३० तक आंकड़े देखेंगे तो भारत-वर्ष की जनसंख्या ६५ प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी है। अगर आप इंगलैंड की जनसंख्या को देखें तो वहां भी १८७० से १९३० तक ७४ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है और २ करोड़ से ४ करोड़ तक पहुंच गई है और जर्मनी में भी ४ करोड़ से ६ करोड़ जनसंख्या हो गई है और वह इटली और फ्रांस सब जगह में अगर आप देखेंगे तो जनसंख्या बराबर बढ़ रही है। अगर हम यहां की अपने देश की जनसंख्या को देखें तो विभाजित भारतवर्ष की पाकिस्तान को छोड़कर आबादी देखें तो वह करीब ३६ करोड़ के पहुंच गई है। इस तरह से अगर जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो उसी अनुपात से वरन् उससे भी अधिक वृद्धि बेकारी की संख्या में भी हुई है।

इसलिए अब आप जिस तरह से भी इस को हल करें, लेकिन, हमें यह सोचना होगा कि हम इन बेकार लोगों का किस तरह से वर्गीकरण करें और किस तरह से अपने यहां उद्योग-धन्धों का भी वर्गीकरण करें। जहां तक देखने और सुनने में आता है और जो आंकड़े मिलते हैं उनसे मालूम होता है कि खेती में ६५.८ प्रतिशत यानी करीब ६६ प्रतिशत के कृषि पर लोग गुजर करते हैं, जब कि खेती हमारा सबसे कम मुनाफे वाला व्यवसाय है। तो सबसे कम मुनाफे वाले व्यवसाय पर भी हमारे देश के लोगों की इतनी बड़ी संख्या जीवनयापन करती है यानी कृषि से जीवनयापन करती है। इसी तरह से अगर हम उद्योग धन्धों को देखें तो १०.५० प्रतिशत लोग उद्योग धन्धों पर गुजर करते हैं। इसी तरह से व्यापार पर करीब २.८ प्रतिशत लोग गुजर करते हैं जब कि अन्य देशों में १३.७४ प्रतिशत लोग यानी करीब १४ प्रतिशत लोग इस पर अपनी गुजर करते हैं। तो चूंकि हमारे यहां ६६ प्रतिशत लोग कृषि पर गुजर करते हैं इसलिए सबसे ज्यादा बेकारों की संख्या अगर हम देखें तो वह भी उसी वर्ग में मिलेगी जो खेती पर गुजर करती है। खेती पर गुजर करने वाले लोगों में से ही सबसे अधिक संख्या जाकर बेकारों की एक्सचेंज में नाम लिखाती है। तो यह दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ तो ६५ फीसदी लोगों का खेती के साधन जुटाए जांय, उनको ट्यूबवेल बनवाकर दिये जांय, बीज की व्यवस्था उनके लिए की जाय, हर प्रकार के खेती के इम्पलीमेंट्स उनको दियें जांय जिससे वह हर प्रकार की उन्नति कर सकें और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ जो उनके सकसेसर हैं जिनकी सम्पति जाने वाली है उनके नाम एक्सचेंज में भी लिखे जायं? तो मुझे ये दोनों बाते असंगत सी प्रतीत होती हैं। इसके लिए आपको यह करना है कि केवल उन्हीं लड़कों को काश्तकारों के अनएम्प्लाएड करार दिया जाना चाहिए, जिन लोगों के पास खेती की व्यवस्था न हो या उत्तराधिकार की सम्पति न जाने वाली हो और इसके बाद बेकार घोषित किया जाना चाहिए। जिनके पास उत्तराधिकार की सम्पति न हो या काश्तकारी-व्यवस्था न हो नम्बर १, नम्बर २, उनको कभी बेकार नहीं घोषित नहीं किया जाना चाहिए जिनको पैत्तृक सम्पति इतनी हो जिससे लाखों या हजारों रुपया पैदा किया जा सके और जो उसे उत्तराधिकार में मिलेगी और उन लोगों को भी उसमें नहीं जाना चाहिए जिन लोगों के लिए यातायात या मिलिट्री आदि में सर्विसेज रिजर्व्ड या जो लोग हैं आयेगें या जिनके लड़के वहां पर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार जिनके पास अपने इंडिपेंडेंट स्वतंत्र व्यवसाय हों, चाहे वह पत्रकार हों चाहे बड़ी इंडस्ट्रीज हों चाहे छोटी इंडस्ट्रीज हों या उसके पास खेती के साधन हैं मेरी समझ में नहीं आता कि उन्हें किस प्रकार से

[श्री शिवकुमार शर्मा]

बेकार कहा जा सकता है। अब प्रश्न यह होता है कि आखिर इस समस्या को हल करने के लिये यदि हम कृषि तथा अन्य व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं तो फिर हमें दूसरे प्रकार के उद्योग-धंधों का वर्गीकरण करना चाहिये। तो जहां तक अन्य व्यवसायों के वर्गीकरण का संबंध है उसमें जहां तक विद्वानों का मत है एक बात साफ तौर से कही गई है कि किसी भी देश के आगे बढ़ने के लिये यह नितान्त आवश्यक हो जाता है कि उस देश का विकास और उसकी शिक्षा दोनों एक साथ होकर चलें। यदि विकास और शिक्षा दोनों हाथ में हाथ डालकर नहीं चलतीं तो परिणाम उसका यह होता है कि शिक्षा आगे बढ़ जाती है और देश का विकास पीछे रह जाता है और देश के अन्दर पढ़े हुए नवयुवक जो होते हैं जिनका वातावरण बिल्कुल एक प्रकार से बदला हुआ होता है जो गांव में पिछड़े हुये वातावरण में नहीं जाना चाहता वह एक प्रकार से परेशान होता है, उसका मस्तिष्क एक प्रकार से असंतुष्ट होता है और वह समाज और देश की सरकार के खिलाफ बगावत करने लगते हैं तो शिक्षा और विकास का सामंजस्य होना चाहिये और किसी प्रकार से शतप्रतिशत इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिये। अमेरिका में वहां के विद्वान के मत के अनुसार अपने यहां दोनों चीजों को बराबरी पर रखकर प्लानिंग की है। उनका मत है कि जितना हम विकास कर सकें कृषि का उसी के साथ-साथ उद्योग धंधों का भी उतना ही विकास करवाना है और अगर कृषि में हम ५० प्रतिशत लोगों को खपा दें तो यह नितान्त आवश्यक होता है कि ५० प्रतिशत नवयुवकों को आगे बढ़ाकर शिक्षा में ला सकें और अगर यह ५० प्रतिशत नवजवान बेकार पड़े रहे तो ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है और यह जो ५० प्रतिशत बेकार हो जायेंगे तो वह समाज में और देश में किसी भी समय एक इनकलाब की चिनगारी पैदा कर सकते हैं क्योंकि वे अपने जीविका के अर्जन का साधन चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शिक्षा और विकास दोनों हाथ में डालकर आगे बढ़ें और यदि इन दोनों में सामंजस्य नहीं हुआ तो स्थिति लड़खड़ाती ही जायगी।

अब जहां तक औद्योगीकरण और बेकारी का संबंध है आप देखेंगे, आज देश के अन्दर सबसे ज्यादा जो बेकारों की संख्या है वह मिडिल क्लास, मध्यम श्रेणी और नीची श्रेणी के लोगों की है। मध्यम श्रेणी के लोगों के सामने एक बड़ा प्रश्न यह है और यदि आप बेकारी की समस्या को हल करना चाहते हैं तो उसके लिये पूंजी को हटा दें और यही समस्या जो गरीब और नीचे वर्ग के लोग हैं उनकी भी है। नीचे वर्ग के लोगों के साथ एक समस्या यह भी है कि वह इतनी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उनके पास साधन नहीं है तो वह निम्न स्तर के लोग अपनी शिक्षा के भार को सहन कर सके या सेकेंड्री एजूकेशन प्राप्त कर सके यह मुश्किल सा है लेकिन मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास साधन मौजूद है और वह सेकेंड्री एजूकेशन और यूनिवर्सिटी एजूकेशन तक पढ़ सकते हैं जब कि उच्च वर्ग की स्थिति यह है कि वह एजूकेशन दिला सकते हैं उनको रोजगार दिला सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें यह जरूर देखना होगा कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वह पढ़ लिख कर बेकार न रहें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय देवकीनन्दन विभव जी के संकल्प का समर्थन करता हूं और मुझे दुख है कि मैं माननीय शर्मा जी के संशोधन से सहमत नहीं हूं।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव के महत्व को समझने के लिये हमको यह जानना अनिवार्य होगा कि गृह उद्योगों की परिभाषा क्या है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि अर्थवेत्ताओं ने गृह उद्योग-धंधों के प्रति अपनी उपेक्षा नीति को कायम रखने के लिये शुरू से ही गृह उद्योगों की परिभाषा को विकृत किया। मैं लम्बे चौड़े विस्तार में नहीं जाना चाहता, परन्तु मैं इतना कहूंगा कि भारतीय फिसिकल कमीशन ने, भारतीय आर्थिक कमीशन ने जो परिभाषा गृह उद्योगों की स्थापित की है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह सबसे अधिक स्पष्ट है। गृह उद्योगों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है उस परिभाषा के अनुसार और यह कहा गया है कि गृह उद्योग एक तो वह है कि जो काटेज इंडस्ट्री कहलाई जायेगी। इसका अर्थ यह है कि ऐसे ग्रामोद्योग जो ग्राम्य जीवन का एक अंग हैं और जो कृषि पर निर्भर रहने वाले परिवार को एक दूसरा, कृषि के अलावा, व्यवसाय देते हैं और जो यदि कृषि से उनका पालन नहीं हो सकता तो उनको सप्लिमेंटरी प्रोबेशन, एक पूरक व्यवसाय के रूप में काम करते हैं। श्रीमन्, यह जो काटेज इंडस्ट्री की परिभाषा है इसके आधार पर ही मैं माननीय शर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं क्योंकि उनका कहना है कि एक व्यक्ति एक व्यवसाय करे। अगर मैं इस परिभाषा को मानलूं तो काटेज इंडस्ट्री की सारी परिभाषा समाप्त हो जायगी, क्योंकि फिर कोई भी काश्तकार, कोई भी किसान ग्रोमोद्योग नहीं कर सकता। उसका कृषि व्यवसाय ही अपना रहेगा। तो मैं केवल इस परिभाषा के आधार पर माननीय शर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं। श्रीमन्, परिभाषा का जो दूसरा भाग है वह स्माल स्केल इंडस्ट्रीज से संबंध रखता है, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं उनसे संबन्ध रखता है। छोटे उद्योग उनको माना जा सकता है कि जिनमें २० तक व्यक्ति काम करते हों। २० व्यक्ति जिस उद्योग में काम करते हों वह छोटा उद्योग है ऐसा फिसिकल कमीशन ने माना है और उसके भी तीन भेद किये गये हैं और जहां माननीय विभव जी के द्वारा ११ खंड प्रस्तुत किये गये हैं, हमें उन तीन भेदों को भी स्वीकार करना होगा। यह तीन भेद इस प्रकार हैं--एक तो वह कि जिनको बड़े-बड़े उद्योग धंधों के कंपीटीशन से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ता, जैसे अलीगढ़ के ताले की इंडस्ट्री या बटन बनाने की इंडस्ट्री। यह पहली श्रेणी के उद्योग धंधे हैं। दूसरे वह जो कि कंपीटीशन से नुकसान उठाते हैं, जिनको बड़े-बड़े कारखानों से नुकसान पहुंचता है, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री, हाथ से कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री। आज भी हमारे देश में जो ३० लाख हैंडलूम हैं इनको जो २१ हजार पावर हैंडलूम्स हैं इनसे कंपीटीशन करना पड़ता है, तो यह दूसरी श्रेणी के उद्योग धंधे हैं और तीसरे वह हैं कि जो किसी बड़े उद्योग के हिस्से हैं। वह उनको सप्लीमेंट करते हैं, जैसे साइकिल पार्ट्स या ट्रैक्टर के इंप्लीमेंट्स बनाने का काम, जिनका संबंध बड़े उद्योग-धंधों से है। तो इस प्रस्ताव को अंगीकार करने के लिये हमें इन विभेदों को स्पष्ट समझना पड़ेगा और साथ-साथ हमें अपनी भूमिका भी बतानी पड़ेगी कि आज इस प्रदेश के व्यवसाय में क्या आंकड़े हैं कि जिनके आधार पर हम मान सकते हैं कि गृह उद्योगों को वास्तविक सहायता की आवश्यकता है।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदन का ध्यान सन् ५१ की सेन्सेस रिपोर्ट की तरफ ले जाना चाहूंगा जिसके अनुसार यह साबित होता है कि सन् ११ से लेकर सन् ५१ तक छोटे उद्योग धंधों में और ग्रामोद्योगों में काम करने वालों की जनसंख्या पूर्ण जनसंख्या से उनका मतलब है, इतनी घटी है। सन् १९११ में ३० लाख ७ हजार व्यक्ति ग्रोमोद्योगों में काम करते थे। सन् २१ में २५ लाख रह गये, उसके बाद सन् ३१ में भी २५ लाख रहे, लेकिन सन् ५१ में उनकी संख्या १९,६८,२८० हो गई। कहां सन् ११ में ३० लाख व्यक्ति, सन् ३१ में २५ लाख व्यक्ति, लेकिन इस बीच के २० साल में आप देखेंगे कि बहुत बड़ा ह्रास ग्रामोद्योगों में काम करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या में हुआ है। रह गये कुल करीब साढ़े १९ लाख और इस तरह से यह जनसंख्या ६.२६ प्रतिशत से ३.११ प्रतिशत तक घट गई। तो करीब आधी जनसंख्या जो ग्रामीण उद्योगों में काम करती है उनका अनुपात घट गया है और इस सम्बन्ध में श्रीमन् मैं कोई लम्बा कोटेशन नहीं पढ़ना चाहता, केवल एक आध लाइन सेंसस रिपोर्ट का जो कनक्लूजन है, वह पढ़ना चाहता हूं जिससे स्पष्ट होता है कि यह समस्या कितनी महत्वपूर्ण है। सेंसस रिपोर्ट के सुपरिन्टेन्डेन्ट लिखते हैं कि:—

"It would appear that not merely the proportion to total population but also the abosolute figures of workers engaged in smalscale and cottage industries has been steadily declining since 1911."

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

इन आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि पूर्ण जनसंख्या का अनुपात ही नहीं वरन् जो कार्य करने वाले, जो छोटे ग्रामीण उद्योगधंधों में और ग्रामोद्योगों में काम करने वालों की संख्या थी सन् १९११ से लगातार घट रही है।

"This is proof of the decline of small scale and cottage industries—the de--industrialization that is going on in the State, particularly in the rural areas."

यह इस बात को सिद्ध करता है कि किस प्रकार छोटे उद्योगधंधे और ग्रामोद्योग ही डी-सेंट्रलाइजेशन जो कि स्टेट में हो रहा है, खासतौर से देहाती इलाकों में घट रहे हैं, और (de-industrialization) के विपरीत ज्यादा सिद्ध हो रहा है। तो, श्रीमन्, जब हमारे सामने यह बैकग्राउन्ड है तो दूसरी ओर यह देखते हैं कि सरकार ने केवल ३६ लाख ४० हजार रुपया खर्च किया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये, काटेज इंडस्ट्रीज के सम्बन्ध में। श्रीमन्, जो सबसे आखिरी रिपोर्ट सरकार की है, आप देखेंगे और मैं कुछ रकम आपकी आज्ञा से उपस्थित करना चाहता हूं, जो इस बात को साबित करती है कि सरकार ने कितना कम ध्यान विशेषतौर से उद्योगधंधों की तरफ दिया है। जैसे आइवरी इंडस्ट्री के लिये केवल ४ हजार, सेरीकल्चर और रेशम वगैरह के सम्बन्ध में जो इंडस्ट्री है उसमें केवल ५ हजार रुपया खर्च किया गया। बी-कीपिंग के बारे में जो कहा जाता है, श्रीमन्, जहां एक ओर आल-इंडिया काटेज इंडस्ट्रिज बोर्ड है, खादी डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी सिफारिश है कि मधुमक्खी के पालन को जितना उत्तर प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है उतना और स्टेट्स में नहीं बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि बी-कीपिंग के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है और अब तो, श्रीमन्, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि इस वर्ष सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, एक इंडस्ट्रियल फाइनेन्शियल कारपोरेशन की स्थापना की है, तो सरकार को इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए स्पष्ट करना होगा कि आखिर इंडस्ट्रियल फाइनेन्शियल कारपोरेशन को स्थापित करते हुए जो हमने योजना बनायी है .....

श्री अध्यक्ष—आपके ८ मिनट हो गये, ७ मिनट आप बाद में ले लीजियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं निवेदन कर रहा था कि राज्य सरकार ने जो अभी हाल में इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बनाया है, मैं यह चाहता हूं कि उसके द्वारा सरकार ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में, ग्रान्ट देने के सम्बन्ध में, और प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में अपनी नीति को स्पष्ट करे और मैं चाहूंगा कि माननीय उद्योग मंत्री जी आज इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इस सम्बन्ध में प्रकाश डालें। श्रीमन्, मैं पुनः माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा एक लाख रुपये की उस योजना की तरफ दिलाऊं जो गुड़ विकास योजना के नाम पर निर्धारित की गयी है। आखिर श्रीमन् आप जानते हैं कि इस प्रदेश में गन्ने का जितना भी उत्पादन होता है उसका ५८ फीसदी हिस्सा गुड़ और राब बनाने में खर्च किया जाता है। लेकिन सरकार इस तरफ गुड़ और खंडसारी बनाने की तरफ नहीं के बराबर ध्यान दे रही है। पंचवर्षीय योजना में यह भी कहा गया है कि जो हड्डियां हैं, उनसे खाद बनाने के उपाय को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। अगर हम सारे देश के आंकड़ों को लें तो करीब एक करोड़ ५ लाख जानवर हर साल मरते हैं और ७ करोड़ रुपये सालाना का नुकसान देश को होता है क्योंकि उनका जो चर्म है, जो खाल है या जो हड्डियां हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो इस सम्बन्ध में भी राज्य सरकार का ध्यान जाना आवश्यक है। माननीय विभव जी ने अपने प्रस्ताव में रिसर्च के सम्बन्ध में भी बात लिखी है कि विदेशों में ग्रामीण उद्योग के सामानों की खपत कैसे बढ़ सकती है, इस पर भी उपाय किया जाय। पंचवर्षीय योजना में स्पष्ट

रूप से यह कहा गया था कि बनारस की साड़ियां जैसे हैं, तो यह देखना चाहिये कि पश्चिमी यूरोप में या अमेरिका में वहां के निवासी किस प्रकार की साड़ियों की डिजाइन चाहते हैं, यह भी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि मुरादाबाद के बर्तनों की डिजाइन ऐसी होनी चाहिये जो कि अमेरिका में या यूरप के लोग जिसको पसन्द करें। इससे क्या होगा कि मिर्जापुर के जो कालीन हैं या मुरादाबाद के बर्त्तन हैं या बनारस की साड़ियां हैं उनकी खपत विदेशों में बढ़ेगी। लेकिन तीन साल पंचवर्षीय योजना के खत्म होने को आये, मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने इस रिसर्च की तरफ क्या कदम उठाये, इस गवेषणा की तरफ क्या कदम उठाये हैं। पंचवर्षीय योजना में एक बात और स्पष्ट रूप से कही गयी थी जिसकी ओर माननीय विभव जी ने भी अपने इस प्रस्ताव द्वारा ध्यान दिलाया है कि बड़े उद्योगों पर सेस लगाना चाहिये। श्रीमन्, भारत सरकार ने तो अपनी ओर से इस ओर प्रयत्न किया है लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या किया। यह जानने योग्य विषय है। श्रीमन्, मैं तो एक सुझाव दूंगा कि अगर हमको ग्रामीण उद्योगधंधों में और रुपया लगाना है तो कम से कम जो बनस्पति के कारखाने यू०पी० में हैं, इन पर आप एक सेस लगाइये और उस सेस से जो रुपया हो उसको आप इन्डिजिनस आयल्स, ग्रामीण जो तेल के उद्योग धंधे हैं, या कोल्हू के या इस प्रकार खंडसारी वगैरह के उद्योग हैं उनमें आप उस रुपये को लगा सकते हैं। इसी प्रकार गुड़ और खंडसारी को बढ़ाने के लिये चीनी के उद्योग पर भी सेस लगा सकते हैं जो कि मिलमालिकों के मुनाफे पर पड़े। यह भी एक सेस लगाया जा सकता है। इसके जरिये हम खंडसारी और गुड़ के विकास को प्रोत्साहन दे सकते हैं। जिस प्रकार कपड़े की मिलों पर सेस लगाकर हैंडलूम वीवर्स को सहूलियत देने की कोशिश आपने की है इसी प्रकार चीनी की मिलों पर सेस लगाकर खांडसारी को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, वनस्पति घी पर सैस लगा कर जो तेल वगैरह के उद्योग हैं, राई का तेल है या सरसों का तेल है, इनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी का ध्यान पंचवर्षीय योजना की इस आलोचना की तरफ दिलाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि:

"The operation of the State Governments under legislation relating to state aid for industry have not touched upon the existence to any extent."

यानी योजना के विधायकों ने कह दिया है कि किसी भी प्रांतीय सरकार ने अभी तक गांव के कलाकारों को, गांवों में उद्योग करने वाले व्यक्तियों को जिससे फायदा पहुंचे ऐसा एक भी ऐक्ट नहीं बनाया है। यह पंचवर्षीय योजना की आलोचना है। मैं समझता हूं कि माननीय विभव जी के प्रस्ताव को स्वीकार करके, सरकार उसको केवल प्रस्ताव की तरह न ले जैसे कि पूंजीवाद को खत्म करने का प्रस्ताव सदन ने पास किया वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ। अगर हम कोई प्रस्ताव पास करें तो हमें उसको कार्यान्वित करना होगा।

इस प्रस्ताव में माननीय विभव जी ने सदन का ध्यान मार्केटिंग की ओर भी दिलाया है। जो मारकेटिंग बोर्ड बने तो वह बहुत उपयोगी होगा क्योंकि जब तक हम इस बात की चेष्टा नहीं करेंगे कि जो ग्रामीण उद्योग धंधों से वस्तुएं पैदा हों उनको बाजार मिले, यदि उनको बाजार नहीं मिलेगा तो सारे उत्पादन की प्रणाली और संगठन के विकेन्द्रित और नष्ट भ्रष्ट होजाने की आशंका है। इसलिये पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में यानी ग्रामीण उद्योग धंधों में एक कोआरडीनेशन होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के सम्बन्ध में एक निर्धारणा की गयी थी जिसमें कहा गया है कि ८,१०० लाख गज कपड़े में से १७०० लाख गज कपड़ा हैन्ड लूम प्रोडक्शन का होगा। क्या माननीय उद्योग मंत्री जी बतला सकते हैं कि इस वर्ष या पिछले वर्ष में जो कपड़ा पैदा हुआ उसका अनुपात हैन्डलूम के कपड़े से कितना अधिक है? अगर कोई वृद्धि हुयी है, अगर इस योजना में जो स्वीकार की गयी कुछ सफलता मिली है तब तो कुछ कहा जा सकता है वरना अगर खाई है और हम योजना दायित्व को पूरा नहीं कर पाये हैं तो मैं समझता हूं कि हमें इस सिद्धांत को स्वीकार करके इस दायित्व को पूरा करना होगा। यह समय का तकाजा है क्योंकि जब हम विकेन्द्रीयकरण का स्वागत करते हैं, गांधीवाद

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को स्वागत करते हैं और सर्वोदय की बात का स्वागत करते हैं तो हमें मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना होगा । मैं समझता हूं कि ग्रामीण उद्योग धंधों को हमें सर्वांगणीय उन्नति करनी होगी । हमें ग्रामीण उद्योग धंधों के विकास को अखिल भारतीय खादी बोर्ड द्वारा या किसी और अन्य संस्था द्वारा करना है और राजकीय सरकार को उनके क्रय-विक्रय में सचेष्ट रहना होगा । इस आशा के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री विभव जी के प्रस्ताव में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "गृह उद्योगों" के बाद शब्द "तथा अन्य छोटे-छोटे नागरिक व ग्रामीण उद्योगों को पुरातन व्यवस्थित ढंग पर" बढ़ा दिये जायं ।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आज महत्वपूर्ण प्रस्ताव माननीय विभव जी ने सदन में उपस्थित किया है वैसे ही आज का दिन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैं आपका ध्यान, उपाध्यक्ष महोदय, २४ सितम्बर की तरफ दिलाना चाहता हूं जो आज है । यह दिन हमारे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है । मैं आपका ध्यान १५-१६ वर्ष पहले की ओर ले जाना चाहता हूं जबकि हम आजाद नहीं थे और उस समय अंग्रेजों ने हमें बांटने के लिये एक निर्णय किया था और उसका दलित समाज ने विरोध किया था । उसी के ऊपर हमारे पूज्य बापू जी ने अपने प्राण की बाजी लगा दी और उसका अंजाम यह हुआ कि दलित समाज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयी और उस जिम्मेदारी को दलित समाज ने निभाया और अपनी पुरानी परम्परा को कायम रखा और अंग्रेजों के निर्णय को ठुकरा कर बाबा साहब अम्बेदकर व माननीय एम०सी०राजा ने सवर्ण हिन्दू और दलित समाज का समझौता कर दिया । उस वक्त अपार हर्ष में बापू जी की जो वाणी थी वह यह थी कि हिन्दू समाज में जो कलंक स्वरूप छुआछूत है वह दूर होनी चाहिये और हिन्दू और हरिजन दोनों को मिल कर इस कलंक को दूर करना चाहिये । आज वही दिन है जिस दिन २४ सितम्बर को पूना पैक्ट हुआ ।

तो सौभाग्य से यह जो गृहउद्योग का विषय आया हुआ है इसमें भी अधिकतर, श्रीमन्, उन गरीबों, हरिजनों, पिछड़े वर्ग और मध्यम श्रेणी के लोगों का विशेष ताल्लुक है । आपका ध्यान, श्रीमन्, मैं उस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आजाद होने के पहले कम से कम हमारे पूर्वी जिलों में या अवध के सूबे में ऐसे गरीब लोग रहते थे जोकि खेती बाड़ी करते थे, हरवाही, चरवाही, गोड़इती व वसीरदारी आदि भी करते थे और जमींदारी में बसे हुए थे । उनका कहीं भी कोई खेत लिखा पढ़ा नहीं था । जमींदारों में कुछ लोग तो ऐसे थे जो अंग्रेजों की दया के ऊपर निर्भर करते थे और कुछ ऐसे थे जो कि सन् ५७ के गदर में देश के प्रति बहुत ही बड़ी गद्दारी कर चुके थे और उसके एवज में कुछ जमींनें उन्होंने पायीं ।वह सब उन गरीबों पर मनमाना अत्याचार करते थे । जिस वक्त जमींदारी अबालिशन कानून बना उसके पहले से जिस वक्त आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, कांग्रेस घोषणा पत्रों में और हमारे नेताओं ने नारा लगाया कि जमीन उसकी होगी जो जोतने वाला होगा, तब इनके कान खड़े हुए । उन्होंने सारे गरीब आदमियों को बेदखल कर दिया । कोई कानून ऐसा नहीं था जिसमें वह अपील करते । वह इतने गरीब थे कि वह लिखाई पढ़ाई नहीं कर सकते थे । अंजाम यह हुआ कि ३६,१२,००० आदमी जो देहातों में गरीब किसान व हरिजन थे वह बेकार हो गये । यही हालत शहरों की भी है । जहां तक शहरों में अभी तक लिखायी पढ़ाई का सम्बन्ध है, ज्यादातर लोग नौकरियों की तरफ झुकते हुए पढ़ते लिखते हैं लेकिन नौकरियां इतनी सीमित हैं कि शहर के लोग लाखों की संख्या में बेकार हो गये, जोकि पढ़े लिखे लोग हैं । आज हालत यह है कि थोड़ी सी नौकरियां जब निकलती हैं तो हजार-हजार और पाँच-पांच सौ गेजुएट मिलते हैं । तो उनको भी नौकरी नहीं मिलती । यह दशा हमारे पढ़े लिखे समाज की बेकारी की है । आज हालत यह हुई कि मध्यम श्रेणी वर्ग जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, थोड़ी सी तनख्वाह पाता है, लेकिन उसकी हालत यह होती है कि ७०-८० रुपया बच्चों को पढ़ाने लिखाने में उसको पड़ जाता

है और बच्चा जब पढ़ कर निकलता है तो बेकार रहता है। तो यह गृह उद्योग ही, श्रीमन्, ऐसी चीज है कि खेती के बाद में अगर कोई दूसरा रोजगार उनके लिये हो सकता है तो वह ग्रामोद्योग ही हो सकता है। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान गांधी जयन्ती पखवारा की ओर दिलाऊंगा कि कल से ही हमारे एक पुनीत कर्तव्य का आरम्भ होता है जिसके लिए हमारे बापूजी ने आदेश दिया था कि गरीबों की रोजी की अधिकतर पूर्ति खद्दर से हो सकती है। कल २३ सितम्बर को हमारे पूज्य मुख्य मंत्री जी ने उसका उद्घाटन भी किया और हम उसमें सहयोग भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि गरीबों की रोजी के लिए हम कुछ थोड़ा सा प्रयत्न कर रहे हैं और यह प्रयत्न कल हमें बहुत सुन्दर मालूम हुआ जबकि हमने देखा कि हमारे सेक्रेटेरियट के अफसरान और वहां के कर्मचारी भी उसमें उत्साहित हुए कि हम खद्दर पहिनेंगे और अपनी वेशभूषा को ही कम से कम अपने हिन्दुस्तानी ढंग पर बनावेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा अपना तो यह विचार है कि अगर यह सरकारी कर्मचारी अपनी वेश-भूषा और भाषा को भी हिन्दुस्तानी बना डालें तो इससे बहुत बड़ा उत्थान हमारे राष्ट्र का हो सकता है। जो यह पश्चिमी वेश भूषा है इससे हमारे देहातियों के अन्दर पुरानी भावना चली आ रही है कि किसी को सूटेड बूटेड और हैट लगाये देख लिया तो उससे डर जाते हैं। इसके अलावा जो पश्चिमी वेश-भूषा में रहता है वह अपने को हिन्दुस्तानी वेश-भूषा वालों से कुछ ऊंचा और अलग सा समझता है, उसमें अहंभाव आ जाता है। तो इससे मेल-जोल भी नहीं पैदा होती है जो हमारे राष्ट्र के लिये बहुत आवश्यक चीज है। इसलिये कल जो परिवर्तन सरकारी कर्मचारियों में हुआ है वह एक बहुत बड़ी चीज है और अगर ऐसे ही परिवर्तन होता रहा तो हमारे राष्ट्र का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

अब मैं, श्रीमन्, आपका ध्यान कुछ ऐसी बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं जैसे देहातों के अन्दर चमड़े का काम। वहां छोटे-छोटे लोग चमड़ा निकाल लेते हैं। उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई आर्थिक सुविधा नहीं है। नतीजा यह होता है कि वे लोग चमड़ा लेकर बाजारों में जाते हैं और दलाल लोग उसको खरीद लेते हैं और कारखानों में भेज देते हैं। नतीजा यह होता है कि जितना लाभ उनको मिलना चाहिये वह उन बेचारे देहातियों को नहीं मिल पाता है। यही हालत कर्घे की है। मिल वाले अपने लाभ के लिये उनको सूत ही नहीं देते हैं और अगर सूत किसी तरह से उनको मिल भी पाता है तो बाजार में उनके माल की बिक्री नहीं होने देते। इससे वे बेकार हो जाते हैं। तो इसलिये, श्रीमन्, अगर हमारे यहां कर्घे के कपड़े का उत्पादन हो तो उसकी बिक्री का भी प्रबन्ध होना चाहिये। ऐसा होने पर यह उद्योग पुरातन व्यवस्थित ढंग पर आसानी से चल सकता है।

अब मैं आपका ध्यान ताड़ और खजूर की तरफ दिलाना चाहता हूं। सरकार कई किस्म की चीजों का निर्माण इस ताड़ और खजूर से करती है जिसमें ताड़ गुड़ भी है। हमारे प्रांत में २० केन्द्रों में यह स्कीम चल रही है जिनमें बिजनौर, मेरठ, नैनीताल, कानपुर और फर्रुखाबाद हैं। सन् १९५२-५३ में हस्तिनापुर, मेरठ जिले में ५०० खजूर और २०० ताड़ के पेड़ लगाये गये और राजघाट, देहली में २०० ताड़ लगाये गये। तो इस प्रकार इसकी थोड़ी सी बढ़ोत्तरी हुयी। परन्तु यह ताड़ और खजूर ऐसी चीज है जो ऊसर, बंजर कैसी भी जमीन हो, उसमें अपने आप उग आता है। आज हमारे यहां १ करोड़ एकड़ से अधिक बंजर भूमि है। इस बंजर भूमि में अगर ताड़ खजूर को बो दिया जाय तो बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है और यह वृक्ष सिर्फ यहीं नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान और दुनियां भर में असंख्य तादाद में पैदा होता है। इसको कामधेनु कहते हैं। इसका दूध इतना उपयोगी होता है कि उसमें रोग के मारने वाले कीटाणु होते हैं। लेकिन इसकी हमारे यहां हालत क्या है? श्रीमन्, गोरखपुर और दूसरे पूर्वी जिलों में देखिये तो वहां इसके ऊपर टैक्स व मालगुजारी इतनी काफी है कि कुछ कहना नहीं जिससे उसका दध निकालने के बाद नीरा ताड़ी के रूप में बदल जाती है जिसको ठेकेदार लोग ले लेते हैं लेकिन जो उसको उतारने वाले पासी लोग हैं, जो कि उसमें

[श्री नारायणदास]

परिश्रम करते हैं, जो अपनी जान को हथेली पर लेकर आसमान पर चढ़ते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये गरीब लोग फटे हाल रहते हैं तथा औरतें भी अपना पेट पालने के लिये ताड़ी की दूकानों पर मजबूरन बैठायी जाती हैं। अगर अच्छी तरह से ताड़ खजूर का उत्पादन हो और उससे सुन्दर ढंग से नीरा निकाली जाय, अगर इसको बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक बढ़ाया जाय, तो हमारे प्रांत में जो इतने बड़े रकबे में गन्ने की खेती होती है, वह ताड़ और खजूर की गुड़ बना कर खाली की जा सकती है और उससे जमीन की समस्या अपने आप हल हो जाती है।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि पशु-पालन में सुअर एक बहुत ही नजिस चीज माना गया है। अब से दस बारह वर्ष पहले हमारे प्रांत में बहुत काफी सुअर थे। गरीबों की बहुत भारी रोजी थी। लेकिन कुछ ऐसा वातावरण बना कि वह सब सुअर बहुत कम हो गये और कुछ अमेरिकी सिपाही आये, उनको खा गये, ऐसी हालत में सुअर ब्रश के बाल का रोजगार बहुत कम हो गया। श्रीमन्, मैं आप का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि सुअर है तो बहुत नजिस चीज लेकिन मैं पश्चिमी देशों के अन्दर सिर्फ अमेरिका का उदाहरण देना चाहता हूं। अमेरिका में एक शहर शिकागो है। उसके अन्दर सुअर के बाल से और रोजगार से हर साल इतनी आमदनी होती है कि वह लाखों डालर नहीं करोड़ों डालर नहीं, अरबों डालर नहीं, बल्कि खरबों डालर तक पहुंच जाती है। हर साल वहां पर सुअर का इतना बड़ा व्यापार होता है कि अगर एक के पीछे एक सुअर कतार में खड़ा किया जाय तो सारी दुनियां की गोलाई में दुहरी लाइन बन जाती है। श्रीमन् मुर्गी, सुअर और मछली यह तीन चीजें ऐसी होती हैं कि एक साल के अन्दर दो-दो तीन-तीन मरतबे उत्पादन होता है जिससे बेशुमार आमदनी होती है। अब, श्रीमन्, मैं घी दूध पर कहूंगा। आज जबकि चारों तरफ डालडा चल रहा है, हमारे यहां कुल साढ़े तीन करोड़ पशु हैं जिसमें एक करोड़ दस लाख के करीब दुधारू पशु हैं और हमारे यहां साढ़े छः करोड़ की आबादी है। तो ऐसी हालत में जबकि गोवंश और भैंस हमारे यहां इतना कम हो गया है, अगर उनकी कटाई बन्द नहीं होती है तो हमारे लिये घी, दूध की समस्या बहुत कठिन हो जायगी। मैं पाकिस्तान की बात बतलाता हूं। सर फिरोज खां नून साहब ने पाकिस्तानियों को अभी हाल में बताया था कि हमारे राष्ट्र वाले अगर उनका खाना बन्द नहीं करेंगे तो हमें दूध, घी मयस्सर होना मुश्किल हो जायगा इस तरह से यह आर्थिक समस्या भी है। इस पर इस तरह से ध्यान देना चाहिये कि कानूनन इनका बध बंद हो और हमारे इस वंश की बहुत काफी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये ताकि डालडा जो कि शहर के अन्दर बहुत चला हुआ है और देशी घी, दूध खाने को नहीं मिलता जबकि हमारे यहां घी, दूध की नदियां बहती थीं। उसकी पूर्ति शनैः शनैः हो जाय। मैं कहना तो बहुत सी बातें चाहता था लेकिन समय कम है।

हमारे छोटे-छोटे उद्योग धंधे जो हैं अगर उनका संगठन किया जाय तो जैसा कि पूज्य बापू जी ने कहा है, खेती के बाद उद्योग धंधे ही हैं जो कि बेकारी की समस्या को हल कर सकते हैं। मैं और ज्यादा न कह कर माननीय विभव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गृह उद्योग के लिये जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री बलवन्त सिंह के खड़े होने पर) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संशोधन ९ और १० में से एक को ही मूव करेंगे। वह चाहें तो २७ को भी जोड़ सकते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---प्वाइंट आफ आर्डर, सर। आज प्रातःकाल माननीय अध्यक्ष ने बताया था कि जो शाब्दिक संशोधन हैं, उन संशोधन वालों को समय न दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं शाब्दिक संशोधन की आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री बलवन्तसिंह (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)---उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मेरे ९ और १० इसमें छपे हुए हैं, ये दोनों एक ही चीज हैं और गलती से छप गये हैं। मैं उनमें से एक को ही पेश करूंगा और वह इस प्रकार है---माननीय देवकीनन्दन विभव जी के संकल्प की पंक्ति ३ के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :---

"और यह सब कार्य सहकारिता के आधार पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि गृह उद्योग वही माना जायगा जहां कोई व्यक्ति अपने स्थान पर अथवा बहुत से व्यक्तियों की सहकारी समितियों के स्थान पर ही किसी वस्तु का उत्पादन किया गया हो।"

एक तो मेरा यह प्रस्ताव है और दूसरा प्रस्ताव भी मैं साथ ही साथ पेश किये देता हूं। २२ और २३ भी दोनों एक ही हैं और उनमें से एक पेश किये देता हूं। संकल्प के खंड (६) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :-

"और इस माल की खपत करने के लिये सभी सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों को आदेश दिया जाय कि वह गृह उद्योग द्वारा बनी वस्तुएं ही काम में लायें।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विभव जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सदन के सामने ऐसा प्रस्ताव रक्खा। अगर देखा जाय तो अपने देश में गृह उद्योग की सब से बड़ी आवश्यकता है। जहां तक अन्न की समस्या थी वह तो हम हल कर चुके हैं और अब कुछ दिनों बाद एक ऐसी दशा में हम पहुंच जायेंगे जब कि हमारे यहां अन्न कुछ मात्रा में अधिक हो जायगा और अन्न की कीमतें नीचे को गिर जायंगी और उस वक्त खेती के व्यवसाय के सामने एक परेशानी हो जायगी। सदन में, सदन के बाहर भी और ऊपर के लोगों में होड़ लगी हुई है, हर एक इस बात के लिये इच्छा करता है, थोड़ी बहुत भूमि मुझे भी मिल जाय जिससे मैं अपनी जीविकोपार्जन कर सकूं। तो इसकी भी पूर्ति कहां तक की जा सकती है ? इस होड़ का कारण यह है कि हमारे पास एक मात्र छोटे किस्म के लोगों के पास कोई जीविकोपार्जन का तरीका है तो वह खेती ही है। आप यह देखेंगे कि अगर हम अपने प्रान्त की और अपने देश की जन-संख्या का हिसाब लगा कर देखें और उस भूमि को भी विचार में रक्खें जिस पर खेती होती है तो हमारे यहां एवरेज होल्डिंग यानी मामूली तरीक़े से जो चक पड़ते हैं वे तादाद में इतने कम है कि उन पर एकोनामिक रूप से खेती करना ही असंभव होता जा रहा है। अगर हम और भाइयों को भी उसी व्यवसाय में लगा देते हैं खेती बाड़ी के तो हमारा यह व्यवसाय भी एक ऐसा व्यवसाय बन जायगा कि सिर्फ हम अपना गुजारा तो कर सकेंगे मगर एक मनुष्य के लिये जो उन्नत जीवन बनाने का तरीका है वह कभी अपना नहीं सकेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे यहां इस समय दो और ३ एकड़ की एवरेज होल्डिंग्स रखी जाती हैं और हमारे यहां जो भूमिहीन लोग हैं जिनकी संख्या मैं समझता हूं कि किसी भी प्रान्त में १/४ से कम नहीं है, अगर उसको हम इसमें और लगा देते हैं तो इसका नतीजा यह होता है कि हमारी एवरेज होल्डिंग डेढ़ एकड़ से ज्यादा नहीं रहेगी और इसका नतीजा यह होगा कि अगर कोई डेढ़ एकड़ या २ एकड़ की खेती करता है तो वह अपना गुजारा तो कर सकता है मगर वह उन्नतिशील आदमी होना चाहे तो वह हर्गिज नहीं हो सकता। इसलिये यह बहुत आवश्यक है कि जो हमारी जनता है उसका ध्यान खेती की तरफ से हटा कर जो दूसरे तरीके जीविकोपार्जन के हैं उनकी तरफ लगायें। क्योंकि एक इंसान के लिये अगर दूसरा जरिया भी कोई मिल सकता है जिससे उनकी अच्छी गुजर हो सके और एक उन्नतिशील गुजर हो सके तो मैं समझता हूं कि वह कहीं अधिक अच्छी है। हमारे देश के लिये अब यह समय आ गया है कि जब कि हमको इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे यहां लोग दूसरे व्यवसाय में भी लग सकें। अब हमको इसका तरीका देखना है कि वह क्या तरीका अख्तयार किया जाय। यह

[श्री बलवन्त सिंह]

तो निर्विवाद बात है कि हमारे देश के अन्दर दो ही व्यवसाय हैं और वे दो ही ढंग के हो सकते हैं। एक तो यह उद्योगधन्धे हैं जो कि छोटे-छोटे उद्योगधन्धे कहे जाते हैं जो मामूली तरीके से थोड़ी पूंजी से किये जा सकते हैं और दूसरे यह कि कल-कारखाने हमारे देश में लगाये जायं और उन कल-कारखानों के जरिये से हम अपनी रोजी कमा सकें। आज इस दुनिया के अन्दर जो साम्यवादी देश हैं उनके अन्दर आप देखेंगे कि यह दोनों प्रकार की बातें चल रही हैं। रूस की तरफ आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि जितने कारबार हैं और जो दूसरी चीजें हैं वह सब बड़े-बड़े कारखानों के जरिये से तैयार होती हैं। अगर आप चीन की तरफ ध्यान रखें तो आप देखेंगे कि वहां का ज्यादातर काम उनके छोटे उद्योगधंधों के जरिये से होता है। वहां पर कल-कारखाने थोड़े हैं। चीन के अन्दर अधिक जन संख्या का भी सवाल है। अगर उनके स्थान पर मशीनों को रखें तो वहां की जनता बिलकुल बेकार हो जायगी। हमारे यहां दोनों प्रकार की समस्या है। हमारे यहां यह भी समस्या है कि हम कलकारखानों के जरिये से काम कर सकें और उसके साथ-साथ हमारे देश की जनसंख्या इतनी अधिक है कि हम बिना उद्योगधंधे को अपनाये आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे देश की परम्परा भी इस प्रकार की रही है कि हमारे देश के अन्दर हमारे यहां का गृह उद्योगधंधा बहुत उन्नतिशील रह चुका है और हरएक कोई जानता है कि ढाका की मलमल और तरह-तरह का सामान किसी समय में जब कि दुनिया के दूसरे देश ऐसी दशा में रहा करते थे जो कि बनमानुस और जंगली जानवरों जैसी होती है, उस समय हमारा देश बहुत ऊंचे किस्म का सामान बनाया करता था। मगर विदेशी शासन हुआ और उन्होंने हमारे यहां के उद्योगधंधों की उन्नति का नाश करना चाहा और अपने कल-कारखानों को बढ़ाना चाहा जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे उद्योगधन्धे नष्ट हो गये। मगर हमारे यहां कल-कारखाने भी उत्पन्न हो गये। अब हमारा देश उस परिस्थिति में नहीं है कि अपने उन कल-कारखानों को खत्म कर दे मगर इतना जरूर किया जा सकता है कि इन दोनों में ऐसा सामन्जस्य करें कि जो काम कल-कारखानों के जरिये से होता है वह उनके जरिये करायें लेकिन जो काम जितना हो सके वह हाथ से करें और वह काम हाथ से करना चाहिये वरना हमारे यहां बेकारी की समस्या इतनी कठिन हो जायगी कि वह संभाले से भी संभलने वाली नहीं है। इसके लिये हम इस बात की कोशिश करें कि छोटी-छोटी मशीनें जिसको एक आदमी दो आदमी चला सकता हो उनको हम अपने यहां बड़े-बड़े कारखानों के जरिये से बनायें। ऐसा सामान जो कि हमें कारखानों का बना हुआ इस्तेमाल करना आवश्यक हो वह तो हम कल-कारखानों के जरिये से बनालें और यदि इस बात की जरूरत हो कि हाथ से काम बनाना अधिक लाभदायक है तो हमको अपने हाथ से काम करना चाहिये और इसकी तरफ हमको कोशिश करनी चाहिये।

अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह सुझाव यह है और वह कोई अनोखा सुझाव भी नहीं है बल्कि जापान के अन्दर कार्यान्वित हो रहा है। हमको यह जानकर अचम्भा होगा कि जापान के अन्दर जितनी चीजें उनके वहीं देश में इस्तेमाल होने वाली हैं वह सब की सब हाथ से बनती हैं और कोई भी चीज मिल से बनी हुई वहां जापान के अन्दर इस्तेमाल नहीं होती है। जितना भी मिलमेड सामान होता है वह सामान सब बाहर भेजा जाता है और जितना सामान हाथ का बना हुआ होता है वह सब अपने देश में ही वह इस्तेमाल करते हैं। उसका एक कारण भी है। शुरू में हाथ से बना हुआ सामान उतना बढ़िया और अच्छा नहीं होता है जितना कि मशीन का बना हुआ होता है। मशीन का बना हुआ सामान जो बाहर भेजा जाता है उससे रुपया पैसा कमा सकते हैं मगर जो घर में इस्तेमाल होने का है वह घर की ही बनी होती है। यह हमारे देश का बड़ा सौभाग्य है कि हमारे यहां मार्केट इतना बड़ा है कि जिसके लिये सारी दुनिया के लोग लालायित रहते हैं और यही कारण है कि दुनिया के लोग, चाहे वह जापान के हों, अमेरिका के हों या इंगलैन्ड के हों, सब इसी बात की कोशिश करते हैं कि वे हिन्दुस्तान को अपनी तिजारत का क्षेत्र बनायें

लेकिन हमारे लिये यह सौभाग्य की बात है कि हम अपने यहां उत्पादन भी कर सकते हैं और उसका बाजार भी हमारे पास है । यदि हम अपने बाजार से गृह उद्योगों की चीजों को इस्तेमाल करने लगें तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का कल्याण हो जाय तथा बाहर भेजेजाने वाली चीजें मिलों के अन्दर बनायी जायं जिससे हमारे देश की मिलें पनपें और चीजें जो हमारे देश के अन्दर इस्तेमाल की जाती हैं वे हम देश के अन्दर बनायें, हाथ से बनायें । इसके साथ ही साथ स्वराज्य प्राप्ति के पहिले जो हमारी स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल करने की भावना हमारे अन्दर थी उसको हम भूलते जा रहे हैं, वह भावना आज हमारे देश में कम होती जा रही है । हमें अफसोस होता है कि टूथ पाउडर, टूथ पेस्ट आदि जो छोटी-छोटी चीजें है, जो रोजमर्रा काम में आती हैं, वह हम विलायती ही पसन्द करते हैं बजाय इसके कि हम कोई छोटा-मोटा मंजन ही इस्तेमाल कर सकते हैं । हमारे देश की जो चीजें शुरू में बनेंगी वे इतनी अच्छी और बढ़िया नहीं होंगी जितनी कि दूसरे देशों की चीजें हैं लेकिन आप जानते ही हैं कि किसी का पुत्र अगर कुरूप और काना भी होता है तो कौन सा बाप ऐसा है जो उस कुरूप बच्चे को फेंक कर बाहर के सुन्दर को ले आता है। मैं यह मानता हूं कि शुरू-शुरू में हमारे देश में खराब चीजें बनेंगी लेकिन क्या उन चीजों को प्रोत्साहन देने के लिये इंगलैन्ड और अमेरिका से लोग आयेंगे ? नहीं, हमको अपने देश की चीजों को प्रोत्साहन देने के लिये हमें ही अपनाना पड़ेगा । जब मैं बाजार में जाता हूं और छोटे-छोटे इस्तेमाल की चीजें देखता हूं तो मुझे खुशी होती है कि हमारे देश के अन्दर बहुत सी चीजें बनने लगी हैं और उनका डिजाइन भी अच्छा हो गया है। रेजर ब्लेड्स को ही ले लीजिये । वे सेविन ओक्लोक जैसे तो नहीं बने हैं लेकिन अगर भारत का ब्लैड दो पैसे में एक ही हजामत बना दे तो भी बहुत अच्छा है । इस प्रकार से जो दो पैसे आप ब्लेड के लिये देंगे, अपने देश का टूथ पाउडर खरीदेंगे, उसका मुनाफा मेरे देश के लोगों को ही मिलेगा । लेकिन अगर मैं बढ़िया चीज विलायत और अमेरिका की लेता हूं तो उससे मेरा पैसा बाहर चला जायगा, मेरा देश गरीब हो जायगा । इसलिये आज हमें फिर इस बात के लिये तहैया कर लेना चाहिये कि हम अपने ही देश की चीजें खरीदेंगे, उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे चाहे वे शुरू में खराब ही क्यों न हों । लेकिन जो चीज आज खराब होगी वह थोड़े दिनों के बाद अच्छी हो जायगी । इसके साथ ही मैं उन भाइयों से भी एक बात कह देना चाहता हूं जो सामान बनाते हैं । टेंडेंसी यह देखने में आती है कि अगर कोई चीज अच्छी बन गयी और चल गयी तो क्योंकि हमारे अन्दर अभी बिजनेस मोरेलिटी नहीं आयी है इसलिये उसको बजाय अच्छा करने के खराब कर देते हैं और लोगों को धोखा दे कर पैसा लेना चाहते हैं । इससे हमारा भी नुक्सान होगा और देश नीचे को गिरेगा । इन चीजों को ध्यान में रख कर अपने देश की चीजों को ही प्रोत्साहन देना चाहिये । तभी हमारे देश का कल्याण हो सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री रतन लाल जैन को संबोधित कर के) माननीय सदस्य अपना २४ नंबर का प्रस्ताव पेश करें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और लोगों के भी संशोधन हैं।

श्री उपाध्यक्ष—और जो संशोधन हैं वे केवल शाब्दिक हैं उनको महत्व देने का अर्थ यह होगा कि बहुत से माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा । ऐसे संशोधनों को ले न कर मैं जनरली सब को बोलने का मौका दूंगा।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तीन संशोधन दिये हैं और उनको मैं पढ़ देता हूं। मैं समझता हूं कि जो प्रस्तावक महोदय हैं उनको ये स्वीकार होंगे। पहला संशोधन तो मैंने यह दिया है कि जहां प्रस्ताव में शब्द "गृह उद्योग" हैं उनके पहले शब्द "छोटे" जोड़ दिया जाय।

[श्री रतनलाल जैन]

इसके बाद यह प्रस्ताव इस तरह से हो जायगा :-

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी को दूर करने के लिये छोटे गृह उद्योगों को पुनः संगठित किया जाय :'

मुझे आशा है कि माननीय प्रस्तावक को यह संशोधन स्वीकार होगा।

दूसरा मेरा संशोधन जो नं० २० पर है वह इस तरह से है :-

संकल्प के खंड (५) के अन्त का "पूर्ण विराम" हटा कर निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :---

"एवं मार्केटिंग बोर्ड द्वारा स्टैंडर्ड (Standard) माल तैयार कराया जाये।"

तीसरा संशोधन जो नं० २४ पर है वह इस तरह से है :-

संकल्प के खंड (६) के बाद निम्नलिखित नया खंड (६-क) बढ़ा दिया जाय:-

"(६-क) भारत के बाहर भिन्न-भिन्न देशों में कमीशन भेजे जायें जो उन देशों में प्रचलित गृह उद्योग धंधों का अध्ययन करें। जो उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश में व्यवहृत होने के योग्य हों उनकी रिपोर्ट सरकार को दें और सरकार उनको इस प्रदेश के उचित स्थानों में प्रचलित करने की व्यवस्था करे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो माननीय विभव जी ने रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। श्रीमन् हमारे सामने, हमारे देश के सामने पहले सब से बड़ा प्रश्न अन्न पैदा करने का था। वह तो बहुत अंशों में अब पूरा हो गया है। हमारे देश में अब अन्न इतना पैदा होने लगा है कि हमारी आवश्यकता पूरी हो जाय। लेकिन आज कल सब से बड़ा जो प्रश्न है वह बेकारी का है। जब बेकारी को हम अपने प्रदेश में देखते हैं तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि करीब-करीब आधी जन-संख्या थोड़ी या बहुत बेकार है। उसमें एक तो ऐसे लोग हैं जो बिलकुल बेकार हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं है और कुछ ऐसी संख्या में लोग हैं जो साल भर तो बेकार नहीं रहते हैं मगर कुछ महीने बेकार रहते हैं। अगर हम उन किसानों को देखें जहां ईख पैदा नहीं होती है तो मालूम होगा कि किसानों के लिये काम सिर्फ ६ महीने का है। ६ महीने से अधिक उनके लिये काम नहीं है। जुलाई में जो वर्षा हुई उन्होंने खेतों में खरीफ़ बो दी फिर सितम्बर-अक्टूबर में जाकर जोतना शुरू किया और नवम्बर में खेतों को बो दिया तो नवम्बर के बाद मार्च तक उनके लिये कोई काम नहीं रहता है। फिर मार्च अप्रैल में फसल को काट लेते हैं। इस तरह से करीब-करीब ६ महीने तक उनको खाली रहना पड़ता है। उस ग्रामीण जनता के हिस्से में जहां ईख नहीं पैदा होती है वहां का किसान जनता और वहां के रहने वाले जो मजदूर हैं वे करीब-करीब ६ महीने तक बेकार रहते हैं। जहां पर ईख होती है वहां तो किसान बराबर काम में लगा रहता है। जहां उसकी रबी बोई गयी उसके बाद उसको ईख के लिये खेत तैयार करने पड़ते हैं और फिर ईख काट कर मशीन पर ले जाना पड़ता है या कोल्हू लगाना पड़ता है। इस तरह से वह तो बराबर लगे रहते हैं। लेकिन हमारे सूबे में करीब करीब १५-१६ जिलों को छोड़ कर दो-तिहाई भाग में ईख अधिक नहीं होती और वहां पर साल के काफी हिस्से में लोग बेकार रहते हैं। इसलिये वहां के किसानों की बेकारी का प्रश्न है और वहां के मजदूरों की बेकारी का प्रश्न है।

इसी तरह से शहरों में जो जनता रहती है उसमें भी बहुत बेकार हैं और जब से लड़ाई का असर खत्म हुआ है उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिर गई है, उनके पास रोजगार नहीं है और जमींदारी विनाश के कारण से भी शहरों में बेरोजगारी बढ़ गयी है। इसलिये बेकारी का प्रश्न बहुत अधिक है और यह हमारे यहां की एक बड़ी समस्या है।

अब सवाल यह है कि इस बेकारी का इलाज क्या है। इसका इलाज जमीन नहीं है। हमारे प्रदेश में साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती के काबिल है और यहां पर ग्रामों में रहने वाली साढ़े ५ करोड़ जनता है अगर एक परिवार में ४ आदमी हम मानें तो एक परिवार के हिस्से में ३ एकड़ जमीन आती है जो एक तरह से अनएकोनामिक होलडिंग है जिस पर एक आदमी अच्छी तरह से गुजर नहीं कर सकता। ऐसी दशा में हमारे यहां खेती पर ही निर्भर रह कर कोई मालदार नहीं हो सकता और न किसी का रहन सहन का स्तर ही ऊंचा हो सकता है। इसलिये खेती हमारी इस समस्या का इलाज नहीं है।

आवश्यकता इस बात की है कि हमारे गांवों की जनता भी घरेलू उद्योग धंधों में लगे और केवल वही खेती कर सकते हैं जिन के पास ६ एकड़ जमीन है और बाक़ी घरेलू उद्योग धंधों में लगें तभी इसका इलाज हो सकता है। इसका इलाज बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हैं, बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं उससे तो देश में बेरोजगारी होती है। अगर घरेलू उद्योग धंधे नहों तो छोटे छोटे कारखाने ही चलाये जा सकते हैं लेकिन बड़े कारखानों से तो बेरोजगारी और बढ़ती है। पहले यहां गृह उद्योग बहुत ऊंचा था और यहां का माल तमाम बाहर के देशों में जाता था और उस समय यह देश बहुत मालदार गिना जाता था और दूसरे देशों की निगाह हमारे देश पर रहती थी। यहां किसी चीज की कमी नहीं थी। सारा संसार इसी देश को सोने की चिड़िया समझता था और यहां पिछले जमाने में जब अंग्रेजी राज्य हुआ तो उन्होंने कसदन जानबूझ कर यहां के घरेलू धंधों को नष्ट कर दिया। और तब से हमारे देश की यह दशा हो गई। आज भी जिन देशों में घरेलू धन्धे हैं उन देशों की दशा बहुत अच्छी है। आज उद्योग में सब से बड़ा देश स्वीटजरलैंड है। यह देश हालांकि बहुत छोटा है लेकिन वहां का रहन-सहन बहुत ऊंचा है और अमेरिका के बराबर है। वहां पर घड़ियों का गृह उद्योग है और सब लोग वहां उन के गुरजे बनाते हैं और वह लोग बड़े सुख से अपनी जिन्दगी बिताते हैं। और देशों में भी जहां उद्योग धंधे हैं उन की आर्थिक दशा बहुत अच्छी है और वे सुख से जीवनयापन करते हैं। यही हालत जापान की है और उनके तमाम कारबार घरेलू उद्योग धंधों पर ही निर्भर हैं और वह अपना सब सामान स्वयं तैयार करते हैं और देश की आवश्यकता को पूरा करते हैं और दूसरे देशों को अपने कारखानों का माल भेजते हैं। इटली में भी बहुत बड़ा काम घरेलू धंधों से होता है। इसलिये बेकारी दूर करने का इलाज केवल यही है कि यहां के घरेलू उद्योग धंधे बढ़ें। जो गृह उद्योग धंधे हमारे देश में प्रचलित हैं और जो आजकल के युग में अच्छी तरह से चल सकते हैं उनको सरकार प्रोत्साहन दे।

अब उनके लिये दो बातों की आवश्यकता है। हमारे देश के कारीगरों में एक बड़ा भारी दूषण है। जिस किसी का माल अच्छा बिकने लगता है, जिस किसी की दूकान अच्छी चलने लगती है तो उसमें लालच सवार हो जाता है और वह माल को खराब कर देता है। हमारे सामने कानपुर और आगरे के जूते के व्यवसाय की मिसाल है। वहां का माल बहुत बिकता था और उसको लोग बहुत चाव से लेते थे और फ्लेक्स के मुकाबिले में लेते थे मगर वह के कारीगरों में लालच समाया और उन्होंने माल के स्टेंडर्स को गिरा दिया। अब उसका नतीजा यह है कि हर एक आदमी वहां के माल को लेने में हिचकता है और फ्लेक्स और बाटा का जूता तो लोग लेते हैं मगर कानपुर और आगरा का जूता लेने से हिचकते हैं कि न मालूम जूते में क्या पड़ा होगा। इसलिये अगर उद्योग धंधों को तरक्की देना है तो जो ग्यारह सूत्री प्रोग्राम रखा गया है उसमें है कि उसका वितरण मार्केटिंग सोसाइटियों के द्वारा हो और मैंने अन्त में यह बढ़ा दिया है कि मार्केटिंग सोसाइटी इसको भी देखे कि वह माल स्टैन्डर्ड का हो उससे कम का न बने। इन सोसाइटियों पर सरकार का कंट्रोल तो हो लेकिन अर्धसरकारी ढंग से वह चले और वह जहां माल को बेंचने की कोशिश करे वहां यह भी कोशिश करे कि कारीगर घटिया माल न बना सकें और जो घटिया माल बनादें, तो उसको वह नामंजूर कर दे और वह न बिक सके।

[श्री रतनलाल जैन]

आज हम देखते हैं कि कपड़े की मिलों में अगर कोई माल खराब हो जाता है तो वह कटपीस में डाल देते हैं और उस पर कम्पनी का नाम भी नहीं देते हैं। तो इसी तरह से मार्केटिंग सोसाइटियां भी करें कि जो कारीगर रमाल खराब बनाता हो उसके उस माल को नामंजूर कर दे और वह उसको कहीं थोड़ी बहुत कीमत पर बेंच दे। अगर यह बात होगी तो माल स्टैन्डर्ड का बनेगा और उसके माल को हर एक आदमी बहुत अच्छे तरीके से खरीदेगा जिस पर मार्केटिंग सोसाइटी की मुहर होगी और इसलिये हमने इसमें संशोधन बढ़ाया है कि माल पर मार्केटिंग सोसाइटी की मुहर भी हो।

अब मैं अंतिम बात पर आता हूं। मैंने एक बात यह भी रखी है कि जो उद्योग धंधे हमारे प्रांत में हैं, हमारे देश में हैं वे तो चलें ही साथ में सरकार कमीशन भेजे दो आदिमयों के, तीन आदमियों के कई कमीशन भिन्न भिन्न देशों में इटली, जापान और और देशों में भेजे और वह वहां जाकर यह अध्ययन करें कि कौन से घरेलू उद्योग धंधे हैं जो हमारे प्रदेश में चल सकते हैं। जो चल सकते हों उनका अच्छी तरह से अध्ययन करके उनकी रिपोर्ट सरकार को दें और फिर सरकार उन उद्योग धंधों को हमारे प्रदेश में प्रचलित करने का प्रयत्न करे। अगर ऐसा करेगी तो हमारे यहां आज जितने घरेलू उद्योग धंधे हैं और जिनको हमारे शिक्षित वर्ग के लोग जो कालेजों में पढ़ गये हैं रोचक नहीं समझते हैं उनको भी कुछ धंधे ऐसे मिलेंगे जिनमें वे परिश्रम कर सकें। ऐसे दूसरे प्रदेशों में वह कमीशन जाकर अध्ययन करें कि कौन से ऐसे उद्योग धंधे हैं जो हमारे प्रदेश में प्रचलित किये जा सकते हैं। सरकार का यह कर्तव्य है कि भिन्न भिन्न देशों में दो दो तीन आदमियों के कमीशन भेजे जो उन देशों में जाकर वहां के कामों की जांच करें और यह भी जांच करें कि वह कौन से काम हैं जो हमारे देश में प्रचलित हो सकते हैं और सरकार को रिपोर्ट दें और सरकार यह देखे कि वह रोजगार इस तरह के किस हिस्से में इस देश के चल सकते हैं। जिस जगह की जलवायु के वे अनुकूल हों और जिस परिस्थिति के वे अनुकूल हों वहां पर उनका प्रचार किया जाय। उसके शिक्षण के लिये थोड़े दिनों का दो महीने या चार महीने का, शिक्षालय खोलें, उनको शिक्षा दें और इस तरह से यहां की जनता को वह काम भी सिखा दें जो काम यहां पर चल सकते हैं और जिनको वह दूसरे देशों से सीख कर आयें।

श्री श्रीनाथराम (जिला आजमगढ़)---उपाध्यक्ष महोदय, अपना संशोधन प्रस्तुत करने से पहले मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि मेरे संशोधन में थोड़ी सी छपाई की त्रुटि रह गयी है। इसमें संकल्प के खंड ५ में न होना चाहिये, मेरा संशोधन मूल संकल्प में ही है। इसके अतिरिक्त पहली और तीसरी पंक्ति में उसके लिखा हुआ है जो कि "उनके" होना चाहिये।

अब मैं आपकी आज्ञा से मूल संकल्प में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :—

"संकल्प की पंक्ति २ में शब्द "और" तथा शब्द "उनके" बीच में शब्द "बड़े बड़े कारखानों और मशीनों के प्रयोग से हमारे प्रदेश की जो प्राचीन कारीगरी समाप्त हो गयी है" रख दिये जायं और शब्द "उसके" और शब्द "लिये" के बीच में शब्द "पुनर्जीवन के" जोड़ दिये जायं।

और इस तरह यह संकल्प इस प्रकार हो जायगा :

"उत्तर प्रदेशीय विधान सभा के इस सदन का यह निश्चित मत है कि इस प्रदेश में बढ़ती हुयी बेकारी को दूर करने के लिये गृह उद्योगों को पुनः संगठित किया जाय और बड़े-बड़े कारखानों और मशीनों के प्रयोग से हमारे प्रदेश की जो प्राचीन कारीगरी समाप्त हो गयी है उनके पुनर्जीवन के लिये निम्न ग्यारह सूत्री कार्यक्रम अपनाया जाय—"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय देवकी नन्दन विभव जी के संकल्प के उद्देश्य, उसके आशय एवं उसके व्यावहारिक रूप के लिये प्रस्तुत ११ सूत्री कार्यक्रम की विचार धारा से पूर्णरूपेण सहमत हूं। माननीय विभव जी ने इस प्रस्ताव के द्वारा जिस लाखों करोड़ों बेकार और बेरोजगार जनता की ओर इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया है इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इस संकल्प में एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। वह यह है कि इन कुटीर उद्योगधंधों में जिस बात की चर्चा की गयी है उस संकल्प के सम्बन्ध में उसमें एक चीज छूट गयी थी, वह हमारे प्रदेश की प्राचीन कारीगरी है जिस प्राचीन कारीगरी का ज्वलंत उदाहरण हमारे प्रदेश के कोने कोने में विद्यमान है और जिसे देख कर आज के शिल्पकार पता चलाते हैं कि हमारा देश कितना उन्नतिशील देश था और यहां की सभ्यता कितने ऊंचे दर्जे पर बढ़ी हुयी थी। हमारे प्रदेश का ताजमहल यह प्रदर्शित करता है कि हमारे देश का कलाकौशल विश्व के कलाकौशल में ऊंचा स्थान रखता है। इसी तरह अनेक दुर्ग जो हमारे प्रदेश में हैं, जैसे चुनार का दुर्ग, प्रयाग का दुर्ग और झांसी का दुर्ग और इसी तरह अन्य दुर्ग जो पत्थर के बने हुए हैं, आज हमारे देश की कला का प्रदर्शन करते हैं। इसी प्रकार बहुत सी अन्य चीजें हमारे सामने हैं। हम जिस हाउस में बैठे हुए हैं, विधान सभा में, इसका द्वार अगर हम सामने से देखें तो मालूम पड़ेगा कि पत्थर की कला का एक ज्वलंत उदाहरण है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस कारीगरी से मतलब मेरा उस कारीगरी से है जो हमारे देश की पत्थर की कारीगरी कही जाती है। पत्थर की कारीगरी हमारे यहां की एक प्राचीन कारीगरी है और इसमें हमारा विश्व में काफी ऊंचा स्थान है। पत्थर की मूर्तियों को अगर हम देखें तो आज जितने भी संग्रहालय हैं उनमें पत्थर की मूर्तियों का संग्रह किया जा रहा है। भगवान् बुद्ध की जितनी भी कलात्मक मूर्तियां हैं वे सब संग्रहालयों में एकत्रित की जा रही हैं और उनका संग्रह किया जा रहा है और वे साफ प्रदर्शन करेंगी कि हमारे प्रदेश की कारीगरी बहुत बढ़ी हुयी थी और आज हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमें इस बात का महान् दुख है कि सारी कारीगरी आज हम दूर करते जा रहे हैं, अपनी नजरों से ओझल करते जा रहे हैं। और इसकी ओर हम जनता का ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं। यह हमारी कमजोरी है। पत्थर का सबसे बड़ा पहाड़ जो इमारतों के लिये, मूर्तियों के लिये सबसे उपयुक्त है, विन्ध्याचल पहाड़ हमारे इसी प्रान्त में विद्यमान् है और वह पत्थर इतना बढ़िया होता है कि पत्थर के सभी कामों में प्रयोग किया जाता है और आज बड़े-बड़े कारखानों से छोटी इंडस्ट्री को निरुत्साह किया जा रहा है। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि वैसे तो पत्थर की बड़ी-बड़ी इमारतें बनती थीं लेकिन देहातों में भी इसका काफी प्रयोग होता था। देहातों में हम लोग देखते हैं कि आटा पीसन क लिये पत्थर के जांते और चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता था, सिल बट्टे इसी पत्थर के बनते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि मशीनों के बन जाने की वजह से जहां आटा पीसने का काम जांत से लेते थे वह आज मशीनों से क्षण भर में काफी काम कर लेते हैं। तो जिन चक्कियों में पौरुष लगाना पड़ता था, उसमें हमारे स्वास्थ्य को काफी अच्छा बनाने का प्रति दिन का कार्य था, वह अब समाप्त सा होता जा रहा है और दूसरी तरफ उन मशीनों के जरिये जो हमारे यहां की कारीगरी थी उसको भी समाप्त कर दे रहे हैं। इसलिये आज हमारे यहां की पुरानी कारीगरी और हमारे प्रदेश के कोने-कोने में यह पत्थर भी जो प्रयोग होता था, आज वह बिलकुल समाप्त सा होता जा रहा है। मैं इस ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिहार की सरकार ने पत्थर की कारीगरी के कई जगहों पर केन्द्र खोले हैं और वहां पर पत्थर के रोजगार को बढ़ाने के लिये और जो काम करने वाले बेरोजगार हो गये थे उनको कार्य दिलाने के लिये और उनको ऐसी ऐसी कलाएं सिखाने के लिये और तरह तरह के काम धंधों में लगाने के लिये वहां की सरकार ने कई केन्द्र खोले हैं और उनके बनाये हुए सामान को बेंचने का काफी प्रबन्ध किया जाता है और तरह तरह के शिक्षण केन्द्र इसी पत्थर के लिये वहां पर खोले गये हैं। हमारी सरकार को भी इस तरह के केन्द्र, जहां पर पत्थर का कार्य सिखाया जाय, खोलने चाहिये। हमारे यहां पत्थर की मूर्तियां जो एक तरह

[श्री श्रीनाथराम]

से बनायी नहीं जा रही हैं, और इसमें शक भी नहीं है कि उसमें काफी श्रम भी लगता है जिसकी वजह से मंहगी भी पड़ती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम थोड़ी सी कमजोरी के लिये अपने यहां की एक बहुत बड़ी कारीगरी को समाप्त कर दें। चुनार में और काशी में और आगरे में जो पत्थर के काम करने वाले लाखों आदमी जो आज भी उसी सहारे पर थोड़ा बहुत जीवन निर्भर कर रहे हैं वह बिल्कुल एक ऐसा जीवन है जिसको हम कोई जीवन नहीं कह सकते। उनका जीवन बिल्कुल मरा हुआ है और वह एक इंसान के लिये कभी भी उपयोगी नहीं है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे देश में जहां पर लाखों लोग इस कारीगरी परही अपना जीवन निर्वाह करते थे उनको बेकार न किया जाय बल्कि इस प्रकार के केन्द्र हमारे प्रदेश में जगह-जगह खोले जायं जिससे उनको बेकारी से बचाया जा सके। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो यही कार्य करती हैं। कंजर कम्युनिटी की एक उपजाति पत्थर कट होती है और उसका मुख्य पेशा यही है कि वह पत्थर काटने का काम करती है। लेकिन बड़ी-बड़ी मशीनों की वजह से उनका काम बिल्कुल समाप्त हो गया है। बड़े-बड़े कारखाने सीमेंट और चूने के खुल जाने की वजह से इमारती पत्थरों का प्रयोग करना बन्द हो गया है और जिनका पत्थर की कारीगरी पर जीवन निर्भर था वह बिल्कुल खत्म हो गया है और बेकार घूम रहे हैं। उनके पास दूसरा साधन नहीं है जिस पर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि ऐसे लोगों का जिनका जीवन सिर्फ इसी काम पर निर्भर था उनके लिये जब तक दूसरा साधन नहीं मिल रहा है तब तक हमको यह चाहिये कि इस प्रकार के ऐसे केन्द्र खोले जायं और ऐसी ऐसी जो मशीनें हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाय ताकि जो गृह उद्योग हैं, जो घर घर जाते चक्कियां चलती थीं उसको प्रोत्साहन मिले। यह जरूर होगा कि फिर जो हम अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कल कारखानों के जरिये से, उस पर जरूर धक्का पड़ेगा। लेकिन इससे अगर लाखों करोड़ों आदमियों की जिन्दगी को बचा लेंगे तो यह अच्छा ही होगा। इसके लिये इतना त्याग करना ही पड़ेगा चाहे उसमें कुछ देर भले ही हो जाय। हमारे यहां इसी प्रकार के जगह जगह केन्द्र खोले जायं और इसी तरह उनके बनाये हुए सामान के बेंचने का भी प्रबन्ध किया जाय। मैंने तो सिर्फ पत्थर की ही कारीगरी का जिक्र किया है लेकिन हमारे प्रदेश में और भी बहुत सी कारीगरी हैं जो कि आज मशीनों की वजह से समाप्त होती जा रही है। मिट्टी के बर्तन, जो हमारे यहां बनते थे और मिट्टी के जो खिलौने बनते थे आज वह बिल्कुल समाप्त से होते जा रहे हैं क्योंकि कारखानों से थोड़े से परिश्रम से और ज्यादा चमकीले और भड़कीले बना दिये जाने के कारण लोगों का आकर्षण अब उस तरफ हो गया है और वह हाथ से बने हुए सामानों की तरफ आकर्षित नहीं होते। इसका नतीजा यह हो रहा है कि उन कामों को करने वाले जो आदमी थे वह बेकार हो गये हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका सिर्फ यही कारण है कि यह बड़ी-बड़ी मशीनें और बड़े बड़े कारखाने यही हमारे गृह उद्योगों के रास्ते में रोड़े हैं। जब तक इन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा और इन पर रोक नहीं लगायी जायगी और गृह उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दिया जायगा तब तक हमारे देश की बेकारी और बेरोजगारी की समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली है। माननीय विभव जी ने जो ११ सूत्री प्रोग्राम पेश किया है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। उससे काफी हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने काफी इस पर अपने विचार प्रकट कर दिये हैं और माननीय सदस्यों ने भी जो विचार रखें हैं वह भी काफी उपयुक्त हैं। मैं सिर्फ इतना और कहना चाहता हूं कि पत्थर की कारीगरी को और और दूसरी कारीगरियों को जिन पर बड़ी-बड़ी मशीनों का असर पड़ रहा है, प्रोत्साहन दिया जाय और उन्हें आगे बढ़ाया जाय।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)—आज जो प्रस्ताव इस भवन के सामने उपस्थित है उसके महत्व के बारे में मुझे अधिक नहीं कहना है। आज ग्राम उद्योगों का...

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य क्या अपना कोई संशोधन पेश कर रहे हैं? मैं तो समझता हूं संशोधन नं० २७ वह पेश कर दें तो ठीक है।

श्री रामस्वरूप गुप्त—ठीक है, मुझे अपने विचार प्रगट करने हैं, वह शायद इन संशोधनों में आ जायं। मेरे तीन संशोधन हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आज्ञा दें तो मैं उन्हें एक साथ पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष—हां, पेश कर दीजिये।

श्री रामस्वरूप गुप्त—पहला संशोधन मेरा यह है—संकल्प के खंड (३) की पंक्ति १ में शब्द "चार्ज" के स्थान पर शब्द "सेस" रख दिया जाय।

दूसरा—संकल्प के खंड (४) के आरम्भ में शब्द 'सहयोग समितियों और प्रामाणिक संस्थाओं के द्वारा' जोड़ दिये जायं। अर्थात् इसका रूप यह होगा गृह उद्योगों के लिये उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध किया जाय और उसे प्रामाणिक संस्थाओं और सहकारी समितियों द्वारा कारीगरों को बिना मध्यवर्गीय लाभ के व्यवस्था दिये जाने की व्यवस्था की जाय।

तीसरा संशोधन जो सारे संकल्प के अन्त में है वह इस प्रकार है—

"संकल्प के खंड (११) के बाद खंड (१२) निम्नरूप में जोड़ दिया जाय :—

"(१२) जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले उद्योगों में खास-खास उद्योग चुन लिये जायं गो गृह उद्योगों के रूप में ही चलाये जायंगे और उनको यंत्रोद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा से संरक्षण दिया जायगा अर्थात् ऐसे गृह-उद्योगों के क्षेत्र के लिये तय की हुयी वस्तु यंत्रोद्योग के जरिये न बनने दी जाय।"

उपरोक्त सब बातों पर विचार करने और प्रादेशिक सरकार से सिफारिश करने लिये विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये जो तीन मास में अपनी रिपोर्ट दे देगी। उपाध्यक्ष महोदय, पंच वर्षीय योजना में यह दिया हुआ था कि ग्रामीण उद्योगों संरक्षण के लिये पांच प्रकार के उपाय काम में लाये जायं:—Reservation of spheres of production of large scale industries. बड़े उद्योग के उत्पादन के क्षेत्र को संकुचित कर दिया जाय। (Imposition of production limit of large scale industries.) बड़े बड़े उद्योगों के उत्पादन की सीमा पर रोक लगा दी जाय। (Imposition of a cess on large scale industries.) बड़े बड़े उद्योगों पर एक सेस लगा दिया जाय जिसकी रकम ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों को सहायता दी जाय। Arrangement for supply of raw materials for research and training in small industries. कच्चे माल की सहायता दी जाय और अन्वेषण तथा शिक्षण का प्रबन्ध किया जाय।

मेरे पहले संशोधन में जो मैंने शब्द रखा है कि जांच के स्थान पर शब्द "सेस" रख दिया जाय तो वह पंच वर्षीय योजना की तीसरी सिफारिश में आता है। जो मेरा अंतिम संशोधन है वह सब से महत्वपूर्ण है और वह भी इस योजना की पहली और दूसरी सिफारि में आ जाता है।

(1) Reservation of spheres of production of large scale industries.
(2) Imposition of production limit on large scale industries.

अब देखना यह है कि पांच सिफारिशों में अभी तक योजना के तीन वर्षों में कहां तक अमल हुआ है। जहां तक दूसरे क्षेत्रों में जैसे अन्न उपजाने के क्षेत्र में, सड़कें बनाने के क्षेत्र में, सिंचाई करने के क्षेत्र में, हम आज यह दावा कर सकते हैं कि हमारे टार्जेट की पूर्ति हो गयी है या लगभग होने वाली है। लेकिन ग्राम उद्योगों के बारे में यह दावा नहीं कर सकते हैं कि जो पांच सिफारिशें योजना के आरम्भ में की गयी थीं उनमें हम कहां तक लक्ष्य पर पहुंचे हैं।

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

अभी तक जो भाषण भवन में हुए हैं उनमें वक्ताओं ने बहुत से उपयोगी सुझाव दिये हैं और मैं उनका समर्थन करता हूं परन्तु वह सीमित रह गाये हैं गृह उद्योगों के आर्थिक रूपों के सम्बन्ध में वास्तव में गृह उद्योग का जो मुख्य रूप है और जितना महत्व इसके आर्थिक रूप का है उतना ही महत्व उसके सामाजिक और सांस्कृतिक रूप का भी है। आर्थिक रूप के बारे में मैं दो बातें पेश करना चाहता हूं। वह यह है कि जैसे खादी के संरक्षण के लिये और खादी की वृद्धि के लिये और इस उद्योग को बढ़ाने के लिये कपड़े पर सेस लगाया गया और इससे खादी के बढ़ने में बहुत ही लाभ हो रहा है। इसी तरह से दूसरे उद्योग जिनका जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध ह, उन पर भी सेस लगाने की आवश्यकता है। जीवन की प्राथमिकता आवश्यकाताओं में मुख्य कर अन्न और वस्त्र ही से संबंधित हैं यानी खाने की चीजें और पहनने की चीजें। जैसे हमने पहनने की चीज का संरक्षण किया और सेस लगाया बड़े उद्योगों पर, ऐसे ही खाने की चीजों के उद्योगों पर सेस लगाकर छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाय वह उद्योग कौन-कौन से हैं। वह तो इसी योजना में जो १० उद्योग चुने गये हैं, अर्थात् धानी उद्योग, नीम के तेल से साबुन बनाना, धान कूटना–ताड़गुड़ उद्योग, गुड़ और खंडसारी उद्योग–चमड़े का उद्योग–ऊनी कम्बल उद्योग, हाथ से कागज बनाने का उद्योग– मधु मक्खी पालन और दियासलाई का कुटीर उद्योग, इन १० में से ५ जो हैं वह खाद्य पदार्थों से हैं खाने पीने की चीजों से सम्बन्ध रखते हैं, यानी धान कूटना, ताड़ गुड़ बनाना, गुड़ और खंडसारी उद्योग, मधुमक्खी पालन और घानी से तेल तैयार करना। ये १० उद्योग हमने चुन तो लिये, लेकिन १० उद्योगों के बारे में इन तीन वर्षों में हम कुछ नहीं कर पाये हैं, इसलिये आवश्यक है कि ५ उद्योग जो जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखते हैं उन को, उसी तरह का सेस बड़े उद्योगों पर लगा कर छोटे गृह उद्योगों को इस संरक्षण दें जैसा खादी के सम्बन्ध में किया गया है। एक तो यह मेरा सुझाव है जो आर्थिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और दूसरा सुझाव मेरा यह है कि योजना में कहा गया था कि खाद्य पदार्थ से सम्बन्धित उद्यागों में बड़े उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं देना चाहिये। सिवाय जहां सरकार अथवा सहकारी संगठन के द्वारा कोई उद्योग स्थापित किया जाय। ग्राम निवासियों को काम में लगाने और अधिक पोषण-तत्व देने की दृष्टि से भी धान कूटने के लिये हलर मशीन के स्थान पर कुटीर उद्योग के द्वारा चावल तैयार करना।

वह भी हमको तीन साल के बाद यह दोनों कदम उठाने आवश्यक है कि हम कुछ उद्योग ऐसे रिजर्व कर दें कि जिसमें गृह उद्योगों को बड़े उद्योग से कोई प्रतिस्पर्धा न उठानी पड़े। वह स्वतंत्र रूप से चलेंगे और कुछ उद्योगों में हम सीमाएं निर्धारित कर दें। उदाहरण के लिये १० नम्बर के सूत से नीचे का सूत मिलों में नहीं कतने पायेगा, वह चर्खों द्वारा कतेगा।

मैंने अपने अन्तिम संशोधन में यही दो बातें कही हैं कि इस प्रकार की सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये कि कौन से उद्योग बड़े उद्योगों के द्वारा चलेंगे और कौन से चलेंगे गृह उद्योगों के द्वारा। मेरी इसके लिये यह भी सिफारिश है कि यह काफी विचार और अध्ययन का विषय है और एक विशेषज्ञों की कमेटी ही इसके लिये सिफारिश कर सकती है। एक ऐसी कमेटी बिठलायी जाय। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार बिठला सकती है, परन्तु जैसे ३ साल हमारे बीत गये हैं योजना के, वैसे अगले दो साल नहीं बीतने चाहिये। उसकी सिफारिशें तीन मास के अन्दर भवन के सम्मुख आ जानी चाहिये, तो सरकार उनको स्वीकार कर ले।

अब मैं आप का ध्यान गृह उद्योगों के सांस्कृतिक रूप की ओर दिलाना चाहता हूं, चूंकि आर्थिक रूप से उसका महत्व अधिक है। सच पूछिये तो हमारी पश्चिमी शिक्षा के कारण हमारी दृष्टि कुछ ऐसी सीमित या कुंठित सी हो जाती है कि हम यह देख ही नहीं पाते हैं कि जो हमारे उद्योग हैं, जिनके ऊपर जीवन निर्भर है उनका सांस्कृति रूप क्या है

और उसका क्या महत्व है। महात्मा गांधी ने जिस समय खादी के उद्योग के लिये इस देश में प्रचार किया था तो उसके सांस्कृतिक रूप पर उनका बड़ा जोर था और उन्होंने कहा कि यदि हमको देश में अहिंसक समाज और वर्ग-विहीन समाज की रचना करनी है तो खादी और ग्रामोद्योगों के द्वारा ही वह हो सकता है। यंत्र उद्योग का तो एक ही परिणाम संसार को मिला है और वह मिला है हिंसा का शोषण का, युद्ध की विभीषिका का। आज संसार में जो इतना तनाव है, इतना भय है, उसका कारण यह है कि यंत्र उद्योगों में लगे हुए क्षेत्र अपनी रक्षा के लिये युद्ध भी करते हैं, साम्राज्यवाद भी उसी का परिणाम था। सारी हिंसा और शोषण यान्त्रिक उद्योगों से चलती है। ग्राम-उद्योगों का सब से बड़ा महत्व यह है कि हिंसक और वर्गविहीन समाज की रचना। क्या हम नहीं जानते कि आज जितने वर्ग हो रहे हैं वे बड़ी बड़ी मिलों के द्वारा ही पैदा हुये हैं और यदि उन मिलों के स्थान पर ग्राम उद्योग देश में प्रचलित हों तो ये वर्ग और शोषण आप से आप मिट जायगी। इसी प्रकार से एक दूसरा सांस्कृतिक रूप जो ग्राम उद्योगों का है स्वावलम्बन का। उत्पादन अधिक हो, देश की सम्पदा बढे और लोगों की बेकारी दूर हो। ये अधिक महत्व के प्रश्न हैं ही लेकिन इनसे अधिक महत्व का प्रश्न यह है कि समाज और समाज के व्यक्ति स्वावलम्बी हों। वह यह अनुभव करने लगें कि खाने और पीने की चीजों के लिये पहनने के लिये, शुद्ध हवा में रहने के लिये, उनको आश्रित नहीं रहना पड़ता है मिल के बड़-बड़े उद्योगों पर। वे सारी चीजें अपने घरों में, अपने गांवों में, अपने छप्पर में बैठे हुये उनको ग्राम उद्योगों के द्वारा प्राप्त हो सकती हैं। यान्त्रिक उद्योगों से तो बिल्कुल इसके विपरीत स्थिति पैदा होती है। इसलिये यह दूसरा सब से महत्व का प्रश्न है स्वावलम्बन की भावना। देश के धनी होते हुये भी यदि स्वावलम्बन की भावना देश के निवासियों में पैदा नहीं हुई, उनको समय समय पर महसूस करना पड़ा हम मिल मालिक पर मुनहसिर हैं, हमेशा पूंजीपतियों से और काम करने वालों से संघर्ष चलता है अथवा युद्ध के समय यह महसूस हुआ कि कपड़े के लिये भी मोहताज हो जायगा। और कोई भरोसा नहीं है कि यान्त्रिक उद्योग उसको कपड़ा दे सकेगा अथवा कंट्रोल के जमाने में उसको यह महसूस हुआ कि वह चार-चार घंटे एक-एक धोती के लिये इन्तजार करेगा तब धोती मिलेगी तो ऐसे समाज में न कोई स्वावलम्बन की भावना है और न कोई सुख और शान्ति की भावना है। यह सब से बड़ा महत्वपूर्ण हमारे ग्राम उद्योगों का है और सामाजिक और सांस्कृतिक रूप सम्बन्ध रखता है।

तीसरा रूप और भी है। मैंने अपने संशोधन में कहा है कि हमें कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को संरक्षण देना चाहिये और प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहिये। इन प्राथमिक आवश्यकताओं में हमारी भोजन की वस्तुयें सब से प्रथम आवश्यकताएं हैं और उनका सम्बन्ध न केवल इससे है कि उसमें हम स्वावलम्बी अपने आप को अनुभव करें, उसमें हमको कुछ पैसे की बचत हो, हमारे फुर्सत के समय में, जो हमारा अर्ध बेकारी का समय हो उसमें हमको कुछ पैसा मिल जाय बल्कि उसका एक बड़ा महत्व सम्बन्ध हमारे समाज के, हमारे देश के स्वास्थ्य से है। आज देश का स्वास्थ्य खराब हो रहा है इसलिये कि शक्कर के उद्योग में खांडसारी शक्कर का नाश हो गया है, इसलिये कि घी के उद्योग का स्थान वनस्पति उद्योग ले रहा है, इसलिये कि आज जो चावल हम खाते हैं वह मशीनों द्वारा साफ किया हुआ चावल है और उसमें वह वास्तविक पोषण तत्व नहीं रहा इसलिये कि आज हमको तेल खानी का नहीं मिलता, मिलों से जो तेल आता है उससे बेरी-बेरी और न मालूम क्या क्या मर्ज पैदा हो जाते हैं। इन तमाम चीजों का बहुत बड़ा सम्बन्ध स्वास्थ्य से है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीनों-बातों पर ध्यान हमें देना है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। अपने समय के भीतर ही समाप्त कर देना चाहता हूं। इसलिये मैं संकल्प के प्रस्तुत कर्ता श्री विभव जी से यह कहूंगा कि यदि यह संशोधन उनको स्वीकार हो जाय तो इस सारे संकल्प का एक व्यापक रूप हो जायगा और उस व्यापक

[श्री रामस्वरूप गुप्त]

रूप में यह सदन अपने संकल्प को स्वीकार कर के सरकार के विचारार्थ रख सकेगा। जिस प्रकार कि हमारी सरकार है उससे हमें पूरा भरोसा और विश्वास है कि वह इन सब बातों का समर्थन करती है और हमारे माननीय पंत जी गृहउद्योगों के बड़े कायल हैं। हमारे उद्योग मंत्री और अन्य मंत्री सभी, बल्कि यह सारा सदन भी इनकी उपयुक्तता को मानता है तब फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधों की गति इतनी धीमी है। हमारा प्रदेश जब और बातों में आगे रहता है तो उद्योग-धंधों की योजना की पूर्ति में भी आगे बढ़ना चाहिए।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---मैंने एक संशोधन, माननीय रामस्वरूप गुप्त जी के संशोधन पर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष---वह देर में आया है मैं उस पर विचार कर रहा हूं। अगर मुनासिब समझा गया तो बाद में लिया जायगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---मैं, जो संकल्प प्रस्तुत कर्ता श्री विभव जी हैं उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन को उपस्थित करना नहीं चाहते?

श्री रामदास आर्य---जी हां, मैं कर रहा हूं। मैं आप की आज्ञा से अपना संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं---

संकल्प के खंड (११) के बाद निम्नलिखित नये खंड जोड़ दिये जायं:---

"(१२) प्रत्येक गृह उद्योगों के लिये पर्याप्त मात्रा में सहायता तथा तकावी दी जाय,

(१३) गृह उद्योगों के कार्य की जांच पड़ताल तथा प्रोत्साहन के लिये सरकार विशेष प्रबन्ध करे,

(१४) प्रत्येक जिले में उद्योगों की हर प्रकार से उन्नति, कच्चे माल की उपलब्धि और बने हुये सामान की बिक्री तथा किस स्थान पर कौन सा उद्योग सफल हो सकता है आदि कार्य के लिये व्यक्तियों की एक समिति बनायी जाय जिसमें उद्योगों के अनुभवी सरकारी कर्मचारी १, उद्योगों को करने वाले ३, जिलाधीश, एम० एल० ए० ३ होंगे।

(१५) गृह उद्योगों को करने वालों को उनके बनाये सामान की बिक्री से मुक्ति सरकार द्वारा हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा, उस समय जब कि यह संकल्प ठीक रूप में विधेयक की शकल में यहां से पास हो कर कार्यान्वित होगा। आज हमारे प्रदेश की दशा दयनीय है। रोजगार लोगों के पास नहीं है। आज सवा छः करोड़ में से चार करोड़ के करीब लोग इस प्रकार के हैं जो रोजगारहीन हैं और कुछ ही लोगों के पास रोजगार है जो कि अपनी जीविका ठीक प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं। जिनके पास रोजगार नहीं है उनकी बड़ी शोचनीय दशा है। उनको सुधारने के लिये हमारी सरकार भी प्रयत्न कर रही है। लेकिन अभी पूर्णतया इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। आज हमारा भूमि-व्यवस्था बिल भी आया उसमें कहा गया है कि जो जमीन बंजर होगी वह उन लोगों को दी जायगी जो कि खेती से सम्बन्धित भूमिहीन हैं। लेकिन उन १३ लाख एकड़ भूमि में से कितने भूमिहीनों को मिली है। अगर वह सब को मिलती तो उनके रोजगार की समस्या कुछ हद तक हल होती। आज उस जमीन के मालिक असल में वह होने चाहिये थे जो कि खेत या उस जमीन पर पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर देते हैं।

उनको अब क्या अधिकार है ? जो लोग दूसरा रोजगार करके आमदनी करते हैं और खेती में लगाते हैं जैसे वकील हैं, वकालत करते हैं, और खेती भी करते हैं, जैसे सरकारी मुलाजिमीन हैं, वह मुलाजिमत करते हैं, वहां से लाभ उठाते हैं। तो क्या अधिकार है कि वह जमीन के मालिक रखे जायं। मैं तो कहता हूं कि चाहे कोई हो जो किसी प्रकार का दूसरा काम करता है, उसको जमीन नहीं मिलनी चाहिये। जमीन उसको मिलनी चाहिये जो खेती पर काम करे, और उससे पर्याप्त मात्रा में पैदावार करे। जब यह सब हो जायगा तो रोजगार उनको मिलेगा जो रोजगारहीन हैं।

दूसरी चीज जो हमारे सामने संकल्प के रूप में है वह हमारी बेकारी की समस्या को हल कर सकेगा और वह इस प्रकार से कि हमारे देश में पहले भी इस प्रकार के उद्योग धंधे थे कि दूसरे देश वाले उन उद्योग धंधों को हमारे यहां से सीख कर जाते थे। आज उनका नामोनिशान मिटा जा रहा है। मैं मिसाल के तौर पर बतलाये देता हूं कि कलकत्ते में ढाके की मलमल इतनी क़ीमती और महीन बुनी जाती थी कि वह हाथी की अम्बारी उससे ढक जाती थी। आज रौजा ताजमहल में देखिये जहां पर दुवल्ली में आठ रंग दिखलाये गये हैं। कोई दूसरा देश जिसको नहीं दिखला सका। इस प्रकार के दूसरे कारीगरी के काम हमारे देश में थे जो कि बाहर वाले यहां से सीख कर जाते थे। जैसा कि मेरे मित्रों ने बतलाया, दिन-प्रति-दिन हमारे यहां उद्योग धंधों की संख्या घटती जा रही है। मेरा निवेदन यह है कि उन उद्योग धंधे वालों को पर्याप्त मात्रा में सहायता मिलनी चाहिये। वह लोग जो कि रोजगार कर रहे हैं और उनके पास उद्योग-धंधों का सामान भी खरीदने के लिये पैसा नहीं है वह कैसे अपने उद्योग धंधों को कायम रख सकते हैं आज उनको कच्चा माल भी मिलने की सुविधा नहीं है। इसके अतिरिक्त आज उनके उद्योगों से बनी हुई चीजों की बिक्री का भी प्रबन्ध नहीं है। अगर उनको अपने उद्योग धंधों की चीजों की बिक्री से मुक्त कर दिया जाय तो काफी उन्नति वह अपने उद्योगों में कर सकते हैं। जितना समय उनको बिक्री करने में लगता है उतना समय वह अपनी चीजों के बनाने में लगा सकते हैं।

तीसरी चीज मैं आप के सामने यह बतलाना चाहता हूं कि बड़े-बड़े मिल हमारे छोटे-छोटे उद्योगों का काम कर रहे हैं। उन पर यह पाबन्दी लग जाय जैसे कि हमारे बुजुर्ग माननीय रामस्वरूप जी ने कहा कि जैसे कपड़े की मिल है उस पर यह पाबन्दी लगा दी जाय कि किसी नम्बर के ऊपर कम से कम २१ नम्बर से ऊपर वाला सूत का कपड़ा मिल बुनें और इससे कम नम्बर के सूत के कपड़े जुलाहे बुनें। इसी तरह से जो बड़े उद्योग धंधे हों उन पर पाबन्दी हो ताकि छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिले। छोटे उद्योग-धंधों में चमड़े का काम है, उसकी ट्रेनिंग का इन्तजाम होना चाहिये। मुजफ्फरनगर में खास तौर से इसकी रंगाई का काम होता है लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध नहीं है कि उनके घरों में जा कर उनके रंगने के तरीकों को देखा जाय और यह भी देखा जाय कि उनके पास उसके लिये घर भी हैं या नहीं, ठीक तौर से वे वहां काम भी कर सकते हैं या नहीं और उनको क्या-क्या दिक्कतें हैं, इन बातों के लिये कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है जिसके कारण वे इस कार्य में उन्नति कर सकें। मुजफ्फरनगर में कम्बल का कार्य भी बहुत अच्छा हो सकता है अगर कम्बल बुनने वालों को और चमड़े के कार्य को करने वालों को सरकारी सहायता मिले तो तो मैं आशा करता हूं कि वह इस कार्य में बहुत उन्नति कर सकते हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस ओर तवज्जह करेंगे।

(इस समय ३ बज कर ५५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

पहले भी मैं कह चुका हूं कि चमड़े व ऊन के लिये वहां सुविधायें दी जायं ताकि ये उद्योग धंधे उन्नति कर सकें।

केराना में रंगाई और छपाई का काम अच्छी तरह से हो सकता है। अगर छपाई का कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जाय तो यह उद्योग धन्धा भी तरक्की कर सकता है।

[श्री रामदास आर्य]

इसी तरह से शाहपुर और श्यामली में बर्तनों का काम होता है। अगर इस उद्योग को सहायता दी जाय तो काफी उन्नति हो सकती है। प्रदेश के ऐसे बहुत से जिलों में जहां मुख्तलिफ किस्म के कार्य होते हैं और वहां अच्छा सामान मिल सकता है। अगर उनको सुविधा दी जाय और उन उद्योग धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय तो वहां के लोगों को वे चीजें मुहइया हो सकती हैं। हर पंचायती गांव में एक उद्योग धंधा अवश्य होना चाहिये ताकि उन चीजों को वहां रहने वाले प्राप्त कर सकें। इससे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा और वहां के रहने वालों को भी आसानी होगी। अगर इस तरह स सरकार सहायता देती रही तो मैं समझता हूं कि उद्योग धंधे काफी उन्नति करेंगे।

बख्शी तालाब पर मोटर मैकेनिज्म, सिलाई का कार्य, टिन का कार्य, रंगाई व छपाई का काम सिखाया जाता है। जो लोग यहां से निकलते हैं वे इतने गरीब होते हैं कि जिस सामान की उन उद्योग-धंधों को चलाने की आवश्यकता होती है उसको वे खरीद नहीं सकते और जब खरीद नहीं सकते तो ट्रेनिंग बेकार है, कोई फायदा उनको नहीं होता। यदि उनको सहायता दी जाय तो वे अपने घरों में जाकर उस कार्य को करेंगे और अगर सरकार उनके कार्य की निगरानी करे कि वह ठीक से चल रहा है या नहीं, अगर नहीं चल रहा है तो क्या दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को सरकार दूर करे तो इससे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे उद्योग धंधे उन्नति कर सकेंगे। आज मैं समझता हूं कि इस बात की आवश्यकता है कि हर जिले में एक उद्योग समिति बनाई जाय। वह इसीलिये बने कि वह मालूम करेगी कि कितने उद्योग धन्धा करने वाले उस जिले में रहते हैं और किस प्रकार की सुविधा उनको दी जाय ताकि वह उद्योग-धंधों को ठीक प्रकार से चला सकें। इस तरह से यह बात भी हमारी जानकारी में रहेगी कि कितने उद्योग धंधा करने वाले हमारे जिले में हैं, और वे क्या-क्या उद्योग धन्धा कर सकते हैं और कैसे अपने कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिये वह कमेटी सिफारिश करेगी और सरकार को भेजेगी और सरकार उस पर गौर करेगी और जायज मांग को मानेगी और मान कर उनको सुविधा देगी, इससे हर उद्योग धंधा करने वाले को प्रोत्साहन मिलेगा। ये चीजें हैं जिनको मैं आप के सामने रख रहा हूं कैसे हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे पनप सकते हैं और हमारे प्रदेश से चीजें बन कर दूसरे प्रदेश में जा सकती हैं। इस तरह से बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक दूर हो सकेगी। अगर बातों तक ही यह संकल्प रह गया तो कोई लाभ नहीं होगा। मुझे माननीय मंत्री जी से बहुत आशा है और मुझे बहुत विश्वास है और सदन को भी उन्होंने विश्वास दिलाया था कि उनकी रुचि उद्योग-धंधों की तरफ है और वह पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं और मुझे आशा भी है कि उद्योग धंधों की तरफ रुचि अवश्य होगी। मेरी प्रार्थना है कि वह इस संकल्प को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सदन से प्रार्थना यह है कि इसमें कोई शुबहा नहीं है कि देहातों को हमें काम देना चाहिये। गांव वालों को यदि हम कोई काम न दे सकें उनकी खेती बाड़ी के काम को करने के बाद यदि वह दूसरा कुछ काम कर सकें जिससे वह कुछ पैसा कमा सकें तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि गांव वालों को वह काम दिया जाय जो मशीन से नहीं होता है। लेकिन जो काम मशीन से होता है, वह काम हो सकता है कि हाथ से कुछ दिन करें किन्तु भावुकतावश भी उसको वह बहुत दिन नहीं कर सकता अन्त में वह सफल नहीं होगा। मुझे इस बात का खूब पता है कि गवर्नमेंट ने बड़ी लोगों की इमदाद दी। कुछ जगह तेल के कोल्हू के लिये पैसा दिया है। कहीं पर रंगाई के लिये आर्थिक सहायता दी है, कहीं पर छपाई के लिये और दूसरे गृह उद्योगों के लिये सहायता सरकार ने की है। मेरे पास एक सज्जन इलाहाबाद से आये हैं उनके ऊपर सरकार ने बहुत मेहरबानी की मगर उनके सब काम फेल हो गये। बहुत लोगों को कर्जा दिया कि तुम फलां काम करो लेकिन

मेरा खयाल है कि उसमें ५० फीसदी भी वापस नहीं हुआ है। वह काम खत्म हो गया है। कारण यह है कि इस कम्पटीशन के जमाने में सिर्फ भावुकता से काम चलने वाला नहीं है। हजूरवाला, इसलिये मैं एक सुझाव देता हूं आप गांवों में खपरे पथवाइये, ईंटा पथवाइये, खाद बनवायें, कंकड़ निकलवायें और इसी प्रकार के दूसरे काम लीजिये जिससे वहां के रास्ते बन सकें, लोगों के पक्के घर बन सकें तो यह काम अच्छा है और इससे वहां के लोगों का लाभ भी हो सकता है। जो काम मशीन से होता है उसको क्यों उनके ऊपर छोड़ते हैं। जो काम मशीन से नहीं होता और जिसकी मांग भी नहीं है उसको उनसे कराना लाभप्रद नहीं हो सकता है। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि मिलों पर टैक्स लगाइये और उस पैसे को दे कर उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिये और वह उनका जो घाटा हो उसको पूरा कीजिये। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि ठीक है रुपये लीजिये और वह घाटा भी पूरा कीजिये मगर देखना यह है कि वह कितने दिन चलेगा। इसका क्या तुक है कि हम लोग उनको पैसा भी दें और काम वह करें जो मिल कर सकती हैं। तो इससे क्या लाभ हो सकता है। यदि पैसा लिया जाय तो उससे वह काम किया जाय जिससे वास्तव में गांव वालों का लाभ हो। वहां खराब रास्ते हैं। लोगों के मकानों की हालत खराब है। अगर पैसा लेकर इस प्रकार की चीजों को बनाने की ओर जिसकी की उन्हें आवश्यकता है की ओर ध्यान दिया जाय तो ज्यादा लाभ होगा। यह बड़ी आसानी से कहा जाता है कि मिलों पर और टैक्स लगा दीजिये, पूंजीपतियों के पास बहुत पैसा है, वह बहुत मजे कर रहे हैं उनसे पैसा लिया जाय लेकिन हुजूरवाला, सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि सदन में अक्सर सवाल आता है कि हमारी एक्साइज ड्यूटी उन पर अभी बाक़ी है, फलां मिल कुर्क होने जा रही है। लखनऊ की काटन मिल ही बन्द पड़ी है। एक जामाना था कि मिलों के पास काफी पैसा बचता था और किसानों को गल्ले का मूल्य भी वह पेशगी देते थे लेकिन आज हालत यह है कि किसानों के गन्ने के दाम उनके पास बकाया पड़े हैं। जहां तक अपनी सरकार की बात है वह पैसा वालों से पैसा ले लेकिन उसको उसी काम में लगाइये जिससे आम जनता का लाभ हो। मिलों से काफी पैसा लिया गया है और अब अधिक लेने की गुंजायश नहीं है। अगर गुंजायश है तो लीजिये मगर इस बात का खयाल रखिये कि मिलों से और पैसा लेने से उनके ऊपर और भार पड़ेगा। अगर मुमकिन हो तो टैक्स मिलों पर लगाइये लकिन इससे मिलों का सामान मंहगा पड़ेगा। अगर आप देहात में काम करायेंगे और उन लोगों को छोटी मशीनें आदि दे देंगे तो मिलें बन्द हो जायंगी और करोड़ों मजदूर बेकार हो जायंगे फिर जब सामान तेज पड़ेगा तो हम कम्पटीशन कैसे करेंगे। क्योंकि बाहर के माल के बजाय अगर हमारा माल मंहगा पड़ा तो किसी प्रकार की कम्पटीशन के कारण विदेशों में बिक नहीं सकता। यहां तो हम लोग कहते हैं कि खद्दर मंहगी भी अच्छी लेकिन क्या दूसरे देश का आदमी भी यह कहेगा कि हिन्दुस्तान का कपड़ा मंहगा भी अच्छा है। दूसरे मुल्क तो सस्ती चीज को ही खरीदेंगे। अगर माल मंहगा पड़ा तो कम्पटीशन के कारण मिले बन्द हो जायेंगीं और मजदूर बेकार हो जायंगे। इसलिये हमें यह सोचना है कि जोश में आकर हम कोई ग़लत काम न कर जायं। पटवारी ने ग़लत रिपोर्ट दे दी कि गल्ले की कमी है, हाहाकार मचा हुआ था लेकिन मालूम हुआ कि उसकी रिपोर्ट ग़लत थी और गल्ले का कंट्रोल तोड़ दिया गया। उसके बाद न जाने कहां से गल्ला बढ़ गया। इसलिये मैं कहता हूं कि जोश में आ कर कोई ग़लती न कीजिये और सरकार का पैसा ग़लत काम में खर्च न कराइये नहीं तो आप धोका खा जायेंगे। अब फाउन्टेनपेन को ही ले लीजिये। पहले चाकू से क़लम बनायी जाती थी उससे लिखा जाता था, उसको लोहे के क़लम ने खत्म कर दिया। अब उसकी जगह फाउन्टेनपेन ने ले ली। लोग १० रुपया से १०० रु० तक का पैन रखते हैं लेकिन क़लम से नहीं लिखते। हवाई जहाज की सवारी मंहगी पड़ती है लेकिन लोग उसी में बैठते हैं। अब आप कहें कि हमारे बाप दादे तो बैलगाड़ियों में चला करते थे हम भी उसी पर चलेंगे लेकिन इससे आप को नुक्सान

[श्री सीताराम शुक्ल]

होगा। पहले ब्राह्मण भंडारी रक्खा जाता था लोग कहते थे वे बहुत पवित्र हैं लेकिन वह भी कम्पटीशन में पिछड़ गया। खाना बनाता है लेकिन चौका बर्तन नहीं करता इस लिये अब ब्राह्मण को कोई नहीं रखता, लोग ऐसे आदमी को रखते हैं जो खाना भी बनाता हो और चौका बर्तन भी करता हो। इसलिये कानून बनाने से कोई काम नहीं चल सकता। जो सस्ती चीज होगी लोग उसी को खरीदेंगे, जो चीज मंहगी होगी उसे लोग नहीं लेगें। लोग खद्दर पहनते हैं, स्पीचेज देते हैं खादी पहनो लेकिन उनके घर में जा कर देखिये तो उनकी चादर खद्दर की नहीं है। उनकी लड़कियां खादी नहीं पहनतीं क्योंकि वह मंहगी पड़ती हैं। इसलिये जरा प्रैक्टिकल दुनिया में चलिये ताकि किसानों को फायदा पहुंच सके और हमारा देश दुनिया के कम्पीटीशन और मुकाबलें में भी खड़ा रह सके। अतः जो काम मिलों से हो सकता है वह देहात में हाथ से नहीं करवाया जाय। क्योंकि देहात में जो काम शुरू ही हो सकता है वह कम्पटीशन में नहीं आ सकता है। इसलिये जरा सोच विचार कर काम करने की जरूरत है।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलते समय मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में उद्योग धंधों की परंपरा प्राचीन समय से बहुत ही उच्च रही है, इसका व्यवसाय बहुत ही उन्नतिशील अवस्था में रह चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि सदियों पूर्व हमारा देश दुनियां के दूसरे देशों से व्यापार करता था, और बड़ा उन्नतिशील व्यापार था और इसमें भी सन्देह नहीं कि यहां की चीजें संसार भर के बाजार में कम्पटीशन में बाजी मारती थीं। लोहे, चीनी, कपड़ा आदि जो भी चीजें बनती थीं, वे सब अपनी सानी नहीं रखती थीं। अंग्रेजी हुकूमत के आने के पहले और अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद, विशेष रूप से ईस्ट इंडिया कम्पनी का जब यहां प्रसार हुआ तो किस प्रकार से कपड़े के उद्योग धंधे और दूसरे उद्योग धंधे नष्ट किये गए उनका इतिहास इस सदन के माननीय सदस्यों से छिपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से टैक्स लगाये गए, किस प्रकार यहां के कारीगरों को बर्बाद किया गया, किस प्रकार दूसरे सिस्टम से यहां की चीजों को रद्द किया गया वह हम सब लोगों को ज्ञात है। आज स्वतंत्रता के पश्चात् वे चीजें हमारा ध्यान अनायास रूप से आकर्षित करती हैं लेकिन आज हमारे देश में हमको और आप को क्या किसी को वे चीजें नहीं मिलती हैं। यहां लैक आफ इंथुजियाज्म टवार्डस इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हमारे देश में जोश व आवेश का सर्वथा अभाव है। एक बड़ी मुसीबत हमारे देश में आ गयी है और वह मुसीबत यह है कि हम सदियों से जिस वातावरण में पले हैं, जो यू० के० कामनवेल्थ का पुराना वातावरण था उसी में हमारा ध्यान है और उन्हीं के तरीके पर हम अपना काम करते हैं। इसका नतीजा यह हुआ है कि हम स्वतंत्र हो जाने के बाद भी अगर डैम बनायेंगे तो उन्हीं के तरीके पर, अगर नदी खुदवायेंगे तो उन्ही के तरीके पर, अगर तालाब, पोखरे बंधवायेंगे तो उन्हीं के तरीके पर, अगर मशीन का कारखाना चलाना होगा तो उन्हीं के तरीके पर, चलायेंगे। एक-एक मशीन अमेरिका और यू० के० से मंगाने में दो-दो चार-चार वर्ष का समय लग जाता है। तो इस सम्बन्ध में अपनी कोई राय तो नहीं दे सकता हूं। वह तो एक्सपर्ट्स की कमेटी बनेगी और वह कमेटी ही उस पर विचार प्रकट कर सकती है कि कौन मशीन बनायी जाय, और दूसरे उद्योग धंधे कहां पर चलाये जा सकते हैं, कैसे चलाये जा सकते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और सदन के माननीय सदस्यों से कि हमारे देश के रहने वालों में से जागृति हो जानी चाहिये। अब एशिया के समस्त देश जागरूक हैं इसलिये एशिया फार एशियन कंट्रीज का नारा लगाना चाहिये। अभी मैंने अखबारों मे पढ़ा है कि रूस और हिन्दुस्तान के बीच एक स्टील प्लांट यहां स्थापित करने के लिये एक एग्रीमेंट हुआ है और १८ महीने के अन्दर ही उसका प्रोडक्शन भी यहां होने लगेगा। अगर अमेरिका के किसी फर्म से इस तरह की बातचीत हो जाती तो वहां से मशीन आने में

ही चार वर्ष का समय लग जाता । तो हमारा ध्यान किसी तरह से भी अपने देश की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है। दूसरे स्वदेशी कपड़े के लिये हमें नारा लगाना चाहिये। माननीय सीताराम शुक्ल की इस बात से मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं कि आवेश में आ कर कम्पटीशन के युग में स्वदेशी का नारा लगाना हानिकारक है। जब तक हम लोग अपने में पूर्ण रूप से नहीं आते हैं तब तक हमको इस नारे को इसलिये लगाना पड़ेगा कि हम उस सीमा तक पहुंच सकें जिस सीमा तक दूसरे देश उन्नति कर सके हैं। स्वदेशी के नारे लगाने का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हम उसको किसी और बिना पर लगाते हैं। यह तो इसलिये है कि हम क्रियात्मक रूप से कलात्मक ज्ञान में दूसरे देशों के मुकाबले में आने के लिये अपना ध्यान लगा सकें। अगर एशिया आफ एशियन का नारा लगाया जाय तो वाकई हम आगे चल कर के दूसरे देशों से कम्पटीशन में भी मुकाबला कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि पहले हमारे देश में अन्न की कमी थी तो खेती फर्स्ट आइटम पर थी लेकिन विशेषरूप से घरेलू उद्योग-धंधे के सम्बन्ध में या बड़े उद्योग-धंधे के सम्बन्ध में अब हमको अपना ध्यान देना है। कोई भी इंडस्ट्रीज हो, बड़ी इंडस्ट्रीज हो, वह सेंटलाइज न हो, डिसेंट्रलाइज हो। यह बात दूसरी है क्योंकि आजकल डिसेंट्रलाइजेशन का ही युग है। तो हमको इस बात पर विचार करना है कि हमारे देश में जहां पर इतने ज्यादा लेबर हैं जिस कदर भी हमारे यहां लेबर है, जितनी भी कैपिटल है और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आर्गनाइज किया जा सकता है। हमारे देश की अवस्था दूसरे देशों से भिन्न है। योरोप के जो देश हैं जो वेस्टर्न कन्ट्रीज हैं जैसे इंगलैन्ड है जर्मनी है और दूसरे देश हैं वहां एक तरह का आर्गनाइज्ड इंडस्ट्रीयल कैपिटलिज्म है लेकिन यहां हमारे देश में या एशिया भर में वह आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का अभाव है। इसलिये हमारे यहां बड़े-बड़े उद्योग धंधे जो घरेलू तरीके पर चलाये जा सकते हैं उनकी बड़ी गुंजाइश है और हम उनको आसानी से अपने यहां डेवलप कर सकते हैं और वह यहां एक डिसेंट्रलाइज तरीके पर आगे बढ़ाये जा सकते हैं। हमारे यहां उद्योग-धंधों की हालत यह है कि मैं कुछ दिन पहले बनारस में रामनगर गया था वहां पर लोग हाथी दांत के सामान और बहुत सी चीजें बनाते हैं। वहां पर अब यह हाल है कि वह लोग रो रहे थे उनके सामान को कोई पूंछने वाला नहीं है और कोई प्रोत्साहन हमको नहीं मिलता है मैं समझता हूं कि इस तरह से जो कला मरती जाती है उसे रोक कर हमें प्रोत्साहन देना चाहिये। मिर्जापुर में कालीन के कारखानों का भी यही हाल है कि जब से अंग्रेज चले गये हैं वह कारखाने इतने डिटिरारेट हो गये हैं कि अब वहां उनकी तरक्की की कोई गुंजाइश नहीं रह गयी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें सन्देह नहीं है कि बहुत अंश में हमारे उद्योग धंधे बढ़े भी हैं जैसे हमारी मिर्जापुर की सीमेंट फैक्टरी एक भारी चीज है इस प्रदेश के लिये और सारे भारतवर्ष के लिये अगर जरूरत होगी तो वह सीमेंट दे सकेगी ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे देश के लोग जिस समय में और जिस युग में आजाद हुये हैं वह काल पहले के काल और उस समय के बीच में एक विभाजन की रेखा उपस्थित करता है। इस युग में चीन का एक नकशा बना और जापान का भी एक नक्शा बना और वह उस के अनुसार काम कर रहे हैं लेकिन हमारा नकशा उससे भिन्न और एक प्रगतिशील दशा में होना चाहिये क्योंकि हमारे यहां के जो शिल्पकार हैं जो लोहार या बढ़ई हैं वह एक तरह की स्किल रखते हैं और काफी कलात्म ढंग का काम वह करते हैं और हमारे यहां के इन कारीगरों में एक खास जीनियस और इनटेलेक्ट है। हमें उस चीज को यहां मोबिलाइज करना चाहिये और उसके लिये हमें एक साइकालाजिकल डेवलपमेंट उनका करना चाहिये। बाकी डिटेल की बातें तो मैं इस वक्त नहीं करना चाहता और मेरा बोलना अधिक उस में ज्यादा कारगर न हो सकेगा लेकिन इतना मैं फिर कहूंगा कि हमें अपने यहां के लोगों की साइकलाजी को डेवलप करने के लिये उद्योग की तरफ

[श्री पद्मनाथ सिंह]

एक नया एनथूजियाज्म लाना पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि सरकार का ध्यान इस तरफ जायगा ।

श्री हरि सिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय देवकी नन्दन जी विभव द्वारा उपस्थित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । उन्होंने जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत किया है उसमें उन्होंने ११ सुझाव दिये हैं । सब से प्रथम जो उनका सुझाव है वह यह है कि इन उद्योगों पर से सेल्स टैक्स हटा दिया जाय । जितनी इंडस्ट्रीज हमारे प्रदेश में प्रचलित हैं जो छोटी-छोटी दस्तकारियां हैं वह टैक्स की वजह से मर चुकी हैं और जो कुछ बाकी हैं और जो विद्युत के द्वारा चलाई जा रही हैं उन पर भी बिजली का सरचार्ज वगैरा इतना है कि वह लोग अदा नहीं कर पाते हैं और उससे हमारे गृह उद्योग पनप नहीं पाते हैं । जिस व्यक्ति को एक भी कनेक्शन दिया गया है वह बिजली का अधिक व्यय नहीं दे पाता है क्योंकि कारखानों का व्यवसाय करने वालों की इतनी आय नहीं होती कि वह प्रत्येक महीने में उस आय से उसका भुगतान कर सकें।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके भाषण को पढ़े नहीं ।

श्री हरि सिंह---इसलिये सरकार से निवेदन है कि जो सरचार्ज बिजली पर लगा हुआ है उसको कम कर दें ताकि उद्योग धंधे पनप सकें ।

जहां तक गृह उद्योग धंधों का प्रश्न है मेरी राय है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों को हम ग्रामों में भी और शहरों में भी चालू करें । जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे कपड़ा वगैरह बनता है उनको भारतवर्ष में न बेंचकर विदेशों में उनका उत्पादन बेंचा जाय जहां उनके दाम अधिक मिल सकते हैं और जो छोटे-छोटे उद्योग धंधों से माल यहां मंहगा पड़ता है और बिक नहीं सकता है उनके लिये सरकार का कर्तव्य है कि जैसे अमेरिका में एक प्रकार का कानून बन गया है जो देश में बना हुआ माल अधिक महंगा पड़ेगा उसको वहां के निवासियों को अनिवार्यत: खरीदना पड़ेगा । इसी तरह से मुझे सुझाव देना है कि यहां की सरकार का भी कर्तव्य है कि यहां जो गृहोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुयें हैं उनको यहां के निवासियों के लिये खरीदना अनिवार्य कर दे और जो विदेशों में माल बेचने से लाभ हो उसका भाग गृहो-द्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में लावें जिससे गृहोद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुयें मंहगी न पड़ें । इससे होगा यह कि यहां के लोगों को माल ठीक भाव से मिलने लगेगा और दूसरे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और देश के लोगों की बेकारी भी घटेगी । जब तक हम यह नहीं करते तब तक देश की बेकारी दूर होना असम्भव है क्योंकि आज जितना प्रोत्साहन दिया जाता है वह बड़ी-बड़ी मिलों को बड़े बड़े कारखानों को दिया जाता है और छोटे-छोटे उद्योगधंधों पर इतना कर लगा दिया जाता है कि जो चालू भी करते हैं हिम्मत करके उनको बन्द करना पड़ता है । उदाहरण के तौर पर गाजियाबाद जिला मेरठ में जो एक कपड़े का कारखाना है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वहां जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसकी मांग योरप और अमेरिका आदि देशों में इतनी है जितना हम उत्पादन नहीं कर पाते लेकिन बिजली न मिलने के कारण उनका बिजनेस चलाना असम्भव हो रहा है । अगर यह चीजें और इसी तरह के कारखाने और चीजें भी इसी तरह की बनावें जो विदेशों में जाकर बिके तो हमारा देश धनाढ्य हो, मालदार बने वहां द्रव्य आवे और उस द्रव्य का वितरण हो तो हमारे देश की बेकारी दूर हो । इसके अतिरिक्त अपने यहां के लिये हाथ कता और हाथ बुना कपड़ा तैयार हो और इस देश के सब निवासियों के लिये अनिवार्य हो कि वह हाथ कता, हाथ बुना कपड़ा पहने तभी इस देश की बेकारी दूर हो सकती है । इसमें उच्च, मध्यम और निम्नवर्ग का प्रश्न नहीं होना चाहिये क्योंकि जहां बेकारी का प्रश्न है उसमें कौन उच्च, कौन मध्यम और कौन निम्न है । सब बराबर हैं चाहे कोई सवर्ण हो, चाहे कोई हरिजन । मसलन् चमड़े का व्यवसाय है । हमारे यहां के लोग इस चमड़े का बहुत अच्छा धंधा करना

जानते हैं लेकिन उसके लिये भी भारतवर्ष में मशीनों से काम होता है। उसके लिये भी बाटा और कितनी ही कंपनियां खुलीं और उनके द्वारा जूता तैयार किया जाता है और वह जूता मोचियों द्वारा तैयार किये हुए जूतों से दुगने दाम पर मिलते हैं लेकिन फिर भी मशीनों के द्वारा जूता तैयार किया जरूर जायगा तो बेकारी दूर कैसे होगी। हाथ से जूते बनाने वाले बेकार बैठे रहेंगे और निठल्ले बैठे रहने के कारण वे भूख से तड़पेंगे। और नतीजा दूसरी ओर क्या होगा कि ये बड़ी-बड़ी कम्पनियां विदेशों से माल मंगायेंगी और जो हमारा रुपया है वह विदेशों में जायगा और देश हमारा निर्धन होगा, वह सरसब्ज और मालदार इस तरह से कभी बन नहीं सकता। मसलन आपने खेती के लिये ट्रैक्टर मंगाये, मगर उनकी मरम्मत और उनके पुर्जों के लिये ट्रैक्टरों से ज्यादा रुपया खर्च किया गया। ऐसी मशीनों से हमारा देश मालदार नहीं बन सकता। हम तो चाहते हैं कि ट्रैक्टर चलायें लेकिन साथ ही यह भी चाहते हैं कि वह बनें भारतवर्ष में ही और उसके फायदे का वितरण यहां के मजदूरों में हो और इसका एक ही जरिया हो सकता है कि इस सब काम को कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के जरिये कराया जाय। उसमें गरीब अमीर सब मिल कर अपने सहयोग से उस काम को चलावें ताकि देश की हालत अच्छी हो और बाजार अच्छा बन सके और आज की फैली हुयी बेकारी का प्रबन्ध हो सके। यदि इस तरह का प्रबन्ध नहीं किया गया तो हम कितने ही सुझाव दें, कितना ही प्रयत्न करें किन्तु हम इन छोटे-छोटे उद्योग धंधों को उन्नतिशील नहीं बना सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस प्रस्ताव का इसलिये समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ था कि यह जो इसमें ११ सुझाव हैं वह एक कोआपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ही भलीभांति सफल हो सकते हैं। जैसे छोटे-छोटे धंधों का प्रश्न है, उनमें छोटी-छोटी सोसाइटियां बना दी जायं और जो मार्केटिंग फेडरेशन हो उसके द्वारा उनकी बनायी चीजों की बिक्री का प्रबन्ध हो और विदेशों में इसके लिये बाजार तैयार किया जाय। विदेशों में इन चीजों के प्रचार के लिये और कहां किस चीज की आवश्यकता है इसकी जानकारी के लिये सरकार को अपने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से काम लेना चाहिये और मार्केटिंग फेडरेशन को वह माल तैयार कराना चाहिये कि जो विदेशों में ज्यादा दाम पर बिक सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उद्योग धंधे नहीं पनप सकते इसलिये कि आज वह व्यक्तिगत रूप से चारों तरफ फैले हुए हैं। आज हमें इन सारी बातों को ध्यान में रख कर इनको चलाना है और वह इसलिये कि जैसे हमने देखा कि एक खादी की योजना चली और इसमें यह कहा गया कि यह एक ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा देश की बेकारी दूर होगी। परन्तु हमें इसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि आज जितनी खादी बनती है उसकी खपत नहीं है, खादी के पहिनने वाले उतने नहीं हैं जितना कि उसका उत्पादन है। और इस तरह से हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि इन की उन्नति का एक ही रास्ता है कि कोआपरेटिव सोसाइटियां बना कर काम शुरू किया जाय और तैयार माल की बिक्री का जिम्मा मार्केटिंग फेडरेशन को दिया जाय और उसका कर्तव्य हो कि वह सारे बाजारों में जाकर माल की खपत करने का प्रबन्ध करे। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है और मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह इन बातों की तरफ अधिक ध्यान दें कि जिससे यहां की बेकारी दूर हो, देश का कल्याण हो, देश द्रव्यशील बने, सारे व्यक्ति मालदार बनें और सब को रोजगार मिले।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन इस संकल्प में रखे हैं उन्हीं के आधार पर मैं अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं। श्रीमन् हमारे इस प्रदेश में और भारतवर्ष में वह बड़े-बड़े उद्योग और शिल्पकारियां थीं जो संसार में प्रसिद्ध थीं परन्तु विदेशियों ने उनको नष्ट कर दिया और नष्ट करने के पश्चात् हमने यह नहीं सोचा कि किस प्रकार इनका पुनर्जन्म हो स्वतंत्रता मिलने के पहले हम इसका जिक्र किया करते थे, परन्तु इसके पश्चात् हमने अधिक इस ओर ध्यान नहीं दिया कि किस प्रकार से हमारे उद्योग धंधे नष्ट किये गये फिर उसी दशा पर किस तरह से भारत में हम इनको ला सकते हैं। मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश में और भारतवर्ष में बड़े-बड़े कारखाने खुले हुए हैं जो स्थिति को देखते

[श्री श्रीचन्द्र]

हुए किसी भी प्रकार से हमारे लिये उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते। मैं आपके द्वारा अपने माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे लिये बड़े-बड़े कारखाने उपयोगी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। मैं इस चीज को आपके सामने रख देना चाहता हूं कि बड़े बड़े जितने भी कारखाने हैं वह कुछ ही मनुष्यों की सम्पत्ति हैं और हमारी सरकार ने कुछ नियम भी बना दिये हैं कि जितने मजदूर कारखानों में काम करने वाले हैं उनका वेतन अच्छा हो, क्वार्टर अच्छे हों और रहने का अच्छा स्थान हो और उनको सुविधायें भी दी जायं, बोनस भी दिया जाय। पर हम देख रहे हैं कि जितने भी कारखानों के मालिक हैं वह सब अपनी लूट खसोट में लगे हुए हैं और उन गरीब मजदूरों को किसी भी प्रकार से कुछ अंश तक भी सुविधायें नहीं देते हैं। किसी न किसी रूप में वह तमाम जो कुछ लाभ होता है चालाकी से अपने पास ही रख लेते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है कि गन्ने की जितनी फैक्ट्रियां हैं करोड़ों रुपया काश्तकारों का उनकी तरफ है। लेकिन वह उनको बोनस क्या, उसके असली दाम भी नहीं दे रही हैं। इसके विपरीत मैं यह समझता हूं कि किसी भी व्यक्तिगत या २,४ मनुष्यों का कारखाना हो, उनको हटा करके ऐसा किया जाय कि जो वर्ग हो, जैसे किसान वर्ग उन किसानों की ओर से एक शुगर फैक्ट्री हो और उनमें थोड़े-थोड़े उनके शेयर हों और उन्हीं के लड़के उस फैक्ट्री में काम करने वाले हों, उन्हीं किसानों में से इंजीनियर पैदा किये जायं। जब सब आदमी उन्हीं के होंगे, मेरा अर्थ यह नहीं है कि किसी विशेष वर्ग के लिये मैं कह रहा हूं, बल्कि किसान वर्ग में सभी सम्मिलित हैं, जो खेती करते हैं, मेरे भाई इस बात को सुन कर कुछ चकित से मालूम होते हैं, मैं एक वर्ग की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरा तात्पर्य किसान वर्ग से है, उसमें सभी आ सकते हैं, यदि इस प्रकार की कोई फैक्ट्री खुलेगी तो अपनी चीज की देख-भाल अच्छी तरह से करेंगे और जो हानि लाभ हो वह उन्हीं को पहुंचेगा। यह रूप बड़े-बड़े कारखानों का होना चाहिये। मैं देखता हूं कि विदेशों में कई एक डेलीगेशन गये, अमेरिका ऐसे देश में। वहां पहुंचकर उन्होंने अमेरिका में जो खेती करने की दशा है, उसकी नकल यहां की। मैं यह समझता हूं कि हमारे देश की स्थिति को देखते हुए जब कि यहां ७४ फीसदी किसान हैं और हमारे साधन दूसरे हैं, गरीब किसान है, वह धन दौलत और सम्पत्ति वाला किसान नहीं है, जैसा कि अमेरिका का है, वह लोग ट्रैक्टर और मशीनों से काम चला सकते हैं, मगर हमारे पास यहां ट्रैक्टर काम देने वाली चीज नहीं है। हमारे यहां वही किसानी देशी हल काम दे सकता है। मैं समझता हूं कि कम से कम उस सीमा तक जब तक कि छोटी होल्डिंग छोटी जोतों से किसान को घृणा उत्पन्न न हो जाय कि इनको छोड़ कर हमें दूसरा कार्य करना है, और बड़े पैमाने पर, तब तक ट्रैक्टर्स कभी उपयोगी नहीं हो सकते। इसलिये अधिक रुपया ट्रैक्टर में लगाने से, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को और किसानों को हानि उठानी पड़ रही है। ट्रैक्टर से कोई लाभ नहीं है ट्रैक्टरों से १० वर्ष तक कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे बड़े-बड़े व्यापार, बड़े उद्योग या बड़ी-बड़ी मशीनों से हमारा हित नहीं होगा और जितने भी कमीशन या डेलीगेशन दूसरे देशों को गये उनकी रिपोर्टों को पढ़ने से सिद्ध होता है, उनके नाम देखने से पता चलता है, कि उनमें कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसान वर्ग का हो या कोई और किसानों में से कोई हो। उन्होंने जिस प्रकार से बड़ी-बड़ी पुस्तकें दूसरे देशों की पढ़ीं उन्हीं के आधार पर अपनी रिपोर्ट भी दी जो हमारे देश की स्थिति के अनुकूल नितान्त नहीं हैं और हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमको अधिक हानि उठानी पड़ रही है। आज छोटे उद्योग से ही हमको सफलता मिल सकती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को बढ़ई का काम सिखा दिया, किसी को लोहार का काम सिखा दिया, जैसे हमारे बख्शी के तालाब पर हमारी सरकार सिखाती है। हां, यह काम उस समय ठीक हो सकते हैं अगर जो काम उनको सिखाया जाय उसके बाद वह जो चीजें बनावें, उनकी खपत के क्षेत्र का भी प्रबन्ध हो। उनको काम तो सिखला दिया लेकिन सिखलाने के बाद जब तक ट्रेनिंग उन्होंने प्राप्त की। वहीं तक वह सीमित रहा। ट्रेनिंग प्राप्त करने के पश्चात् वह फिर नौकरी तलाश करते हैं।

जिस तरह से हाई स्कूल और इंटर मीडियट या कालेज के लड़के पढ़ लिखकर नौकरी की तलाश करते हैं उसी तरह से उद्योग धंधों की ट्रेनिंग पाये हुए, टेक्निकल जितने काम हैं उनकी ट्रेनिंग पाये हुए भी नौकरी की तलाश में रहते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जब स्वतंत्र रूप से वह अपने उद्योग धंधे चला सकते हैं तब भी उनको नौकरी की तलाश रहती है। इसका कारण मैं मुख्य यही समझता हूं कि जब वह कार्य सीखकर आते हैं, तो उनके सामने दो कठिनाइयां रहती हैं। एक तो उनको सामान का न मिलना और दूसरे यह भी कि जो सामान वह बनाते हैं उसकी खपत का कहीं क्षेत्र न होना। इसलिये हमारी सरकार और माननीय मंत्री महोदय इस बात की कृपा करें कि इस प्रकार से जो ट्रेनिंग पाकर अपना कार्य आरम्भ करें सरकार उनको किश्त की शक्ल में या कर्ज की शक्ल में काफी रुपया दे, सौ पचास रुपये से काम नहीं चल सकता है, जिस काम को सीखकर वह आयें, उस कार्य को करने के लिये पूरी रकम उन्हें दी जाय। जो चीजें वह बनाकर तैयार करें, उनको उनके अच्छे दाम दिये जायं और सरकार उन चीजों को ले। मैं तो देखता हूं कि हमारे सरकारी विभागों में यहां और दूसरे स्थानों में नार्वे और स्वीडेन का कागज इस्तेमाल हो रहा है, किसी जगह जर्मनी की पेंसिल हैं, कहीं आलपीनें जर्मनी की हैं। तो इस तरह से कैसे हमारे उद्योग धंधे चलेंगे। गवर्नमेंट को इन चीजों पर फौरन रोक लगा देनी चाहिये कि दूसरे देशों से हम ये चीजें नहीं ले सकते हैं। हमारे यहां जो भी रद्दी और मामूली चीजें बनती हैं उन्हीं का हमें प्रयोग करना है। जब तक हम यह पाबंदी नहीं लगायेंगे हमारे उद्योग धंधे कभी चल नहीं सकते। गवर्नमेंट चाहे जितना भी रुपया इस पर खर्च करे, इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह हमारा खुद का दोष है, मैं खुद गवर्नमेंट की हैसियत से नार्वे का कागज इस्तेमाल कर रहा हूं। गवर्नमेंट को फौरन विदेशी चीजों पर एकदम से रोक लगा देनी चाहिये चाहे हमको उंगली से ही क्यों न लिखना पड़े, लकड़ी से ही क्यों न लिखना पड़े। एक चीज और है जिसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं है। हमारा कच्चा माल बहुत काफी विदेशों को जा रहा है। क्रूम चमड़ा जिस तरह से तैयार होता है उसको सुनकर रोंगटें खड़े हो जाते हैं। अगर उस चीज को हम अपने यहां के कारखानों में ही इस्तेमाल करें और उसके लिये कारखाने खोलें और फिर अपने प्रदेश में ही उन चीजों को बनाया जाय जो कि बाहर से आती है तो हमारा काफी रुपया बच सकता है। इसी तरह रुई और जूट बाहर जाता है और उससे जो सामान बनकर यहां आता है उससे एक रुपये की अगर चीज है तो उस पर ५०-६० रुपये लग जाते हैं। हम कहा करते थे कि १ रु० के कच्चे माल से ढाई सौ, तीन सौ रुपया अमरीकन और अंग्रेज कमाते हैं। तो हम क्यों न उन रुपयों को खुद कमायें और हमारे भाइयों को काम भी मिले तथा हमें लाभ भी हो। एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सम्बध में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार को तथा केन्द्रीय सरकार को तुरन्त आदेश जारी कर देने चाहिये कि जितनी हड्डी हमारे प्रदेश तथा भारत में यहां होती है वह विदेशों में न भेजी जाय। इसका मुख्य कारण यह है कि हड्डी हमारे यहां से बाहर चली जाती है तो उससे हमारे यहां खेती इत्यादि को बड़ी हानि हो रही है। एक तो उसके अभाव में हमारे यहां की जमीन की उपजाऊ शक्ति दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। जितनी भी हड्डियां हमारे देश में रहेंगी उतनी ही हमारी जमीन उपजाऊ होगी और हड्डियों के अन्दर कई चीजें ऐसी होती हैं जिसका हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है अगर सब हड्डियां यहां रहतीं तो हमारे खाने पीने की चीजों पर भी अच्छा असर पड़ता और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता।

इसी प्रकार से पक्का माल तैयार करके हम विदेशों को भेजें और जैसे विदेशी हमसे लाभ उठाकर धन ले जाते थे उसी तरह से हम अपने व्यापार को विदेशों में फैलायें जैसे कि पुराने समय में विदेशों को हमारी सब चीजें जाया करती थीं। हम जल्दी हो इस बात पर पहुंचने की कोशिश करें।

अब दो चीजें की अधिक संख्या आजकल बढ़ती जा रही है। एक तो सरकारी नौकरियों और दूसरे खेती की ओर खेती करने का बहुत ध्यान है और उद्योग धंधों की ओर लोगों का बिल कुल ध्यान नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं है इसका मुख्य कारण

[श्री श्रीचन्द्र]

है हमारी लापरवाही इसलिये हमें सब से पहले यह करना है कि हमारी जो रुचि है नौकरी करने की उसकी तरफ कम ध्यान दें और यह तभी हो सकता है जब हम अधिक संख्या में उद्योग धंधों को खोलें और दूसरी ओर दूसरा काम न मिलने के कारण खेती की ओर बहुत ध्यान जा रहा है। आप देखें कि आज जब किसी को नौकरी नहीं मिलती है तो लोग खेती की ओर जाना चाहते हैं। लेकिन कोई नहीं देखता कि आज खेती में किसानों की क्या दशा है। मैं तीन बातें आपके सामने रखता हूं कि खेती करने वाले की दशा अच्छी है या उद्योग धंधे करने वाले की दशा अच्छी है या नौकरी करने वाले की दशा अच्छी है। इनमें सब से पहले यह देखा जाय कि कपड़े किस के पास अच्छे हैं, खाना पीना किस का अच्छा है और रहन-सहन किस का अच्छा है, तो मालूम होगा कि सब से ज्यादा गिरी हुयी दशा किसान और उद्योग धंधा करने वाले की है किसान तो फटे पुराने कपड़े में रहते हुये किसी तरह से अपनी गुजर कर रहा है लेकिन जो हमारे देश में छोटे-छोटे कारखाने जूते बनाने के या कपड़े बनाने के हैं या लुहार का काम करने वाले या बढ़ई का काम करने वाले हैं वह बड़े असंतोष के साथ चल रहे हैं। देहातों में एक से एक योग्य लोहार, हैं अच्छे से अच्छे बढ़ई हैं और बढ़िया मशीन बना सकते हैं लेकिन उनको प्रोत्साहन और उनके पास साधन कुछ भी नहीं है।

मैं एक निवेदन आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं और वह यह है कि एक स्कीम ऐसी बनायी जाय कि जो अच्छे और होशियार उद्योग धंधे जानने वाले और अच्छे शिल्पी तथा कलाकार हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाय और जो अच्छा कार्य करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाय और उनको अच्छी जगह पर ट्रेनिंग दिलवा कर गवर्नमेंट उनकी सहायता करे और नई चीज निकालने के लिये अधिक से अधिक रुपया दिया जाय। चाहे गवर्नमेंट का कितना ही रुपया खर्च क्यों न हो जाय इसकी परवाह न की जाय क्योंकि आगे चलकर सम्भव है कि गरीब से गरीब लड़का दुनियां में चमक जाय नयी चीज निकालकर। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को उत्साह दिया जाय और जो विद्वान् तथा साइंस जानने वाले हैं उनको हर प्रकार की सहायता दी जाय। आज हमारे यहां के लोगों की उद्योग धंधों की ओर रुचि नहीं है इसीलिये हमारे उद्योग धंधे पनप नहीं रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विभव जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं इस प्रस्ताव में हो सकता है कि कुछ बातों का हेरफेर हो, कुछ सुधार की जरूरत हो तो वह किया जा सकता है। हम सब लोगों को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश को खास तौर से आर्थिक दृष्टि से सुधारना आवश्यक हो गया है। स्वतंत्रता के बाद सब लोगों की दृष्टि आर्थिक उन्नति की ओर गयी भी है। आज हर एक आदमी प्रयत्नशील है कि अपने जीवन यापन के हेतु जीविका का साधन प्राप्त करने को। जीविका के तीन मुख्य साधन हैं। सब से अधिक तो खेती है, जिस पर अधिकांश लोगों का जीवन बीतता है और जिसमें ही अधिकांश लोग लगे हुये हैं। दूसरा साधन गृह-उद्योग है और तीसरा है नौकरी। सरकार ने खेती की तरफ काफी ध्यान दिया है, किसान भी इस मंहगाई में खेती के महत्व को समझा है और काफी दिलचस्पी ले रहा है। इस पर जुटा हुआ है। सरकार स्वयं खेती की तरक्की के लिये, पानी का प्रबन्ध करने (सिंचाई का प्रबन्ध करने) औजारों को उन्नतिशील करने की दिशा में प्रयत्नशील है। किसान स्वयं इस दिशा में प्रयत्नशील है और इस काम को तेजी से चला रहा है। लेकिन खेती जिसके बारे में लोगों ने बार-बार कहा है कि भूमि रबड़ नहीं है कि बढ़ायी जा सके इसमें पर्याप्त सत्यता है इस पर भी कुछ निश्चित मात्रा में ही लोगों को जीविका के लिये स्थान दिया जा सकता है। बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की बच सकती है जिन को खेती पर नहीं बसाया जा सकता है, जिनको खेत नहीं दिये जा सकते हैं। ऐसी जो संख्या बच जाती है उसके लिये दो ही साधन बचते हैं। जहां तक नौकरी का सवाल है वह सीमित है। ऐसा नहीं हो सकता है कि देश के जितने लोग

पढ़ लिख कर निकलें या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं अनपढ़ हैं,वैसे लोगों को नौकरी दे कर खपाया जा सके, बेकारी दूर की जा सके। इसमें भी थोड़ी मात्रा में ही लोग खपाये जा सकते हैं। तो जो संख्या बच जाती है। आखिर हर आदमी के पास पेट है, हर आदमी सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहता है, जीवन के लिये जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिये क्या साधन हो सकते हैं। क्या इन्तजाम हो सकता है कि वह कुछ आमदनी करे और अपना जीवन आसानी से व्यतीत करने में समर्थ हो सकें, यह हमें सोचना है। नौकरी सब को पूरी-पूरी सरकार नहीं दे सकती है यह मैं कह चुका हूं। खेती-बाड़ी पर भी सब को बसाया नहीं जा सकता है, तो तीसरा साधन जो रह जाता है वह गृह-उद्योग ही है। इसी में सब को खपा सकते हैं। यह निर्विवाद है जहां तक उद्योग-धंधों का सवाल है, वह दो प्रकार के होते हैं....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, हाउस में कोरम नहीं है।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से घंटी बजायी गयी। कोरम पूर्ण होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नागेश्वर द्विवेदी—अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जहां तक उद्योग धंधों का सवाल है वह दो प्रकार के हैं। एक तो वह जो बड़ी-बड़ी मशीनों से चलते हैं और केन्द्रित होते हैं और वह जो दूसरे गृह उद्योग-धंधों के नाम से विख्यात हैं और जिन्हें गांवों में छोटी छोटी मशीनों या औजारों द्वारा अपने घरों में बैठ कर लोग करते हैं। जहां तक मशीन का सवाल है हमने देखा है कि मशीनें बेकारी की समस्या को हल करने में समर्थ नहीं रही हैं। प्रत्युत एक हजार आदमी के काम को मशीनें १००–५० आदमियों से करवा कर बाकी लोगों को बेकार बना देती हैं। उसकी आमदनी कुछ थोड़े से पूंजी-पतियों या चन्द आदमियों के हाथ में जाती है और जो आदमी बेकार हो जाते हैं उनको न तो आमदनी में कोई हिस्सा मिलता है और न कोई दूसरा जरिया ही अपनी जीविका कमाने के लिये रह जाता है। इस लिये जिन मशीनों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, या जो बहुत ही आवश्यक हैं ऐसी मशीनें हम अपना सकते हैं लेकिन उन वस्तुओं के लिये जिनके लिये कच्चा माल आसानी से गांवों में मिल सकता है और जो बना हुआ माल आसानी से उस क्षेत्र में जहां वह बनता है खप सकता है ऐसी चीजों के लिये बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करना न जरूरी है न लाभदायक है। हमें, अगर इस बात को मान कर चलना है कि देश के हर प्राणी को खाना कपड़ा मिले और बेकारी दूर हो तो उसके लिये एक ही मार्ग रह जाता है कि जीविका के लिये कोई न कोई साधन दिया जाय और जीविका के साधनों में गृह उद्योग धंधे ऐसे हैं जो पुराने समय में भी और आज के समय में भी बहुत महत्व रखते हैं। बिना इनके अपनाये बेकारी की समस्या हल नहीं हो सकती है। माननीय सीताराम जी शुक्ल ने मशीनों की चर्चा करते हुये कहा कि "अगर मशीनें चलती हैं तो उससे आसानी से चीजें पैदा होती हैं, उन मशीनों के ऊपर टैक्स लगा कर गृह उद्योग धंधों को बढ़ा कर पैसा बरबाद करना ठीक नहीं।" जहां तक मशीनों को बढ़ावा देने का प्रश्न है यह इतिहास किसी से छिपा नहीं है कि अंग्रेजी शासन काल में किस तरह मशीनों को प्रोत्साहन देने के लिये गृह उद्योग धंधों पर टैक्स लगाये गए, देश और विदेश में किस तरह से उनको कुचलने का प्रयत्न किया गया और किस तरह से रुपया पानी की तरह बहाया गया। अगर हमको फिर से गृह उद्योग धंधों को पनपाना है और फिर अप ने देश को उस स्थान पर पहुंचाना है जहां पर कम से कम इस अंग्रेजी राज्य काल के पहले हमारा देश था– कुछ लोग भले ही कहें कि हमारा देश उस समय ग़रीब था लेकिन दुनिया के अधिकांश आदमी इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि आज के मुकाबले में हमारा देश तब ग़रीब था, हमारा देश तब दुनिया में सब से आगे था और सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था–तो [illegible] द्योग धंधों को प्रोत्साहन देना ही पड़ेगा। बड़ी-बड़ी मशीनें जहां तक हममें

[श्री नागेश्वर द्विवेदी]

बेकारी पैदा करती हैं, जहां तक वे हमारे गृह उद्योग धंधों को नष्ट करती हैं वहां तक उनको हमें तिलांजलि देना है। गृह उद्योग धंधों को पनपाने के लिये अगर इन मशीनों पर टैक्स लगाना पड़े और उससे बेकारी की समस्या हल हो। हमारा देश आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़े और उसके द्वारा यदि कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जाने से चन्द लोगों के हाथ में जाने से बच कर आम जनता में समान भाव से पैसा वितरित होने लगे तो यह हमारे प्रान्त के लिये, देश के लिये बड़े महत्व की बात होगी। इसीलिये जब माननीय विभव जी ने इस प्रस्ताव को रखा तो हम लोगों को खुशी हुई कि सरकार इस प्रस्ताव को मान लेती है तो इस प्रान्त का बड़ा उपकार हो जायगा। मैं मानता हूं कि सरकार इस दिशा में काफी प्रयत्नशील है। हमने हैंडीक्राफ्ट में देखा कि अच्छा-अच्छा सामान आया जिसकी तरफ़ लोगों का ध्यान गया और खरीदने की रुचि बढ़ी। ऐसा अच्छे-अच्छे किस्म का सामान तैयार होने लगा है कि लोग खरीदने लगे हैं और सरकार ने इन मालों की बिक्री में काफी छूट भी देनी शुरू किया है जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिला है। और यह भी मैं कहूंगा कि जहां नौकरी करने वाले १००-५० रुपये तनख्वाह पा कर भी असन्तुष्ट रहते हैं वहां ये लोग १०,-१५ रुपया माहवार भी कमा कर अपना काम चलाते हैं और यही रुपया उनकी जीविका का एक मात्र सहारा होता है। वे थोड़े ही में गुजर करने लगते हैं और इस तरह से बेकारी की समस्या भी हल हो जाती है। अगर इस तरह से उद्योग धंधों की उन्नति में सरकार ने बराबर हाथ बढ़ाया तो बहुत से लोगों को जीविका का साधन मिल जायगा और कम से कम देहाती क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से उन्नति कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय विभव जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आशा है सदन और सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगी।

*श्री कमला सिंह (जिला गाजीपुर)—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय देवकी नन्दन विभव जी ने सदन में प्रस्तुत किया है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। जिन शब्दों में उन्होंने प्रस्ताव रक्खा है वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वैसे ही अगर उसको पास किया जाय तो वह ज्यादा अच्छा होगा बहुत से माननीय सदस्य इस संकल्प पर बोले हैं और अधिक तर लोगों को मैंने यह कहते सुना है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाने की जरूरत है। कोशिश यह होनी चाहिये कि मिल की बनी हुई चीजों की जो रफ्तार है उसे धीमा करना चाहिये और गृह उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिये। जहां तक इस विचार धारा का सवाल है मेरा खयाल है जब पूजनीय बापू विदेशी चीजों के बहिष्कार के लिये आन्दोलन चला रहे थे तब तो यह विचार धारा ठीक थी ताकि ज्यादा वस्तुयें हमारे देश और प्रदेश में बाहर से न आ सकें क्यों कि हम गुलाम थे। हमारे देश मे दूसरी समस्यायें थीं। आज भी हम जब गांव की तरफ देखते हैं और यह सोचते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है उस वक्त भी हमारे सामने यह सवाल आता है कि हमारे देश के जो निवासी हैं उनकी रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं उनका हल कैसे किया जाय लेकिन साथ ही साथ हमें अपने देश की आमदनी को भी बढ़ाना है। नमूने के तौर पर हमारे पास ५ सेर कपास है और सारी कपास को हम खादी बना लेते हैं तो नतीजा यह होगा कि उसका इस्तेमाल यहीं होगा लेकिन अगर दो सेर कपास की खादी बना लें, और ३ सेर की अच्छी ढाका की मलमल तैयार करायें और उसे विदेशों में भेजें तो मैं समझता हूं कि इससे हमारे देश को जो रुपये की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होगी। हमारे देश में धन की कमी है जिससे हमें ऐसे साधन भी उपलब्ध करने हैं जिनसे हम बाहर से पैसा खींच सकें।

दूसरी तरफ अगर हम किसानों और मजदूरों की हालत को देखें तो हमारे देश में उनकी हालत बहुत खराब है। जो अच्छी-अच्छी नौकरी पेशा हैं उन्हीं की हालत अच्छी है लेकिन किसान मजदूर जो दिन भर काम करके खून पसीना बहाते हैं उन्हें भर पेट भोजन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तक नहीं मिलता, कपड़ा तक नहीं मिलता और उनके बच्चों को दूध तक नहीं मिलता। उनकी हालत इतनी बुरी है कि वे पढ़ लिख भी नहीं सकते । इस गरीबी की तरफ जब हम देखते हैं । हमारे देश और प्रदेश की जो आमदनी है उसकी तरफ देखते हैं तो मजबूर होते हैं और हमें किसी तरह से अच्छी से अच्छी चीज बना कर विदेश भेजने की जरूरत होती है कि अपना सामान अच्छा बना कर विदेश भेजें और वहां से ज्यादा से ज्यादा रुपया खींच सकें। इस तरीके पर हम अपने देश की धन दौलत को भी बढ़ाना चाहते हैं।

जहां तक पुरानी बात का सम्बन्ध है यह तो हम जानते हैं कि हमारा देश पुराने जमाने में बहुत मशहूर था और उस जमाने में जनेऊ के लिये बहुत मशहूर था । जनेऊ जो बनाया जाता था उसको मटर के छिलके के अन्दर रखा जाता था । इसी प्रकार से ढाका की बढिया मलमल हुआ करती थी जिसको बांस के टुकड़े के बारीक सूराख के अन्दर रखा जाता था । इस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि हमारा देश कारीगरी में कितना बढ़ा चढ़ा था.....

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण अगले असरकारी दिन को जारी रखियेगा।

(इसके बाद सदन ५ बजे सोमवार, २७ सितम्बर, १९५४, को ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२४ सितम्बर, १९५४

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७७ पर।)

१ मई से १जुलाई, सन् १९५४ ई० तक जौनपुर जिले में हुए कत्लों की थानावार सूचना

थाने का नाम	कत्लों की संख्या	धारा जिसके अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई	कत्ल का कारण
रामपुर	३	१ धारा ३०२	मृत व्यक्ति के एक अभियुक्त की स्त्री से नाजायज ताल्लुकात थे।
		१ धारा ३०२	मृत स्त्री एक विधवा थी और उसके अपने देवर से नाजायज ताल्लुकात थे। जांच अभी जारी है।
		१ धारा १४८,३०२	तालाब में मछली पकड़ने के सिलसिले में झगड़ा हुआ जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की हत्या हुई।
सराय ख्वाजा	२	१ धारा १४८,३०२	मृत व्यक्ति एक प्रभावशाली आदमी था और गांव के कुछ लोगों से उससे अनबन थी।
		१ धारा ३०२	अभियुक्तों ने मृत व्यक्ति के घर की स्त्रियों से छेड़-छाड़ की, जिसके फलस्वरूप कुछ झगड़ा हुआ। अभियुक्तों ने मृत व्यक्ति को लाठियों और भालों से आहत किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई।
मछली शहर	१	धारा ३०२	मृत व्यक्ति अपनी विधवा चाची पर कुदृष्टि रखता था। गांव के एक अहीर से कुछ जमीन के सिलसिले में भी उसका झगड़ा था। जौनपुर के एक बैंकर ने उसके खिलाफ़ एक अदालती डिगरी प्राप्त करली थी और वह बैंकर की ओर से सदा शंकित रहता था। जांच अभी जारी है।
केराकत	१	धारा १४७,१४८, ३०२	मृत व्यक्ति ने अभियुक्तों के विरुद्ध एक दीवानी के मुकदमे में गवाही दी थी।
शेष थानों में कोई कत्ल नहीं हुआ।			

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे ४७८ पृष्ठ पर।)

गत वर्ष नैनीताल जिले में हरिजनों के लिये स्वीकृत विभिन्न अनुदानों का विवरण।

१—कुयें बनवाने के लिये	.. ..	१२,५०० रु०
२—आग से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिये	..	६०० रु०
३—गृह उद्योगों के लिये	.. ..	३,५५० रु०
४—हरिजन उत्थान संबंधी प्रचार कार्य तथा अस्पृश्यता निवारण के लिये	..	३,००० रु०
५—छात्रवृत्तियां	.. ..	१७,८९२ रु०
६—पुस्तक इत्यादि के लिये	.. ..	९,०७० रु०
७—शिक्षा शुल्क से मुक्त कराने के लिये	..	१०,३३१ रु० ४ आ०
८—छात्रावास तथा पाठशाला	.. ..	१,६५५ रु०
९—अनावर्ती अनुदान	..	८,२०६ रु० ८ आ०
कुल योग ..		६६,८०४ रु० १२ आ०

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८२ पर)

शिक्षण संस्थाओं की सूची, जिन्हें राइफल तथा अन्य हथियारों के लाइसेंस दिये हुये हैं।

नाम शिक्षण संस्था	हथियार जिसके लिये लाइसेंस दिये गये हैं	नाम शिक्षण संस्था	हथियार जिसके लिये लाइसेंस दिये गये हैं
१—आनरेरी सेक्रेट्री, एम० एस० कालेज, चन्दौसी	एक बंदूक	१२—श्री बलबीर सरन, प्रिंसिपल ए०आर०के०के० हायर सेकेंड्री स्कूल, कुचेसर	एक रिवाल्वर
२—प्रिंसिपल, कारोनेशन डिगरी कालेज, मुरादाबाद	एक बंदूक	१३—अध्यक्ष, जूलोजी विभाग, अलीगढ़, मुस्लिम महाविद्यालय, अलीगढ़	एक बंदूक
३—सुन्दर नारायण मुशरन इन्टर कालेज, कायमगंज फर्रुखाबाद	एक बंदूक	१४—निरीक्षक के० ए० एम० वी० इन्टर कालेज, अतरौली, अलीगढ़	एक बंदूक
४—प्रिंसिपल, संघ वैद्य महा विद्यालय, नखार, बुलन्दशहर	एक बंदूक	१५—प्रिंसिपल, अग्रवाल हायर, सेकेंड्री स्कूल, हरदुआगंज अलीगढ़	एक बंदूक
५—श्री ए० आर० शर्मा, प्रिंसिपल शिवचरन हायर सेकेंड्री स्कूल, बुलन्दशहर	एक रिवाल्वर	१६—कन्या गुरुकुल महा-विद्यालय, सासनी, अलीगढ़	एक बंदूक
६—श्री लक्ष्मी चन्द, डी० ए० वी इन्टर कालेज, बुलन्दशहर	एक रिवाल्वर	१७—बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा	दो राइफल
७—श्री पी० के० बनरजी, प्रिंसिपल, एम० एस० इन्टर कालेज, सिकन्दराराव, बुलन्दशहर	एक रिवाल्वर	१८—एग्रीकल्चर कालेज, कानपुर	एक बंदूक, एक एयर राइफल तथा एक राइफल।
८—श्री चन्द्र पाल सिंह, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट हायर सेकेंड्री स्कूल, दादरी	एक रिवाल्वर	१९—लक्ष्मी व्यायाम मंदिर, खंडाराव गेट, झांसी	दो राइफल
९—श्री ओंकार सिंह, डिमांस्ट्रेटर, लखावटी कालेज	एक बंदूक	२०—राइफल क्लब, हिन्दी विद्यार्थी सम्प्रदाय, कालपी	दो राइफल
१०—श्री झम्मन सिंह, प्रिंसिपल, एम० एस० जाट हायर सेकेंड्री स्कूल, लखावटी	एक रिवाल्वर	२१—आफिसर इ·चार्ज, सेंट जासेफ कालेज, नैनीताल	६ राइफल
११—श्री बी० डी० दीक्षित प्रोफेसर, एन० आर० ई० सी० कालेज, खुर्जा	एक रिवाल्वर	२२—राइफल क्लब, रायबरेली	३ बंदूक १ राइफल
		२३—राइफल क्लब, खेरी	५ राइफल
		२४—प्रिंसिपल, कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, देहरादून	६ राइफल
		५—प्रेसीडेंट, राइफल क्लब, देहरादून।	४ राइफल
		२६—राइफल क्लब, मुजफ्फरनगर,	१ राइफल

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर ।)

१५ अगस्त, १६५४ तक प्रत्येक जिले में मुख्य मंत्री जी के शिक्षा कोष के लिये इकट्ठी की गयी धनराशि की तालिका

क्रम-संख्या	जिले का नाम	मुख्य मंत्री जी के शिक्षा कोष के लिये इकट्ठी की गयी धनराशि		
		रु०	आ०	पा०
१	देहरादून	१०,६६१	५	३
२	सहारनपुर	६०,१०४	८	०
३	मुजफ्फरनगर	१,२३,५०६	०	०
४	मेरठ	१,८३,४२७	१०	६
५	बुलन्दशहर	५५,३८२	५	०
६	अलीगढ़	५६,६५५	१०	०
७	मथुरा	५४,००८	०	०
८	आगरा	४१,३१२	१३	०
६	मैनपुरी	१,००,०२०	४	०
१०	इटा	२३,३८३	१५	३
११	बरेली	५८,०६१	०	०
१२	बिजनौर	२५,०८६	१३	०
१३	बदायूं	४५,३१६	२	०
१४	मुरादाबाद	३१,१६३	११	६
१५	रामपुर	१३,२३७	११	०
१६	शाहजहांपुर	४४,८८५	५	६
१७	पीलीभीत	३०,१६६	१५	०
१८	नैनीताल	१७,८३२	६	०
१६	अल्मोड़ा	२३,७८२	६	६
२०	पौड़ी-गढ़वाल	६,१०५	५	०
२१	टेहरी-गढ़वाल	५,६०३	४	०
२२	फर्रुखाबाद	५२,२३५	१४	३
२३	इटावा	७७,१४६	७	६
२४	कानपुर	६०,४६१	१५	०
२५	फतेहपुर	३५,३०६	१५	३
२६	इलाहाबाद	८५,४०६	१०	६
२७	झांसी	४२,७६१	६	०
२८	जालौन	३३,०१७	८	०
२६	हमीरपुर	१६,४३२	११	०
३०	बांदा	१८,११७	३	०
३१	[illegible]	७६,६११	१५	३
३२	[illegible]	४२,६६४	१	६

क्रम-संख्या	जिले का नाम	मुख्य मंत्री जी के शिक्षा कोष के लिये इकट्ठी की गयी धनराशि		
		रु०	ग्रा०	पा०
३३	जौनपुर	२४,०७४	४	६
३४	गाजीपुर	३५,६०६	१३	६
३५	बलिया	४६,८६३	४	३
३६	गोरखपुर	३६,४१६	८	०
३७	देवरिया	४७,०३५	४	६
३८	बस्ती	४२,४०७	१३	३
३९	आजमगढ़	५२,१६०	०	६
४०	लखनऊ	४०,४६५	१०	०
४१	उन्नाव	२३,५६४	१५	०
४२	रायबरेली	४०,६३४	१०	०
४३	सीतापुर	४६,७६१	४	६
४४	हरदोई	२०,४३३	१३	६
४५	खेरी	३१,१०३	६	०
४६	फैजाबाद	८७,८३८	४	३
४७	गोंडा	३०,५०२	१२	६
४८	बहराइच	६४,६८८	७	०
४९	सुलतानपुर	६०,१७१	१३	३
५०	प्रतापगढ़	३६,११८	६	०
५१	बाराबंकी	५६,५१०	११	६
	योग	२३,६२,३७१	१	६

नत्थी "ङ"

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ व ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९३ पर।)

रामपुर जिले में १९५३–५४ में हुये अपराधों का विवरण

क्रम-संख्या	अपराध		रिपोर्ट हुये	चालान हुये	दंडित हुये	बरामद हुआ सामान
१	२		३	४	५	६
१	नर हत्या	..	१२	८	३	विष मिला हुआ गुड़।
२	जुआ	..	३८	३८	३४	ताश और कुछ रुपया, दरी और बीड़ी आदि।
३	डकैती	..	७	६	०	कुछ कपड़े और जेवर।
४	राहजनी	..	१२	१०	०	एक बटुआ और ५ रुपये के नोट।
५	अफीम	..	६	६	३	१ मन २ सेर ९ छटांक और १ तोला अफीम।
६	कोकीन	..	१	१	०	१ सलाई कोकीन।
७	अवैधानिक रूप से तैयार की गई शराब		१२२	११८	६९	भपका तथा कुछ गैलन अवैधानिक रूप से तैयार की गयी शराब।
८	हथियार	..	३८	३८	२६	१ डी० बी० बी० एल० बन्दूक, ६ सी० एम० पिस्तौलें, १ विलायती पिस्तौल, ८ तमन्चें २ रिवाल्वरें, ५४८कारतूसें, और ३८ खाली कारतूस तथा २ छटांक ३ तोला बारूद।
९	गऊ बध	..	६९	६९	५२	गाय का मांस तथा तराजू बांट।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी०–१७६ एल० ए०–१९५४–८५०

उत्तर प्रदेश विधान सभा